विशेषांक

पढ़ें देवभूमि के सब परिवार, जगे देशभक्ति मिले संस्कार www.matrivandana.org

अहर्निशं जागरणीयम् लोकहितं मम करणीयम्

मातृवन्दना

चैत्र - वैशाख, कलियुगाब्द 5119, मार्च - अप्रैल, 2017

विकसित गांव विकसित भारत

एसजेवीएन विश्व पटल पर
पवन ऊर्जा
ताप ऊर्जा
सौर ऊर्जा
विद्युत ट्रांसमिशन
जल ऊर्जा
2014-15 में विद्युत उत्पादन क्षमता में 460 मेगावाट की वृद्धि
412 मेगावाट रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश
महाराष्ट्र में 47.6 मेगावाट की खिरवीरे पवन ऊर्जा परियोजना
हिमाचल प्रदेश में देश का सबसे बड़ा भूमिगत 1500 मेगावाट जलविद्युत स्टेशन।
आरएचपीएस को "जल विद्युत परियोजनाएं शीघ्र पूरी करने" की श्रेणी में "गोल्ड शील्ड" तथा "सिल्वर शील्ड"।
ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों, पवन, ताप एवं सौर क्षेत्र में प्रवेश।
विद्युत ट्रांसमिशन एवं परियोजना परामर्श तथा परामर्शक सेवाएं।
एनजेएचपीएस को वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 'बेहतरीन निष्पादन' के लिए 'गोल्ड शील्ड' पुरस्कार।
विभिन्न राज्यों एवं पड़ोसी देशों में 12 विद्युत परियोजनाओं का निर्माण-कार्य।
एसजेवीएन
SJVN
एसजेवीएन लिमिटेड
SJVN Limited
(A joint Venture of Govt of India & Govt. of Himachal Pradesh)
A Mini Ratna & Schedule 'A' PSU
सीआईएन: L40101HP1988GOI008409
शक्ति सदन, एसजेवीएन कॉरपोरेट ऑफिस काम्पलैक्स, शनान, शिमला-171006
www.sjvn.nic.in

अपनी बात

गांव का ध्यान आते ही मन में एक आनंद की सी अनुभूति होती है। मिट्टी की सौंधी-सौंधी खूशबु, लहलहाते खेत, हरियाली, देवालय एवं उच्च सांस्कृतिक झलक। महात्मा गांधी भी कहते थे कि यदि आप वास्तविक भारत को देखना चाहते हैं तो इसके गांवों को देखना होगा। समय के साथ विकास क्रम में जहां मनुष्य नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है वहीं गांवों में अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य व रोज़गार के अवसर सीमित ही हैं। आधुनिकीकरण के साथ नगरीकरण भी बढ़ रहा है जिसमें गांव अपना अस्तित्व बचाए रखने को उद्यत हैं। उच्च शिक्षित युवा भी अब पश्चिमी अन्धी दौड़ को छोड़कर कृषि व्यवसाय और गांवों से जुड़ रहे हैं। स्वामी दयानंद के शब्द वेदों की ओर लौटो के स्थान पर अब गांवों की ओर लौटो का ध्येय साकार करने हेतु मातृवन्दना का यह ग्राम विकास विशेषांक देश व प्रदेश के ख्यातिनाम अनुभवी लेखकों के प्रयासों से पाठकों के लिए अवश्य ही ज्ञानवर्धक होगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ सभी सुधि पाठकों एवं विज्ञापन दाताओं को भारतीय नववर्ष विक्रमी सम्वत् 2074 की हार्दिक शुभकामनाएं।

महीधर प्रसाद
प्रबन्धक

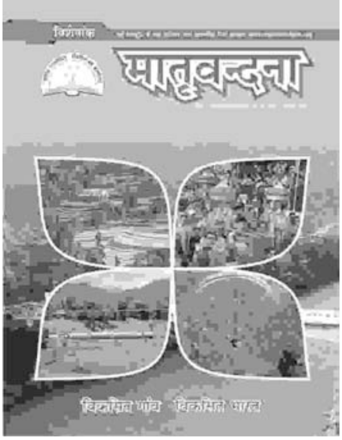

सम्पाद्कीय	डॉ दयानन्द शर्मा	2
ऋतु बसन्त	अमरनाथ कौंडल,	3
"बोझा ढोते रहे", अब नहीं	कश्मीर सिंह	3
ग्रामीण विकास की संकल्पना	भैया जी जोशी	4
भारतीय जीवन व्यवस्था का आधार गांव	दलेल सिंह ठाकुर	6
कृषिवृद्धि एवं कृषकसमृद्धि	डा. दयानन्द शर्मा	8
सामाजिक समरसता एवं परस्पर	डॉ॰ सतीश कुमार शर्मा	11
युगानुकूल ग्रामीण पुनर्रचना के प्रयोग	डॉ॰ दिनेश	12
गौ आधारित ग्राम विकास		15
जैविक कृषि के बिना अधूरा	धर्म सिंह ठाकुर	18
जैविक खेती से बदल गई दुनिया	साभारः हिन्दू गर्जना	20
वनवासी गांवों के विकास	प्रकाश कामत	22
बदलते परिवेश में भारतीय गांव	नीतू वर्मा	25
विकसित गांव : विकसित भारत	डॉ. उमेश कुमार पाठक	28
ऐसे बदलेगी गांव की सूरत	प्रमोद कुमार	30
ग्रामीण विकास में महिलाओं	डॉ॰ अर्चना गुलेरिया	32
"नारी"	सुषमा देवी	32
ग्राम विकास व पर्यटन	डॉ॰ अमरीक सिंह	34
संपूर्ण ग्राम विकास का मूलमंत्र	चेतन कौशल "नूरपुरी"	37
साहित्य की आत्मा हैं गांव	संदीप शर्मा	39
समृद्ध लोक संस्कृति के पोषक	मीनाक्षी सूद	40
स्मार्ट शहरों के साथ स्मार्ट गांव	योगराज शर्मा	41
ग्राम विकास पर जंगल जानवरों	प्रदीप शर्मा	42
बिन पानी सब सून	मोनिका	44
समग्र ग्रामीण विकास एवं स्वच्छता	नर्वदा कंवर	46
ग्राम विकास हेतु सरकारी योजनाएं	टेक चंद ठाकुर	48
विवेकानन्द के सपनों के भारत	....	50
नीति में बदले नीयत	डा.जयप्रकाश सिंह	53
देवभूमि में सांस्कृतिक चिन्तन	डॉ. विद्या चंद ठाकुर	56
कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग	महेश अटाले	57
गांवों की आत्मनिर्भरता के लिए	पूर्ण प्रकाश शर्मा	60

मातृवन्दना मासिक

वर्षः17 अंक : 03-04 चैत्र-वैशाख, कलियुगाब्द 5119, मार्च-अप्रैल,2017

वार्षिक शुल्क
सौ रुपये

विशेषांक सम्पादक
डॉ. दयानन्द शर्मा
दलेल सिंह ठाकुर

प्रबन्धक
महीधर प्रसाद

कार्यालय
मातृवन्दना
डॉ. हेडगेवार भवन, नाभा हाउस, शिमला-4
दूरभाषः 0177-2836990

E-mail: matrivandanashimla@gmail.com
www.matrivandana.org

प्रकाशक एवं मुद्रक कमल सिंह सेन द्वारा मातृवन्दना संस्थान के लिए सवितार प्रेस, च्. 820, फेस-2, उद्योग क्षेत्र, चण्डीगढ से मुद्रित तथा डॉ. हेडगेवार भवन, नाभा हाउस, शिमला-171004 से प्रकाशित।

सम्पादकः डॉ. दयानंद शर्मा।

वैधानिक सूचनाः पत्रिका का सम्पादकीय कार्य पूर्णतः अवैतनिक है। पत्रिका में छपी सामग्री से सम्पादक का सहमत होना जरुरी नहीं। इस सम्बन्ध किसी भी कार्यवाही का निपटारा शिमला न्यायालय में ही होगा।

गांव की सम्पन्नता से विकसित होगा भारत

भारत गांवों का देश है। इसकी तीन-चौथाई आबादी ग्राम आधारित व्यवस्था से जुड़ी है। पृथक्-पृथक् प्रान्तों के ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों की विभिन्न संस्कृतियां भारत की विविधता में एकता के दर्शन कराती हैं। पर्यावरण की शुद्धता, प्राकृतिक सौन्दर्य, अनूठी सामाजिक परम्पराएं एवं उत्सव-त्यौहार, दो कोस में बदलती उपभाषाएं, वेशभूषा, चारों ओर फैली हरियाली, लहलहाती फसलें, बाग-बगीचे, पशु-पक्षी, चरागाह, जंगल, ऊंची-नीची घाटियां, पर्वत, मन्दिर आदि, क्या-क्या रंग देखने को नहीं मिलते गांव की छांव में। एक रंग यहां मेहनत का भी है जहां किसान खेतों में अपना पसीना बहाकर देशवासियों के पेट की भूख मिटाता है किन्तु अन्य नागरिकों तथा देश की केन्द्र व राज्य सरकारों को उसके कठिन श्रम व पीड़ा का कितना अहसास है, इसका गम्भीरता से विचार होना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार कृषि है। देश की आर्थिक स्थिति तभी पूर्णतया सुदृढ़ हो सकती है जब कृषि हेतु ग्राम विकास होगा। सरकारें कृषि -उत्पादन बढ़ाने तथा कृषकों की सहायता के लिए आवश्यक योजनाओं का निर्धारण व बजट का प्रावधान तो करती हैं किन्तु क्रियान्वयन में उनकी नगण्य भूमिका रहती है और कार्यों के निष्पादन में वे सम्बन्धित विभागों पर आश्रित रहती हैं। बजट सरकारी दफ्तरों में वे अधिकारी बनाते हैं, जो जमीनी हकीकत से परिचित नहीं होते साथ ही आंकड़ों के पुष्ट प्रमाण भी उनके पास नहीं होते, इसलिए विशिष्ट योजनाओं के लिए बजट में हमेशा कमी रह जाती है। दूसरे साधारण व तकनीकी कर्मचारियों की कमी भी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में विलम्ब व बाधा उत्पन्न कर देती है। उदाहरणत: मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना के संचालन हेतु नियुक्त किये गये ग्राम रोजगार सेवकों की संख्या इतनी कम है कि एक रोजगार सेवक के पास 3-4 पंचायतों का कार्यभार बना रहता है। सरकार को चाहिए कि बेरोजगार युवाओं को कृषि से सम्बन्धित कौशल-विकास का प्रशिक्षण देकर अपनी जमीन से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करे और उन्हें आजीविका प्रदान करे। केन्द्र सरकार की नई नीतियों के चलते पंचायतों के ग्राम विकास व स्वच्छता अभियान के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जा रहा है। सही रूप से उसका लाभ कृषक उठा सके इस हेतु कुशल एवं तकनीकी कर्मचारियों की अधिक आवश्यकता रहेगी जिसकी पूर्ति उपयुक्त प्रकार से की जा सकती है। सरकार को चाहिए कि वह बन्दरों व जंगली जानवरों से किसानों की फसल बचाने के लिए कारगर योजना तैयार करे। पंचायत स्तर पर खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु गोदामों एवं शीतागारों का निर्माण करे। फसलों के विपणन में सहयोग दे तभी कृषकों की आय में वृद्धि होगी और वास्तव में ग्राम विकास होगा। किसानों का जागरूक होना, नई जानकारी व तकनीक से जुड़े रहना और सरकार द्वारा उपदान (सब्सिडी) युक्त स्कीम को यथार्थ में पूर्ण करना बहुत जरूरी है तभी वे अपनी खेती का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि कई शिक्षित युवाओं ने अब अपने गांव की ओर रूख किया है और वे नई तकनीक से कृषि एवं बागवानी करते हुए पर्याप्त धनार्जन कर रहे हैं तथा सभी के लिए प्रेरणा के स्त्रोत बन चुके हैं।

इस वर्ष मातृवन्दना पत्रिका के विशेषांक में ग्राम विकास को लक्षित कर उससे जुड़े पहलुओं पर बुद्धिजीवी लेखकों के लेख प्रकाशित किये गये हैं। जहां एक ओर कृषि एवं कृषक सम्बन्धी आर्थिक पक्ष को उजागर किया गया है वहां दूसरी ओर ग्राम विकास हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्पन्न बाधाओं तथा किसानों की कठिनाईयों को भी उजागर किया गया है। ग्राम के विकास में ग्रामीण परिवेश, यहां की संस्कृति एवं साहित्य तथा समरसता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसका भी चिन्तन किया गया है। शहर की दौड़ कैसे कम हो, नई युवा पीढ़ी गांव की ओर कैसे उन्मुख हो और शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो? इस सम्बन्ध में भी विचार किया गया है। वर्ष प्रतिपदा पर नव वर्ष की बधाई के साथ पाठकों को यह विशेषांक समर्पित है।

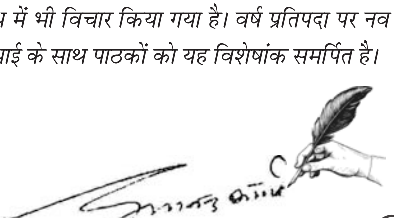

ऋतु बसन्त

आया ऋतु बसन्त, खिल उठा वन-उपवन।
प्रकृति के इस स्वर्णिम उपहार का,
धरती मां भी बाहें पसार करे आलिंगन।।
सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है ऋतु बसन्त।
कण-कण हर्षित हुआ,
खिल उठा कुदरत का हर चमन।।
पतझड़ से आया था जो सूखापन।
डाली-डाली, पत्ते-पत्ते झूम रहे,
भरपूर हो गया धरा का खालीपन।।
फूलों की पंखुड़ियां बिखेरे खुशबू अनन्त।
समस्त धरती संवर रही,
भंवरा भी रसधारा चूसता हुआ करता गुंजन।।
हरियाली से सज रहा पर्यावरण।
मानवता हिलोरे ले रही,
चमक उठा प्रकृति का समूचा आवरण।।
कोयल की मीठी बोली कर रही गुंजायमान।
मयूर भी नृत्य करे,
ऋषि-मुनि-कवि भी करते नित गुणगान।।
बसन्त की हर अदा है निराली।
महक उठा मन-मन्दिर,
जब देखी चहुंओर हरियाली ही हरियाली।।
जीव जगत में उमंग भर लाया बसन्त।
खुशहाली के रंगों से रंगकर,
सुनहरी छटा से प्रफुल्लित हुआ तन-मन।।

-अमरनाथ कौंडल
अम्बुजा सीमेंट लि॰ दाड़लाघाट, हि.प्र.

"बोझा ढोते रहे", अब नहीं

हमने यूं ही
उदास रहकर
अपना समय गवांया।
जो होना था
वो बीत गया
शायद नियति थी
कितना अच्छा होता
विचलित न होते
बीती पर न पछताते
होने वाले से भिड़ जाते।
सारा समय परेशानियों की
मजबूरियों की
दुहाई दे देकर
हम रोते रहे
बोझा ढ़ोते रहे।
नवयुग की पुकार
नववर्ष का त्यौहार
रोकर नहीं, हंस कर मनाएंगे
मेहनत से आगे बढ़ जाएंगे
समरसता बढ़ायेंगे,
मिटायेंगे भ्रष्टाचार
होगा सद्व्यवहार
मनाएंगे नववर्ष का त्यौहार।

-कश्मीर सिंह, चम्बा (हि.प्र.)

ग्रामीण विकास की संकल्पना आत्मनिर्भर हो गांव हमारे

-भैया जी जोशी

भारत में जब औद्योगिक क्रांति या जिसे कहें औद्योगिक विकास का प्रारम्भ हुआ तो देश का सारा तंत्र भी उसी के अनुरूप ढलता चला गया। इस कारण विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण उद्योग-धंधों की अनदेखी हुई विकास की परिकल्पना में अगर ग्रामीण उद्योगों को ध्यान में रखकर रचना की जाती तो शायद देश के विकास की तस्वीर कुछ अलग प्रकार की होती। लेकिन बड़े उद्योगों और केन्द्रित अर्थव्यवस्था के चलते ग्राम उपेक्षित होते चले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्राम लगातार पिछड़ते गए और ग्रामीण रोजगार चौपट होते रहे। इसलिए वहां अब कोई युवक रहने को तैयार नहीं है। इस तरह गांवों के सामने उजड़ने का संकट मुंहबाए खड़ा है। इसी के साथ कृषि की भी घोर उपेक्षा की गई। इससे स्वावलम्बन की भावना, जो विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है, वह भी खत्म होती गई।

जब बड़ी मात्रा में गांव से लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर दौड़ने लगे तो वहां अनियोजित तरीके से बढ़ती भीड़ के कारण शहरों में असंतुलन पैदा हो गया। क्योंकि नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव बढ़ता गया और एक तरह से शहर असंतुलित विकास के शिकार होते गए। गांव का युवक शिक्षा के लिए शहर की ओर ही दौड़ता है क्योंकि गांवों में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा सकी है।

इस सबके परिणामस्वरूप जहां शहरों में संख्या का असंतुलन बढ़ा वहीं गांव उजड़ते से दिखने लगे। खेती किसान के लिए एक बोझ या मजबूरी बनती चली गई कि और कोई चारा नहीं है तो खेती ही करेंगे। आजादी के बाद 61 वर्षों में ग्रामीण विकास का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण चित्र देश में बनता चला गया। देश में विकास की जो परिकल्पना क्रियान्वित की जाती रही, उद्योग के क्षेत्र में जिस प्रकार की विकास योजनाएं बनाई जाती रहीं, वैसी कुछ योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं की गई। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई लेकिन पर्याप्त धन की कमी और क्रियान्वयन में शिथिलता के कारण उनका कोई लाभ गांवों को नहीं मिल सका। ऊपर-ऊपर तो ग्रामीण विकास की योजनाएं बनती रही, उनकी चर्चा होती रही, लेकिन जमीनी स्तर पर गांव विकास की मुख्यधारा से कटे रहे। विकास योजनाएं बनाते समय कैसी दृष्टि रखी गई इसका एक उदाहरण बड़े-बड़े बांधों के रूप में हमारे सामने है। इन बांधों को बनाते समय इस बात पर तो पूरा ध्यान दिया गया कि यहां से बिजली का निर्माण कर शहरों तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन बांधों के जल का उपयोग नहरें बनाकर सुदूर गांवों तक सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई।

ये ठीक है कि देश के विकास के लिए बिजली की भी अत्यधिक आवश्यकता है, इससे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन बांधों का ठीक नियोजन होता तो बांध अधिक उपयोगी बनाए जा सकते थे। बड़े बांधों को विकास का विकल्प मान लिया गया, लेकिन आज इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है कि छोटे-छोटे बांध (चैक डेम) बनाकर गांव-गांव तक जल सिंचन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए

जिससे पानी स्थान-स्थान पर रूकता हुआ गांव-गांव तक उपलब्ध हो सके। बड़े-बड़े बांध बनने से उनके आसपास निचले क्षेत्र में जो गांव थे वे सूखे रह गए और बड़ी मात्रा में उपजाऊ जमीन जल निमग्न हो गई। बांध की सतह में लगातार इकट्ठी हो रही मिट्टी से बांध की ऊंचाई भी धीरे-धीरे कम हो रही है। आज ये समस्याएं सामने आ रही हैं क्योंकि पहले इन पर विचार ही नहीं किया गया। यदि बांध परियोजनाओं को तैयार करते समय गांवों का भी ध्यान रखा जाता तो पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था बनाई जा सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से ये परियोजनाएं सिंचाई प्रधान न रहकर विद्युत निर्माण पर ही केन्द्रित रहीं। हालांकि इसके कारण देश में बिजली का उत्पादन बढ़ा है उसके विभिन्न प्रकार के उपयोग हो रहे हैं। लेकिन इसमें तो संतुलन रखना चाहिए था उसका ध्यान नहीं किया गया। इसलिए देश में विकास का एक असंतुलित परिदृश्य आज हमें दिखाई देता है। 1959 में जो हरित क्रांति का दौर आया जिसका उद्देश्य देश की जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त अन्न की अपलब्धता प्राप्त करना रखा गया ताकि हम दुनिया के साथ चल सकें और हमारे देश में अन्न का संकट उत्पन्न न हो। लेकिन आज कृषि में उसके भी अनेक दुष्परिणाम देखने में आ रहे हैं।

वास्तव में ग्रामीण विकास के लिए जो परिकल्पना चाहिए उसे लेकर हमने पांच बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित कर ग्रामीण विकास के प्रकल्प को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें पहला बिन्दु है- शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य जागरण केन्द्रित कार्यक्रम और तीसरा- कृषि जिसमें खेती को जैविक कृषि की ओर मूल्यवर्धक प्रक्रिया से जोड़ा जाना है, चौथा है- सामाजिक वातावरण निर्माण करना, जिसमें महिला मंडलियों का गठन, मंदिर केन्द्रित ग्रामीण संरचना, वाचनालय, क्रीड़ा मंडली का गठन, क्रीड़ा प्रतियोगिताओं और ग्रामोत्सव का आयोजन, पांचवां-स्वावलम्बन, जिसके अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह खड़े किये जाएं, ग्रामीण उद्योग धंधों को सशक्त बनाया जाए, उन्हें आधुनिक रूप दिया जाए। इन सब गतिविधियों को संचालित करने वाले गांवों को हमने प्रभात ग्राम की संज्ञा दी है जो ग्रामीण विकास की संकल्पना को साकार करने वाले होंगे। इसी क्रम में इन बिन्दुओं पर विचार करते हुए कुछ करने की सोच रखने वाले गांवों को किरण ग्राम और इस विचार को क्रियान्वित रूप देने के लिए कुछ शुरूआत करने वाले गांवों को उदय ग्राम कहा गया है। इस प्रकार ग्रामीण विकास को सामने रखकर गांवों का तीन श्रेणियों में विभाजन किया गया है ताकि ये क्रमशः ग्रामीण विकास की संकल्पना को दृश्यमान कर सकें। गांवों में युवा मंडलियों का गठन कर इन गतिविधियों में युवकों को सक्रिय रूप से भागीदार बनाया जाए, लेकिन यह ध्यान अवश्य रहे कि वे सीधे राजनीति से न जुड़ें और ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों के साथ उनका टकराव न बढ़े। बल्कि सरपंच और युवा मंडली के बीच सहयोगी भावना का संचार हो। इसी क्रम में ये मंडलियां ग्राम सभा को प्रभावी और सक्रिय बनाने में सहयोग दें ताकि उनकी बैठकें नियमित हो सकें। इन मंडलियों के माध्यम से ग्रामीणों में वनीकरण, श्रमदान, स्वच्छता अभियान और धार्मिक आयोजनों के प्रति क्रियाशीलता जगे। इस तरह ग्रामीण विकास का एक सशक्त स्वरूप सामने आएगा। इस प्रयोग के आधार पर अभी देश में करीब पचास प्रभात ग्राम खड़े हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कर्नाटक के मंगलौर जिले में हैं।

गांवों के विकास का अर्थ हैं गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाना और सरकार पर उसकी निर्भरता को नगण्य बनाया। ग्रामीणों में लगातार यह भाव परिपुष्ट हो कि गांव की आवश्यकता हम पूरी करेंगे। गांवों में ऐसे लोगों के समूह खड़े किए जाना आवश्यक है। गांव का पानी, गांव का श्रम वहीं उपयोग में आए। गुजरात में राजपीपला के पास साकवा गांव में ग्रामीणों के प्रयास से एक ऐसा विकास क्रम निर्माण हुआ है जो सबके लिए प्रेरक हो सकता है कि वहां नमक के अलावा कोई चीज शहर से नहीं मंगाई जाती। इतनी आत्मनिर्भरता वहां के ग्रामीणों ने अपने गांव को उपलब्ध कराई है। वास्तव में यही ग्रामीण विकास की संकल्पना है। ❖ **लेखक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सरकार्यवाह हैं।**

भारतीय जीवन व्यवस्था का आधार गांव

-दलेल सिंह ठाकुर

भारत की जीवन व्यवस्था का आधार गांव है। भारत में लगभग 5 लाख 50 हजार गांव हैं जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक देश की जनता निवास करती है। भारत की वास्तविक पहचान भारत के गांव हैं। भारत में प्राचीन काल से ही गांवों में जनसमूह के रहने का उल्लेख है। छोटे-छोटे समुदाय में लोग जहां निवास कर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं उसे गांव की संज्ञा दी गयी है। गांव राष्ट्र की एक इकाई है। गांव से नगर, नगर से शहर, शहर से देश-राष्ट्र की परिकल्पना होती है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में गांव शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के एक सूक्त में अग्नि को गांव की रक्षा करने वाला बताया गया है -**''असि ग्रामेष्वविता पुरोहितो सियज्ञेषु मानुषः''**। वैदिक काल में लोक अग्नि में सुबह-शाम आहुति देते थे। अत: यह अग्नि गांव की रक्षा करती थी, ऐसा विश्वास तत्कालीन समाज में था। अथर्ववेद के बारहवे कांड जो पृथ्वीसूक्त के नाम से जाना जाता है उसमें पृथ्वी की प्रार्थना है। इस पृथ्वी सूक्त के छप्पनवें श्लोक में गांव का वर्णन है-

ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधिभूम्याम्।
ये संग्रामाः समित यस्तेषु चारूदमे।।

भारत के ऋषियों और महर्षियों ने ग्राम्य व्यवस्था का अविष्कार करके समाज के आर्थिक व सामाजिक जीवन की शुरूआत की और इसी जीवन व्यवस्था के आधार गांव बने। इस परम्परा ने मानव को मात्र जीवन जीना ही नहीं सिखाया बल्कि जीवन को सुख-शांति, सफलता और आनन्द के साथ जीने के विचार और संस्कार भी दिये। भारत का हर गांव आज भी संस्कृति को पकड़े हुए है। अधिकतर संत और ऋषि ग्रामीण परिवेश से आवृत ऊंची पर्वत चोटियों और निर्जन वनों में ही साधनारत रहे हैं। अनेकता में एकता की मिसाल यहां की उदार संस्कृति में स्पष्ट परिलक्षित होती है। भारत की एकता के सूत्र सांस्कृतिक आस्था और संस्कार आजतक देशवासियों को संजोए हुए है। सदाचार और संस्कार के माध्यम से मानव समाज में एक आदर और अपनेपन का भाव जाग्रत होता है।

शहरों में ''गुडमार्निंग'' से आदर व्यक्त होता है तो गांव में आज भी नमस्ते तथा नमस्कार बोल कर आदर का भाव व्यक्त होता है। कई लोग तो राम राम, जयश्रीकृष्णा या हरिओम से भी एक भाव व्यक्त करते हैं। इस अभिव्यक्ति में एक सामाजिक समरसता का भाव भी प्रकट होता है। देश का सर्वांगींण विकास करना हो तो देश संगठित होना जरूरी है। जहां अपनापन और आदर हो वहां संगठन भी शक्तिशाली होता है। शादी, जग, भण्डारे, जन्मदिन तीज़-त्यौहार, पर्व, उत्सव, मेले गांव की शान को तो बढ़ाते ही है लेकिन एक-दूसरे को

एक ही कड़ी में बांधने का सशक्त माध्यम भी होते हैं। मेलजोल और भाईचारे की भावना अगर देखनी हो तो भारत के किसी भी गांव में देखी जा सकती है।

त्यौहार, पर्व तथा उत्सवों में एक-दूसरे के घरों में तरह-तरह के पकवान खाना आपसी प्रेम और भाईचारे के द्योतक तो हैं ही साथ ही संस्कृति और संस्कारों को भी बढ़ावा देते हैं। शादियों और मेलों में दूरदराज से आये सगे सम्बधियों, मित्रजनों का मिलन रिश्तों की कड़ी को और मजबूत करता है। गांव और गांववासियों का आपसी प्रेम, व्यवहार, सादगी और भावनाओं से जुड़ा होता है। मैं तो यही कहूंगा कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो एक आदर्श गांव का निवास है। गांव के भजन और कीर्तन ईश्वरीय वास की अनुभूति करवाते हैं। कोई भी समाज तब तक विकास नहीं कर सकता, जबतक वहां सुशिक्षा एवं साक्षरता न हो। पुरातन काल से ही भारत वैश्विक स्तर पर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था।

इस परम्परा को जीवित रखने और देश की अथक प्रगति को तेज करने और भारत की उदार अर्थव्यवस्था को न्यायसंगत बनाने की कुंजी है अच्छी शिक्षा विकसित करना। स्वस्थ परिवार, कल्याण सेवाओं का लाभ उठाने में देश के निर्धन वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि सरकार और गैर सरकारी स्वैच्छिक सेवा संस्थाओं की ओर से उन्हें नि:शुल्क शिक्षा और मूलभूत औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाये। शिक्षा का यह अर्थ कदापि नहीं है कि जनमानस को अक्षर ज्ञान करा दिया जाये और सरकारी कागजों में खानापूर्ति करा दी जाये। शिक्षा का अर्थ यह भी होना चाहिए कि जनता कम से कम अपने देश के विषय में पूरी तरह परिचित हो। यही नहीं देश के कानूनों और लाभकारी योजनाओं से भलीभांति परिचित हो।

भारत की संस्कृति की रक्षा में तथा उसे जीवित रखने में हमारे गांवो का बड़ा योगदान है। आज भी हमारी यह सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि देश के हर गांव को जोड़ने में अपना सहयोग दें। महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि देश सही मायने में गांवो में बसता है। आधुनिकता और प्रगति की स्पर्धा में परिवार बड़े पैमाने पर बिखरते हुए आज हम देख रहे हैं। परंतु गांवों में आज भी संयुक्त परिवार बसते हैं। आज सुख दुख में सब मिलकर साथ में खड़े होते हैं। इसमें एकता का प्रतीक नजर आता है। स्वतंत्र जीवन जीने की लालसा में घर से दूर होकर, संकट की घड़ी में पश्चाताप करने वाले कई परिवारों को हमने देखा है। शहरीकरण की इस दौड़ में लोग शहर में जाकर अपनी भाषा का प्रयोग बंद कर देते हैं, लेकिन गांव में सभी लोग अपनी भाषा का स्वाभिमान बनाये हुए हैं। गांव की भाषा में अपनी मिट्टी की एक अलग ही खुशबू होती है। स्थानीय भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति सहज होती है। जब हम गांव की देशी भाषा में बात करते हैं तो हम एक अद्भुत आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं।

बालिकाओं को अधिक और बेहतर शिक्षा देना इस दिशा में एक साकार कदम होगा। गांवों में शिक्षा एक प्राथमिकता नहीं बल्कि आवश्यकता है। गांवों में शिक्षा के लिए एक क्रांति की तरह काम करना होगा। सरकार के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक को भी इस दिशा में विचार करना होगा। गांव के विकास में गांव के लोगों की सोच बदलनी होगी। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा गांव की भावना सभी में जाग्रत होगी तभी भारत उदय होगा और भारत को विश्वगुरू के रूप में देखा जा सकता है। ❖ **लेखक हि.प्र. विश्व संवाद केन्द्र प्रमुख हैं।**

कृषि वृद्धि एवं कृषक समृद्धि से ही ग्राम विकास सम्भव

-डा. दयानन्द शर्मा

गांव की समृद्धि से ही राष्ट्र पूर्णतया समृद्ध हो सकता है। गांव के खेतों में कृषकों द्वारा उत्पन्न किये गये अनाज, दालों तथा साग सब्जियों से पूरा देश पलता है, यह सब जानते हैं। प्राचीन काल में ग्राम एवं ग्रामीण संस्कृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। वहां उस समय सामूहिक श्रम, समरसता, परस्पर सहयोग एवं सद्भाव था। पर्यावरण संतुलित रहने के कारण प्रकृति का पूर्ण आशीर्वाद था। ऋतुओं के अनुरूप वर्षा, धूप, शीत होने के कारण विभिन्न ऋतुओं में उगने वाली फसलों के लिए सिंचाई हेतु अतिरिक्त जल की आवश्यकता नहीं रहती थी।

जैविक खेती होने के कारण अनाज अन्य फसलों तथा फलों में पौष्टिकता एवं मधुरता बनी रहती थी। वर्तमान में प्रदूषण के कारण पर्यावरण में इतना अधिक असंतुलन हो गया है कि पूरा ऋतु चक्र ही उलट-पुलट हो गया है। सिंचाई हेतु जल का अत्यन्त अभाव दिखता नजर आ रहा है। प्रतिबन्धित कीटनाशकों एवं रसायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से खाद्यान्न विषैले होते जा रहे हैं। बीज, खाद, कीटनाशकों के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भरता और साथ ही पहुंच से बाहर उनकी कीमतों ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। सच्चाई यह है कि किसी भी सरकार के पास खेती के वर्तमान स्वरूप और उसमें पनपी विकृतियों के आकलन की न तो क्षमता है और न ही चिंता। किसानों की बुनियादी समस्याओं को न समझते हुए केवल तात्कालिक लाभ पहुंचाने के लिए कर्ज माफी जैसे उपायों से राजनीतिक दलों को केवल उनके वोट बटोरने की ही फिक्र रहती है। दल इस बात से भी बेफिक्र हैं कि कृषि जमीनों के अधिग्रहण के कारण बीते चार दशकों में खेती के रकबे में 18.5 प्रतिशत की कमी आ चुकी है।

शहरों के बढ़ते आकार में गांव के गांव सिमटते जा रहे हैं। उन गांवो की जमीनें अब खाद्यान्न नहीं उगाती एक मुश्त बहुतेरे रूपये उगाती हैं। इसलिए उनका नामोनिशान मिटता जा रहा है। फिर भी आज देश के पास 10 करोड़ 80 लाख हैक्टेयर खेती योग्य जमीन है किन्तु किसान खाद-पानी-बिजली, उन्नत बीज और उचित बाजार के अभाव में खेती छोड़ने को विवश हुआ जा रहा है। स्वतन्त्रता के सात दशक बीत जाने पर भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और सबसे बढ़ा उद्योग कृषि क्षेत्र सर्वाधिक उपेक्षित बना रहा, यह उसी का परिणाम है। न कुदरत किसान का साथ दे रही है न किस्मत।

सरकार के पास कोई ऐसी ठोस नीति नहीं कि किसानों को कैसे विचौलियों से बचाया जाये, कैसे प्राकृतिक प्रकोप के कारण कम अथवा खराब हुई फसलों के उचित दाम उन्हें मिले और कैसे अधिक मात्रा में हुई फसलों के दामों में गिरावट को नियन्त्रित किया जाये। समुचित भंडारण एवं सुदूर क्षेत्रों तक ताजा सब्जी-फलादि ले जाने की व्यवस्था आज तक सरकार नहीं कर पाई है। किसान क्रैडिट कार्ड, राष्ट्रीय बीमा योजना, कृषियन्त्रीकरण आदि पर उपदान (सब्सीडी) तथा अन्य सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाओं से बड़े किसान ही लाभ उठा रहे हैं। इन सब परिस्थितियों का आकलन किया जाय तो यही बात स्पष्ट उजागर होती है कि सही मायने में ग्राम का विकास अधूरा है।

ग्राम विकास समुचित रूप से हो, उस हेतु सर्वप्रथम किसान और उसकी खेती के सम्बन्ध में गंभीर चिंतन एवं प्रयास जरूरी है। कृषि-वृद्धि एवं

किसान समृद्धि को लक्ष्य मानकर सर्वप्रथम योजनाओं का निर्माण व सही क्रियान्वयन होना चाहिए। इस हेतु किसानों को जागरूक करने, और उन्हें सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से अवगत कराने और सहयोग देने हेतु सरकारी तन्त्र की सुदूर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच होनी चाहिए। किसी भी रूप में कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। सख्ती से ऐसे कानून का अनुपालन हो।

शहर की दौड़ तभी कम हो सकती है जब शहर जैसी बुनियादी सुविधाएं गांवों में उपलब्ध होंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार एवं बाजार ऐसे बुनियादी क्षेत्र हैं जिन पर आम जनता की निर्भरता बनी रहती है। इन्टरनेट एवं संचार के अन्य माध्यम आज सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच चुके हैं, जिनसे शहर-गांवो में ज्यादा अन्तर व दूरी नहीं रही। गांवों के बाजार भी लगभग शहर की कमी पूरी कर रहे हैं। हां किशोर युवाओं और उनके अभिभावकों में यह सोच अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए कि कौन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के योग्य एवं सक्षम है?अन्यथा कृषि भी एक ऐसा वैकल्पिक उत्तम व्यवसाय अथवा आजीविका का क्षेत्र है जिसमें कौशल एवं विज्ञता हासिल कर युवा किसी दूसरे अन्य कार्यक्षेत्रों में अर्जन करने वाले युवकों से आगे बढ़कर बड़े स्वाभिमान से तथा बिना किसी अधीनस्थता के पर्याप्त धन व सम्मान प्राप्त कर सकते हैं।

शहरों के बढ़ते आकार में गांव के गांव सिमटते जा रहे हैं। उन गांवो की जमीनें अब खाद्यान्न नहीं उगाती एक मुश्त बहुतेरे रूपये उगाती हैं। इसलिए उनका नामोनिशान मिटता जा रहा है। फिर भी आज देश के पास 10 करोड़ 80 लाख हैक्टेयर खेती योग्य जमीन है किन्तु किसान खाद-पानी-बिजली, उन्नत बीज और उचित बाजार के अभाव में खेती छोड़ने को विवश हुआ जा रहा है। स्वतन्त्रता के सात दशक बीत जाने पर भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और सबसे बढ़ा उद्योग कृषि क्षेत्र सर्वाधिक उपेक्षित बना रहा, यह उसी का परिणाम है। न कुदरत किसान का साथ दे रही है न किस्मत।

आज वैज्ञानिक तरीके से की गई खेती से कृषक अधिक फसलें उगा रहे हैं। नई प्रजातियों के पौधों को आरोपित कर बागवानी क्षेत्र में क्रांन्ति आ रही है। केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही नई योजनाओं से जागरूक किसान अब फायदा उठा रहे हैं। वर्षा जल को संचित करने के लिए तालाब-पोखर, खुर्ली, टैंक आदि बनाने के लिए हर किसान को पर्याप्त अनुदान दिया जा रहा है। भूमि सुधार हेतु भी पर्याप्त धन राशि उपलब्ध की गई है। किसान रेडियो, ग्राम कृषि केन्द्रों में प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा किसान मित्रों के माध्यम से कृषि सम्बन्धी पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। उत्पन्न खाद्यानों तथा फल-सब्जियों को देर तक सुरक्षित रखने तथा उससे नये उत्पाद तैयार करने के लघुयन्त्र भी जब गांव में स्थापित होंगे तभी किसान अपनी उगाई गई फसलों का और अधिक लाभ उठायेंगे। ग्रामस्तर पर भण्डारण की भी समुचित व्यवस्था होनी आवश्यक है। कृषि विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाएं गांव के खेत हों तभी कृषि में नये आयाम स्थापित हो सकते हैं।

मिट्टी की जांच से यह भी तय किया जा सकता है कि किस विशेष क्षेत्र में कौन से खाद्यान्न अथवा सब्जी फल आदि को उगाने से अधिक उत्पादन मिल सकता है और औसतन कितनी मात्रा में फसल हो सकती है। यदि इस बात का सही अनुमान हो जाए तो सरकार उस फसल के विक्रय की भी उचित व्यवस्था कर सकती है। शहर की दौड़ में गांव अकेले पड़ गये हैं तथापि परस्पर सहयोग की भावना से सामूहिक खेती द्वारा भी कृषि को बढ़ावा मिल सकता है। गांवों को भी उतनी ही जरूरत है जितनी शहरों को। देश का हर छोटा बड़ा किसान जिस दिन आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बन जाएगा, उस दिन हमारा देश विकसित देश कहलाएगा और विश्व में अपनी कीर्ति का परचम लहरायेगा।❖

लेखक प्रसिद्ध साहित्यकार व मातृवंदना पत्रिका के सम्पादक हैं।

पार्क फार्मास्यूटिकल्स की ओर से मातृवन्दना पत्रिका के पाठकों को भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्ल विक्रम सम्वत 2074 की हार्दिक शुभकामनाएँ

with best complements from

PARK PHARMACEUTICALS

DEDICATED TO AILING MANKIND

PARK

Works : Village Kalujhanda, Teh. Kasauli, Distt. Solan (H.P.)

Corporate Office : SCO 204, IInd Floor, Sector 14, Panchkula, Haryana

सामाजिक समरसता एवं परस्पर सहयोग से होगा ग्राम विकास

-डॉ॰ सतीश कुमार शर्मा

ग्राम विकास में ग्रामीणों की सहभागिता के द्वारा ही ग्राम विकास सम्भव है। ग्राम विकास के लिए बहुत से कार्य तो सरकार द्वारा ही किए जाते हैं। इन सभी का लाभ भी ग्राम-विकास में तभी सम्भव है जब परस्पर सहयोग हो। ग्रामीण स्थानों में ग्रामीणों के लिए जनचेतना अनिवार्य है। पारस्परिक सहायता के आधार पर स्वाम्वलम्बन की सहकारिता ही ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सदस्य समानता के आधार पर स्वेच्छा से अपने उत्थान हेतु सामूहिक प्रयास करते हैं। परस्पर सहयोग की भावना से संगठित तौर पर किये गए प्रयासों के फलस्वरूप सदस्य न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं, अपितु एक दूसरे की आर्थिक उन्नति में सक्रिय योगदान कर सकते हैं। इन्हीं उदेश्यों की पूर्ति हेतु सहकारिता के महत्व को समझना अत्यन्त आवश्यक है। सहकारिता-विभाग भी विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को मार्गदर्शन देता है। इससे संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलता है।

ग्राम विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों को परस्पर सहयोग से संचालित किया जाता है। इससे ही हर ग्रामीण को खेती का पूर्ण लाभ पहुंच सकता है। इस समय इसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामूहिक-खेती की आवश्यकता है। पुराने समय में भी लोग सामूहिक-कृषि के कार्य करते थे। इससे परस्पर सहयोग तो होता ही था। इसी के साथ समय की बचत भी होती थी। इसी कृषि-उत्पाद का विक्रय होने पर कृषक को अच्छा लाभ पहुंचता था। कृषि के साथ सामूहिक पशु-पालन का भी ग्राम विकास में महत्व है। इससे दुग्ध उत्पादन तो होगा ही साथ अच्छे मूल्य मिलने से आर्थिक लाभ भी होता है। सामाजिक सन्दर्भों में समरसता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। सामाजिक समरसता के लिए समान अधिकार, समान कार्य व समान सामाजिक महत्व होना चाहिए। समरसता से ही परिवर्तन की गति बढ़ेगी। भारत की अधिकांश आबादी गांव में बसती है। अतः ग्राम-विकास से ही भारत का विकास सम्भव है। समरसता से ही पारस्परिक भेदभाव समाप्त हो सकता है और सहकारिता का भाव तथा गांव में परस्पर सहयोग से कृषि कार्य करने हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण हो सकता है। यह कार्य किसी एक संस्था का नहीं है। इसके लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए। जब जन मानस में समरसता का भाव उत्पन्न होगा, तभी उनमें प्रेम व अपनेपन का भाव जागृत होगा।

यदि जाति प्रथा समाप्त हो जाए तो विषमता दूर होगी। समरसता का भाव जागृत होगा। इससे ग्राम स्तर पर विकास की कल्पना की जाती है। परस्पर सहयोग का अर्थ है जाति, धर्म का विचार न करते हुए एक दूसरे का सहयोग करना। यह विकास का सर्वोपरि साधन है। ऐसी कृषि जिसमें किसान मिलकर भागीदारी से कृषि उद्योग को चलाएं उसे सामूहिक कृषि कहते है, जहां कृषक ऐसा करते हैं, वहां अच्छा लाभ होता है। परस्पर सहयोग व समरसता ग्राम विकास के मूल मंत्र है।

भारतीय संस्कृति की मान्यता है, ''वसुधैव कुटुम्बकम्''। इस भावना का आभास जनमानस को होना चाहिए। जाति, पंथ व आस्था के आधार पर भेद करना हमारी संस्कृति नहीं है। विषमता का तो हर स्तर पर उन्मूलन होना चाहिए। जाति-गत विषमता देश, समाज के लिए घातक है। इससे ग्राम विकास तो हो ही नहीं सकता। सामाजिक विषमता रूपी संकट को मिटाने के लिए ग्राम स्तर पर ही परस्पर सहयोग की आवश्यकता है।

❖

लेखक सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं।

युगानुकूल ग्रामीण पुनर्रचना के प्रयोग

-डॉ॰ दिनेश

ग्राम विकास महज भौगोलिक शब्द नहीं है। नानाजी देशमुख जैसे मनीषी ने (जिनकी हम इस वर्ष जन्म शताब्दी मना रहे हैं) इसके लिए 'युगानुकूल ग्रामीण पुनर्रचना' शब्द का प्रयोग किया है। प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि गांव से जुड़ी जो मूलभूत चीजें हैं उनका संरक्षण ही गांव का विकास है। इसके अलावा और भी विषय हैं जैसे कृषि यानी भूमि की उर्वरा शक्ति, जल यानी सिंचाई, वर्षाजल एवं पेयजल का संरक्षण, जैव संपदा का विकास, नवीकरण यानी वृक्षारोपण। पहले 30 प्रतिशत जंगल होता था और पीपल एवं बरगद जैसे वृक्ष बड़े पैमाने पर लगाए जाते थे जो चार से पांच सौ साल तक प्रकृति पोषण करते थे। इसी प्रकार ऊर्जा यानि सौर ऊर्जा, छोटे-छोटे बांधों से जल ऊर्जा, गोबर गैस आदि विषयों को लेकर काम हो रहा है।

जनसंपदा सबसे बड़ी संपदा है। जनसामान्य हेतु रोजगार, स्वास्थ्य, संस्कार आदि ग्रम विकास की मूलभूत बातें हैं। ये भौगोलिक दृष्टि से विचार करने के विषय नहीं हैं। ये चीजें नगरीय और ग्रामीण सभी क्षेत्रों के लिए समान रूप से आवश्यक हैं जब समग्र देश का चित्र सामने रखते हैं तो इन चीजों के संरक्षण एवं संवर्धन की जरूरत नगरीय क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है। हम सप्त संपदाओं का विचार करते हैं यानि भूमि, जल, जीव, वन, गौ, ऊर्जा और जन। इनका सबसे अधिक संरक्षण वनवासी समाज ने किया है। उससे थोड़ा कम गांव के लोगों ने किया है। इसके विपरीत यदि किसी ने कम किया है अथवा विकास की अंधी दौड़ में शामिल होकर इनके क्षरण का प्रयास जहां सबसे अधिक हुआ है तो वह शहरी क्षेत्रों में ही अधिक हुआ है। इसलिए अधिक समझदारी से इन विषयों पर काम करने की जरूरत नगरीय क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है।

बदलते वक्त के अनुसार जो कुछ जरूरी है, वह गांव में होना ही चाहिए। इसीलिए हम 'युगानुकूल ग्रामीण पुनर्रचना' शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांवों में बहुत बड़ा काम हुआ है। महामहिम डॉ. अब्दुल कलाम गांवों के लिए कुछ बातों पर जोर दिया करते थे। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत चीजें तो चाहिए ही, लेकिन विकास गांव की आत्मा के अनुरूप होना चाहिए। गांव की आत्मा यानि गांव के लोग मिलकर फैसला करें, कोई विवाद नहीं चाहिए। सभी छुआछूत तथा अन्य भेदभाव से ऊपर उठ कर विचार करें। सबके लिए समान श्मशान एवं समान जलस्त्रोत हों। इसलिए विकास की यह कल्पना भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हैं यह प्रकृतिपूरक विकास की कल्पना है। इसमें गांव और शहर में कोई अंतर नहीं है। यह सभी के लिए समान है।

कोयम्बटूर के माता अमृतानन्दमयी मठ में हुए वृक्षारोपण के कारण मठ का तापमान शहर की तुलना में प्राय: तीन डिग्री कम रहता है। वहां आने वाले सभी छात्रों के लिए वृक्षारोपण करना अनिवार्य है। पांच-साल तक विद्यार्थी वहां रहते हैं एवं अपनी पढ़ाई के साथ-साथ वृक्षों का पोषण भी करते हैं। इस कारण अब वहां घनें जंगल विकसित हो गया है। यह शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण को जोड़ने का ही

असर है। पर्यावरण संरक्षण पर हो रहे विश्व सम्मेलनों में जो चर्चा होती है भारत में वह कल्पना प्रारंभ से ही मानवीय जीवन का अभिन्न अंग रही है। इसलिए विकास की अंधी दौड़ के स्थान पर प्रकृतिपोषक विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

ग्राम विकास को लेकर एक और बिंदु को समझना जरूरी है, संघ के कार्यकर्ता उत्प्रेरक की भूमि में हैं, विकास कार्य गांववालों को स्वयं ही करना है, सरकारों के भरोसे बैठे रहने की बजाय वे अपने गांव के विकास हेतु स्वयं प्रयास करें, ऐसे प्रयोग जहां भी शुरू हुए हैं वहां परिणाम देखने लायक हैं, ऐसे करीब 200 गांव हैं जहां विकास का अच्छा काम हुआ है। उनके आसपास के काफी ग्रामों पर भी असर है। वहां व्यसनमुक्ति, समरसतापूर्ण व्यवहार, स्वरोजगार, स्वास्थ्य, जैविक कृषि आदि आयामों को लेकर प्रशंसनीय काम हुआ है। इस समय में करीब 200 प्रभात ग्राम हैं इसके अलावा 700 गांव ऐसे हैं जिन्हें हम 'उदय ग्राम' कहते हैं। जिन गांवों में शुरू हुए प्रयोगों को आसपास के गांवों में अपनाया गया है, उन्हें हम 'प्रभात ग्राम' कहते हैं। जिन गांवों में ग्राम विकास के प्रयोग शुरू हो गए हैं और उनका परिणाम दिखाई देना शुरू हो गया है उन्हें हम 'उदय ग्राम' कहते हैं, जहां ग्राम विकास को लेकर चिंतन शुरू हो गया है उन्हें हम 'किरण ग्राम' कहते हैं।

कुछ प्रभात ग्राम कि चर्चा करें तो असम के नलबाड़ी जिले में स्थित सांदाकुर्ची गांव का नाम ध्यान में आता है, वह शून्य लागत कृषि के कारण आसपास के दस गांवों का केन्द्र बना हुआ है। पंचगव्य उत्पादों का निर्माण भी वहां बड़े पैमाने पर होता है। व्यसनमुक्ति हालांकि वहां कठिन है, लेकिन वह भी काम हुआ है। स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन का काम भी हुआ है। इसलिए वहां काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता को वहां की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पुरस्कृत किया। मध्य प्रदेश के नरसिंह पुर जिले के मोहद गांव का असर आसपास के पांच गांवों पर है। वहां एक बड़े ग्राम पुंज में जैविक कृषि, जल संरक्षण, हर घर में शौचालय, गोबर गैस और स्वच्छता के सफल प्रयोग हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद के पास मिरगपुर गांव है। वहां की अपनी एक सामाजिक परम्परा है। कई सौ वर्षों से वहां लोग किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। गोपालन और व्यसनमुक्ति को लेकर वहां देखने लायक काम है। हरियाणा एवं पंजाब तक से लोग वहां आते हैं।

तीर्थहल्ली में कृषि प्रयोग परिवार के माध्यम से करीब 500 लोग जैविक कृषि करते है। इडकिदु गांव में भी अच्छा काम हुआ है। महाराष्ट्र के जालना जिले में दहीग्वाहण नामक गांव है, जहां गोबर गैस ऊर्जा और जल संरक्षण का प्रेरक प्रयोग हुआ है। वहां एक नदी है जिस पर छोटे-छोटे बांध बनाने से आसपास के कई गांवों का जलस्तर ऊपर आया है। आंध्र के वारंगल जिले में गंगदेवपल्ली नामक गांव में एक ही जलस्त्रोत में सभी घरों को पेयजल उपलब्ध कराने व जल के दुरुपयोग को रोकने का सराहनीय प्रयोग हुआ है।

संघ के स्वयंसेवक भी वहां हैं लेकिन यह एक प्रकार से सामाजिक प्रयास है। यह इस बात का उदाहरण है कि समाज मिलकर किस प्रकार एक बड़ा अनुकरणीय कार्य कर सकता है। उत्तराखंड में उत्तर काशी जिले के मनेरी विकास खंड के 60 गांवों में सशक्त काम हुआ है। पर्वतीय गांवों में किस प्रकार कार्य हो सकता है यह उसका उदाहरण है। गुजरात में सूरत के पास देवगढ़ नामक एक वनवासी गांव है। वहां स्वावलम्बन का काम आसपास के 25 गांवों में हुआ है। वहां चावल की खेती बहुत ही सुनियोजित ढंग से होती है। यह कार्य सहकारी पद्धति में होता है और लाभ का बंटवारा सभी सदस्यों में होता है। सब्जी उत्पादन भी

बड़े पैमाने पर होता है। 80 किमी दूर यानि सूरत तक से लोग वहां सब्जी खरीदने आते हैं। बांस से भी वे विभिन्न प्रकार के सामान बनाते हैं। वनवासी क्षेत्र में विकास का यह एक नमूना है।

राजस्थान के **......झालावाड़** जिले में मानपुरा गांव है, जहां जैविक कृषि का उल्लेखनीय काम हुआ है। आसपास के 20-25 गांवों पर इसका असर है। हल्दी और जीरे की खेती वहां बड़े पैमाने पर होती है। वहां की पैदावार पूरे देश में जाती है। यह शून्य लागत खेती का बड़ा प्रशिक्षण केन्द्र भी है। यह गांव व्यसनमुक्त एवं विवादमुक्त भी है। स्वास्थ्य हेतु वहां बहुत पहले से एक परम्परागत चिकित्सा पद्धति चली आ रही है। करीब 90 प्रतिशत रोगों का उपचार उसी पद्धति से हो जाता है। बिहार के हाजीपुर जिले में मंडुबा गांव है जहां युवाओं को दिए गए प्रशिक्षण के कारण आसपास के 10 गांवों से 50 नौजवान सेना तथा रेलवे में भर्ती हुए हैं। पहले वहां शिक्षा का प्रसार बहुत कम था। लेकिन एक स्वाध्याय केंद्र के माध्यम से यह उल्लेखनीय कार्य खड़ा किया गया है। एक सशक्त गांव किस प्रकार पूरे जिले को आप्लावित कर सकता है यह उसका उदाहरण है।

पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर जिले में तीजपुर गांव है। वहां शिक्षा प्रसार का काम हुआ है। वहां कुछ वनवासी बस्तियां भी हैं। चार पांच स्थानों पर ग्रामवासियों द्वारा निशुल्क शिक्षा का कार्य चलता है। वहां बालक एवं बालिकाओं के लिए बहुत अच्छे संस्कार केन्द्र भी हैं। दक्षिण भारत में ऐसे विकसित ग्रामों की श्रृखंला बहुत लंबी है। कर्नाटक में जैविक कृषि का बहुत विशाल काम हुआ है। कर्नाटक के दानों प्रांतों ने मिलकर तीन कार्यक्रम किए जिनमें करीब एक हजार ग्रामों से लगभग 2500 लोग आए। एक कार्यक्रम मैसूर में हुआ जबकि अन्य बेंगलुरू एवं बागलकोट में हुए। वे मुख्यत: जैविक कृषि करने वाले किसान थे।

तीर्थहल्ली में कृषि प्रयोग परिवार के माध्यम से करीब 500 लोग जैविक कृषि करते है। इडकिदु गांव में भी अच्छा काम हुआ है। महाराष्ट्र के जालना जिले में दहीग्वाहण नामक गांव है, जहां गोबर गैस ऊर्जा और जल संरक्षण का प्रेरक प्रयोग हुआ है। वहां एक नदी है जिस पर छोटे-छोटे बांध बनाने से आसपास के कई गांवों का जलस्तर ऊपर आया है। आंध्र के वारंगल जिले में गंगदेवपल्ली नामक गांव मे एक ही जलस्त्रोत में सभी घरों को पेयजल उपलब्ध कराने व जल के दुरुपयोग को रोकने का सराहनीय प्रयोग हुआ है। वहां घर के अंदर पानी ले जाने की मनाही है। घर के बाहर एक निश्चित स्थान है जहां तक पानी ले जाने की अनुमति है। गांववालों ने तय किया कि बैंक एक प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं लेगा। इसलिए बैंक भी गांववालों की शर्तो पर ऋण देता है। ओड़िशा और तेलंगाना की सीमा पर बसे श्रीकाकुलम जिले में कडमू गांव है। वहां एक गांव के कारण दस गांवों में बाल संस्कार का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। ये बाल संस्कार केन्द्र विद्यालयों जैसे चल रहे हैं।

देश के प्रत्येक खंड में कम से कम एक गांव स्वाभाविक रूप से ऐसा खड़ा करने का प्रयास है जहां काम देखने लायक हो। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में कम से कम एक प्रभात ग्राम खड़ा हो ताकि वहीं के लोग उसे देखकर उसका अनुकरण करें। इसके अलावा यह भी प्रयास है कि ग्राम विकास का काम करने वाली कुछ संस्थाएं खड़ी हों जैसे कि दीनदयाल धाम मथुरा, ग्राम भारती, दीनदयाल शोध संस्थान जैसी संस्थाएं कर रही हैं। गायत्री परिवार जैसी संस्थाओं के द्वारा भी अच्छा काम हो रहा है। ग्राम विकास सभी को साथ लेकर चलने वाला काम है। ❖ **लेखक रा.स्व.संघ के अखिल भारतीय ग्राम विकास प्रमुख हैं।**

गौ आधारित ग्राम विकास

'गाय बचेगी तो मनुष्य बचेगा वह नष्ट हुई तो उसके साथ हम सभी अर्थात् प्रकृति, पशु-पक्षी पर्यावरण रक्षण और हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी।'

-महात्मा गांधी

भारत में गौ को माता के रूप में माना गया है। धार्मिक ग्रन्थों, संत पुरूषों व समाज सेवियों ने भी गौरक्षा व गौसंवर्धन को धर्म के साथ जोड़ा है। **'विप्र धेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार'** कहकर भगवान् के अवतरित होने का कारण भी गौरक्षा बताया है।'गोमय की प्रशंसा की गई है। गौ के रोम-रोम में देवताओं का वास बताया गया है। कृतज्ञता सभ्य समाज का सहज स्वभाव है। हमारे यहां धरती माता, तुलसी माता, गोमाता, गंगा माता जैसे शब्द-प्रयोग इसी उदात्त भावना के द्योतक हैं। अति प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने इस सत्य का साक्षात्कार किया था कि प्राण अन्नमय है अत: उन्होंने अन्न उत्पादन के लिये कृषि शास्त्र विकसित किया। महाराज पृथु ने अपने हाथ से कृषि प्रारम्भ की प्रजा के हितार्थ। **'येन दुग्धा महीपूर्वं प्रजानां हितकारणात्।'** धरती का दोहन करनेवाले पृथु को धरती का पिता कहा गया है। इसी भूमि से अन्न उत्पन्न हुआ तथा अन्न से जीवन बना। इसलिये धरती मातृवत् बनी। मानव शैशवावस्था में अपनी मां के दूध पर पलता है उसका शेष जीवन निर्भर करता है गोदुग्ध व अन्न पर। धरती के समान गौ को भी माता कहा गया है।

ग्राम विकास का आधार कृषि है, कृषि का आधार गौ है। वह मात्र पशु नही है। एक परिवार में उसे महान् श्रद्धा का स्थान प्राप्त है। प्रथम ग्रास गौ के लिए होता है। गोपनीय, गुप्त गोष्ठी, गवाक्ष, गोपाल शब्द गो-आधारित हिन्दू संस्कृति को प्रकट करते हैं। ऋषियों ने गाय को पशु नहीं अपितु देवताओं का वास स्थान कहा है। गोरक्षा का अर्थ सामान्य जीव की रक्षा नही मानव-जीवन की रक्षा है।

अथर्ववेद में गौ को अनुपमेय कहा गया है। **'धेनुः सदनमूरणीयाम्।'** गाय के दुग्ध, घी, छाछ, दही, गौमूत्र तथा पंचगव्य का सेवन करने से शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक दृष्टि से हम स्वस्थ व निरोग रहते थे। गाय अखाद्य चारा खाकर खाद्य दूध उपलब्ध कराती है अत: उसे हमने गोपिन कहा।

ग्राम विकास के अन्तर्गत कृषि, उद्योग, स्वास्थय, शिक्षा संस्कार, स्वावलम्बन, समरसता, पर्यावरण, स्वाभिमान आदि विषय आते हैं। कृषि का आधार मिट्टी है। मिट्टी एक अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा हैं पौधों, वृक्षों तथा अन्य वनस्पतियों को उगने के लिए भूमि अनिवार्य है। हजारों वर्षो से हम इस धरती पर खेती करते आए हैं अधिक अन्न उपजाने की प्रतिस्पर्धा के कारण रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से प्रभावित हो रही है हमारी धरती। धीरे-धीरे धरती की उत्पादन क्षमता भी कम होने लगी है। भूमि की ऊपरी परत का क्षरण भी हो रहा है।

रासायनिक उर्वरक डालकर जो अन्न या शाक का उत्पादन किया जाता है है उसमें उर्वरकजन्य दोष उत्पन्न होकर उसकी मूल गुणवत्ता समाप्त कर देते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी जैसे प्रगत माने जाने वाले देशों की अधिकांश भूमि रासायनिक उर्वरकों के अमर्यादित उपयोग के कारण बंजर हो गई है। वहां नैसर्गिक खाद से उत्पादित वस्तुओं को लोग अधिक मूल्य भी देकर क्रय करते हैं। रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों के कारण पर्यावरण भी प्रभावित हुआ है।

ग्राम विकास में गौ का योगदान

गाय के पेट में सात कारखाने पलते हैं।

1.गोमय: धरती की प्राकृतिक खुराक गोमय है। गोमय से खाद निर्माण करने की भिन्न-भिन्न पद्धतियां है जिनके द्वारा प्रत्येक किसान अपने घर में खाद निर्माण करके स्वावलम्बी बन सकता है।

i) गोबर गैस/बायोगैस की सलरी सर्वोत्तम जैविक खाद है। अन्य कचरा के साथ सलरी मिला देने से वह भी कम्पोस्ट बन जाता है।

ii)नाडेप पद्धति 10X5X3 फीट का जालीदार टांका बनाकर एक विशिष्ट पद्धति से कचरा, गोमय व मिट्टी भरी जाती है। तीन-चार माह में बढ़िया खाद बन जाती है। 2.00 प्रति किलो के भाव से बेचने पर 6000 रुपये का खाद एक बार में बिकती है। वर्ष में 18 हजार की खाद बनती है। एक किलो गोबर से 20 कि.ग्रा खाद बनती है।

iii) गाय की सींग में गोबर भरकर छह माह जमीन में गाड़कर रखने से 'सींग खाद' प्राप्त हो जाता है। 35 ग्राम खाद एक एकड़ के लिए पर्याप्त होती है।

iv) भूमि में 12X4X3 फीट आकार के गड्ढे बनाकर उसमें गोबर व कचरा डालकर खाद बनाना। इसमें 130 दिन लगते है।

2. **गोमूत्रः** यह तो महारसायन है। गौमूत्र से अनेक प्रकार के आसव, अरिष्ट, वटिका, नेत्रबिन्दु आदि औषधियां बनाई जाती हैं। इस प्रकार एक गाय के गोबर व मूत्र से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री व औषधियों का निर्माण ग्राम के तरुणों के लिये एक अच्छा उद्योग प्रदान करता है।

कीटनाशक के रूप में गोमूत्र में नीम के फल व पत्ती का उपयोग करके उत्तम प्रकार का कीटनाशक निर्माण किया जाता है। जो पर्यावरण व उत्पाद को प्रदूषित नहीं करता।

'गौ अनुसंधान केन्द्र, देवलापार' (महाराष्ट्र) तथा आदर्श गो सेवा एवं अनुसंधान प्रकल्प अकोला (महाराष्ट्र) में चल रहे प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया है कि दूध न देने वाली गाय से भी हम गोमय व मूत्र के रूप में 16 हजार रूपये की सामग्री प्रतिवर्ष प्राप्त कर सकते हैं।

3. **गौमय** से हम मीथेन गैस प्राप्त करते हैं जिसके परिणामस्वरूप हमें ईंधन के लिए पेड़ काटने की आवश्यकता नहीं रहती। भोजन पकानेवाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। घर की स्वच्छता बनी रहती है। ग्राम के कारीगरों, पाइप फिटिंग करने वालों, सुधारने वालों को कार्य मिलता है।

4. **दूधः** गौ से प्राप्त दूध मे ंवही सारे गुण उपस्थित रहते हैं जो एक मां के दूध में रहते हैं। गौदुग्ध से दही, घी, छाछ, मलाई, पेड़ा आदि उत्तम पदार्थों का निर्माण किया जाता है। एक गाय से 5-7 लोगों के परिवार का भरण-पोषण हो सकता है।

5. **बैलः** भारत में बैलों से खेती करने की प्राचीन परम्परा है। एक गाय अपने जीवनकाल में बारह बैलों को जन्म देती है तो उसका मूल्य कितना होगा? कम से कम 60-70 हजार रूपये तो होगा ही। परिवहन, कृषि, सवारी आदि के लिए बैल उपयोगी होते हैं।

6. **घी द्वारा प्रदूषण मुक्तिः** ओजोन को पाटने की क्षमता अग्निहोत्र में होती है। पर्यावरण शुद्धि के लिए हवन में घृत का उपयोग होता है।

7. **चमड़ाः** वस्त्र आच्छादन के लिए तथा जूते आदि बनाने में चमड़े का उपयोग होता है।

'ग्रामे ग्रामे सभाकार्या गेहे गेहे शुभा कथा
पाठशाला मल्लशाला गवां सदनमेव च'

देश में बड़े शहरों की संख्या लगभग 200 है। गांवों की संख्या 5 लाख 79 हजार 179 है। गोरक्षा का अर्थ सामान्य जीव की रक्षा नहीं, ग्राम जीवन की रक्षा है। उसे भूखा-प्यासा रखना, गलियों में अखाद्य व प्लास्टिक खाने

के लिए छोड़ना अक्षम्य अपराध है।

साधारणत: एक स्वस्थ गाय 10 से 15 लीटर मूत्र प्रतिदिन देती है। गोमूत्र सही पद्धति से संग्रहीत किया जावे तो दवा के काम आता है। रू. 3.00 प्रति लीटर की दर से बिक सकता है। आसव, अरिष्ट, वटी, शैम्पू, साबुन आदि प्रसाधन व आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण होता है।

पंचगव्य से संचित विष नष्ट होने की बात आचार्यों ने कही है। उदरकृमि, हृदयरोग, कैंसर, जलोदर, बवासीर के रोगी गोमूत्र सेवन से ठीक हुए हैं। गोबर में अलग-अलग प्रकार के 16 तत्व पाए जाते हैं। मूत्र में 24 प्रकार के खनिज तत्व होते हैं। गोबर व गोमूत्र धरती का आहार है। ग्राम के विकास में गौ की महत्ता विषय पर चर्चा करते समय हम विदेशी गाय की चर्चा नहीं कर रहे। विदेशों में गाय का मूल्य उसके मांस व दूध देने की क्षमता पर निर्भर करता है। इंग्लैंड में गायों को दूध बढ़ाने के लोभ में मांस खिलाया गया उसके परिणामस्वरूप उंक बवू कपेमेंम उत्पन्न होने से हजारों गायों को मार डाला गया।

भारत में गाय की संतति का उपयोग कृषि कार्यों के लिए होता है। उससे प्राप्त होने वाली सभी वस्तुएं ग्रामोपयोगी होती हैं। देशी गायें, गीर, काकरेज, थारपारकर, सिंधी, साहीवाल, मालवी, मांटगोमरी इत्यादि उचित देखरेख व खुराक देने पर किसी भी विदेशी गाय से कम नहीं हैं। दुनिया की श्रेष्ठ प्रजाति की गाय **भारत में होती है। उसके कंधे पर कांधेर होती है। उसके दूध में स्वर्ण की मात्रा रहती है जो पूर्ण आहार है।**

ग्राम में गोपालन से एक परिवार अच्छी प्रकार से जीवनयापन कर सकता है। बूढ़ी, अपाहिज, बिना दूध वाली गाएं भी अपने जीवन में इतना कुछ दे देती है जो उनके ऊपर किए गए व्यय से कहीं अधिक है। भारतीय कृषि में गाय को प्रधानता देकर गौ रक्षा, गौ संवर्धन व गोधन की महत्ता पर ध्यान देकर ग्राम को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी रूप से सम्पन्न किया जा सकता है। ❖ साभार : सेवा साधना पुस्तक।

Dr. Hem Raj Sharma

Specialist in Kshar Sutra Therapy
(Piles, Fistula, Anal Polyps, Prolapse Rectum, Pilonidal Sinus)
Formerly Incharge Medical Officer,
DAH Una, Govt. of Himachal Pradesh
NATIONAL CHIKITSAK GURU
RAV (National Academy of Ayurved) New Delhi
Under Ministry of Health & Family Welfare, Deptt. of Ayush, Govt. of India.

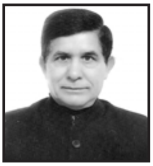

B.Sc. HPU Shimla, GAMS, MD, University Rohtak, PGD Health & Family welfare, Punjab Uni. Chandigarh CC. Yog & Naturalpathy, Gujrat University, Jamnagar, CRAV Kshar-Sutra Specialisation, New Delhi

"सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वेसन्तु निरामया:"

JAGAT HOSPITAL
&
Kshar Sutra Centre
Near Govt. College, Nangal Road, Una (H.P.)
Pin : 174303
94184-88660, 88940-68358, 94593-88323

जैविक कृषि के बिना होगा अधूरा ग्राम विकास

-धर्म सिंह ठाकुर

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहकर कृषि करती है। कृषि न मात्र ग्राम विकास की रीढ़ है, अपितु मानव विकास की मूलभूत आवश्यकता है। नि:संदेह कृषि के बिना ग्राम विकास की कल्पना भी सम्भव नहीं है। ग्राम की मेरूदण्ड कृषि होती है तो शहरों की मेरूदण्ड उद्योग होते हैं। शहरों का विकास उद्योग पर आधारित होता है। यदि भारत को विकासात्मक दृष्टि से विभक्त करना हो तो भारत को दो विकासात्मक भौगोलिक भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक है ग्रामीण भारत और दूसरा शहरी भारत। जबकि मानव जीवन के लिए ग्राम और कृषि है और शहरी भारत का आधार है उद्योग। अब हम तनिक विचार करे कि पहले ग्राम बना फिर ग्राम का विकास हुआ और शहर बने। पहले कृषि आई फिर उद्योग आये। जबकि मानव जीवन के लिए ग्राम और कृषि प्राथमिक आवश्यकता है और शहर व उद्योग दूसरी बड़ी आवश्यकता है, हो सकता है कि किसी प्रकार के उद्योग से किसी व्यक्ति का लेशमात्र भी लेना-देना न हो। यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को उस उद्योग विशेष से जीवन भर में कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी हो। परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति अपवाद में भी नहीं हो सकता है कि उसे कभी किसी प्रकार से कृषि से सम्बन्ध ही न रहा हो। उद्योगों से निकलने वाले किसी उत्पाद की किसी को आवश्यकता ही न पड़ी हो ऐसा होना सम्भव है परन्तु यह नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को कृषि उत्पाद की आवश्यकता ही न पड़े।

इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जब भोजन का अन्य कोई विकल्प है ही नहीं तो कृषि का कोई अन्य विकल्प कैसे हो सकता है किन्तु भारत में वास्तविकता को समझने से अधिक रूचि में मत एकत्र करने की योजनाओं का मध्य रखते हुए ही विकास की योजनाएं बनाई गई। इस कारण योजनाएं अधिकतम रूप में वास्तविक प्राथमिकताओं को जानते हुए भी अपनी सत्ता को भविष्य में भी स्थिर रखने की मंशा से क्रम रूप में परिवर्तित होती रही।

कृषि के आते ही तो आदिमानव ने अपनी विकास यात्रा प्रारम्भ कर दी थी। धीरे-धीरे यह विकास भूमि से निकल कर जल और नभर तक तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ता गया। भले ही आज भी भारत में ऐसे ग्राम भी हो सकते हैं जो परम्परागत रूप से कृषि करते हों। किन्तु ऐसा शायद ही कोई ग्राम अब शेष बचा हो जहां सभी कृषि उपाय परम्परागत रूप में ही किए जाते हों। अत: अब राष्ट्र के बहुसंख्यक किसान आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग करते हैं। आज के व्यक्ति ने स्वयं ही अपनी आकांक्षा के कारण अपने लिए समस्याएं खड़ी कर रखी है। जबकि वैज्ञानिक और डॉक्टर आज भी कहते हैं कि मानव का शरीर भोजन को पका कर खाने के लिए नहीं बना है अर्थात् हमारा शरीर अनाज को भिगो कर खाने के लिए बना है। यह तन भगवान ने शान्ति कार्यों के लिए बनाया है। इस हमारे खाने की अनुचित परम्परा के कारण भारत में अन्न का अभाव ऐसा सबको अन्न तो मिले। इस विचार को केंद्र बढ़ा नई तकनीक रासायनिक खाद और विषैले कीटनाशियों के प्रयोग से भूमि को विषयुक्त कर दिया है। अब भारत एक सक्षम राष्ट्र हो गया है।

अब रसायनिक खाद के उपयोग से नि:संदेह अन्न का उत्पादन बढ़ा है। अब भारत में अन्न का अभाव भी नहीं है। ऐसी स्थितियों में भारत जो रासायनिक खेती छोड़ कर शहर की ओर बढ़ रहा है, इसके लिए शायद

अब तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उचित रास्ता है क्योंकि देश में खाद्यान्न पर्याप्त है और देश कृषि की स्थिति से जूझने में भी सक्षम है।

यदि आधुनिक तकनीक और जैविक कृषि के उपायों का समन्वय कर देश का किसान और सरकार कृषि योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं तो भारत में पर्याप्त खाद्यान्न और विषमुक्त खाद्यान्न का सपना पूरा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जैविक कृषि में रसायन का प्रयोग न करते हुए भी रसायन जितने खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता है, इसके लिए सरकार और देश के किसानों को मिलकर कार्य करना होगा तभी यह स्वप्न साकार हो सकता है। रसायन और कीटनाशक के कारण खाद्यान्न विषमय हो गए हैं। मां के दूध में डी0डी0टी0 विष पाया जा रहा है तो हमें यह विषय गम्भीरता से लेना ही होगा। हमें अपने पूर्वज ऋषि-मुनि (तत्कालीन वैज्ञानिक) विज्ञानियों पर पूर्ण आस्था रखते हुए यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि कृषि में वैदिक अथवा जैविक कृषि का कोई विकल्प नहीं है। जब राष्ट्र की कृषि और उद्यानिकी तथा शहरों के उद्योग मिलकर उन्नति करेंगे तो ग्राम और शहर तथा कृषि और उद्योग का अन्तर समाप्त होगा। अतः ग्राम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। कृषि में नई तकनीक का प्रयोग कर रसायन और कीटनाशक से पर्याप्त अन्न तो उगा दिया किन्तु विषयुक्त। अब हम इसे विषहीन करने के लिए जैविक खेती की तैयारी कर रहे हैं। यदि पहले से रसायन और कीटनाशक के प्रयोग के स्थान पर जैविक कृषि के प्रयोग किए होते तो आज भारत इतना अधिक उत्पादन भी करता और अन्न उत्पादन भी होता। किन्तु अब हमें जैविक खेती अपनाने में अधिक देर नहीं करनी चाहिए।

कृषि समाज की प्रथम आवश्यकता है। इसलिए स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक ध्यान कृषि पर केन्द्रित कर, कृषि के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण होना चाहिए था किन्तु जल्दी-जल्दी विकास करने की कवायद से उद्योग को कृषि से अधिक महत्व दिया गया। यह कारण है कि शहर की विकास दर बढ़ी। जबकि ग्राम में विकास और कृषि विकास की दर नहीं बढ़ पायी। मेरा कहने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उद्योग शब्द विकास में महत्व नहीं रखते। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि कृषि और उद्योग में विकास की प्राथमिकता तय करनी हो तो कृषि को पहले लेना चाहिए।

बागवानी भी कृषि का एक विजन है। अन्तर इतना है कि कृषक अन्न उत्पन्न करता है और बागवान अर्थात् उत्पादक फूल और फल उगाते हैं। किन्तु फिर भी व्यक्ति के लिए फल से अधिक आवश्यकता अन्न की ही है। कृषि हो या उद्यानिकि दोनों को ही वैदिक कृषि के साथ चलना ही होगा। यही समय की पुकार है। यदि कृषि और उद्यानिकि प्रत्येक ग्राम में उन्नत होगी तो इससे शहर की ओर होने वाले स्थानान्तरण अर्थात् ट्रांसफर को रोका जा सकता है। यदि कृषक को उद्योग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों तो कृषि का विकसित होना सुलभ हो जाएगा। अतः अब ग्राम विकसित हो जाएं हमें यह प्रयत्न करना होगा। इससे शहरों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा और ग्राम के विकसित होने से राष्ट्र विकसित हो जाएगा। ❖ **लेखक कृषि एवं बागवानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।**

We Care Your ......
Healthy Smile
Manufacturing available :
Betalactum Tablets
Non-Betalactum Tablets
Capsules
Dry Syrup
Liquid Orals-Suspension
Pioneer in Manufacturing of
Amoxy - Clave 625, 375, 1000
POLO PHARMACEUTICALS (P) LTD.
(An ISO 9001 : 2000 Certified Company)
Works : Plot No. 200, HPSIDC, Ind. Area, BADDI,
Distt. Solan (H.P.) Ph. : 01795-247006, 245860
E-mail : polopharma_baddi@rediffmail.com
Website : www.polopharma.com

जैविक खेती से बदल गई दुनिया

उज्जैन में आयोजित ग्राम संगम में किसानों ने बताया कि जैविक खेती ने कैसे उनकी दुनिया को बदल दिया और जो खेती पहले घाटी दे रही थी, अब वहीं लाभ देने लगी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की तराना तहसील के ग्राम कढ़ही के रहने वाले किसान राम सिंह क्षेत्र के अन्य किसानों की तरह ही खेती करते थे, लेकिन जी-तोड़ मेहनत के बाद भी बमुश्किल जीवन-यापन कर पाते थे। वे सालभर में एक लाख रूपए तक की रासायनिक खाद उपयोग में लाते थे, लेकिन पैदावार से संतुष्ट नहीं थे, जमीन की उर्वरा क्षमता कम होने की आशंका भी सताती रहती थी। वहां उन्हें जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। वर्ष 2003 से उन्होंने जैविक खेती आरंभ की तो जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई। संघ के

माध्यम से उन्होंने भीलवाड़ा में जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया और नतीजा यह कि अब रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते जिससे हर साल डेढ़ सौ लाख रू. बचते हैं।

जमीन बढ़ती हुई 170 बीघा और गोवंश की संख्या 40 हो गई। ऐसा ही बदलाव धार जिले के सुमरेल गांव मे आया जहां जल संवर्धन और जैविक खेती के माध्यम से 8000 की आबादी वाले गांव की किस्मत बदल गई। सुमरेल में 80 फीसदी सिंचाई ड्रिप द्वारा होती है और 40 से अधिक कृषि स्नातक और स्नातकोतर स्वयंसेवक न सिर्फ खुद जैविक खेती करते हैं, बल्कि ग्रामवासियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। क्षेत्र के 436 गांवों के 1,392 किसानों ने अपने ऐसे ही अनुभव उज्जैन स्थित माधव सेवा न्यास में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा प्रांत के ग्राम संगम में साझा किए।

संगम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने काह कि भारत गांवों में बसता है इसलिए वैभवशाली भारत का निर्माण गांवों के विकास के माध्यम से ही संभव है। आज विज्ञान का विकास हुआ, मानव जीवन में सुविधाएं आ गईं लेकिन सुख नहीं आया। तकनीकी प्रगति से विकास बहुत हुआ लेकिन हवा, पानी, जमीन, पर्यावरण खराब हुए। जंगल कट गए और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज विकास पर्यावरण के विनाश के माध्यम से हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत ही विश्व को रास्ता दिखा सकता है क्योंकि हमारी सोच है संपत्ति के साथ नीति, सुविधा के साथ सुख और पर्यावरण की चिंता के साथ विकास। हमारी प्राचीन परंपरा में कुछ ऐसे मूल्य हैं जो बाकी दुनिया के पास नहीं हैं। इसलिए ये ज्ञान, नई तकनीक को हमें लेना है लेकिन उसे देशानुकूल बनाकर। ग्राम विकास के लिए जैविक खेती और गो-पालन आवश्यक है। हम गाय को केवल दूध के लिए नहीं पालते, हम गाय को गोमूत्र और गोबर के लिए पालते हैं। गोमूत्र और गोबर खाद तथा कीटनाशक का काम करते हैं जिससे रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का खर्च बच जाता है। रासायनिक, खाद ने जमीन को बंजर तो बनाया ही है लेकिन अनेक आधुनिक बीमारियों का विस्तार भी किया है।

हमारी सोच है संपत्ति के साथ नीति, सुविधा के साथ सुख और पर्यावरण की चिंता के साथ विकास। हमारी प्राचीन परंपरा में कुछ ऐसे मूल्य हैं जो बाकी दुनिया के पास नहीं हैं, हमारी संस्कृति खेतों, गांवों और जंगलों से निकली है। इसलिए ये ज्ञान, नई तकनीक को हमें लेना है लेकिन उसे देशानुकूल बनाकर। ग्राम विकास के लिए जैविक खेती और गो-पालन आवश्यक है।

बुरहानपुर जिले का ग्राम हरदा जल संरक्षण के कार्य से क्षेत्र में मिसाल बन गया, जहां 80 खेत तालाबों के माध्यम से पूर्व में मात्र 80 एकड़ सिंचित जमीन आज 900 एकड़ सिंचित भूमि में बदल गई है। अखिल भारतीय ग्राम विकास प्रमुख डॉ. दिनेश जी ने स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि विकास की पश्चिमी अवधारणा ने गांवों के साथ ही देश को विपन्न और रोगग्रस्त बना दिया है। गांवों के वास्तविक विकास के लिए युवा शक्ति, नारी शक्ति और सज्जन शक्ति को जागृत करना होगा। ❖ **साभार: हिन्दू गर्जना**

PVC/WPC BOARDS | DOOR & DOOR FRAMES | WALL & CEILING PANELS

As a leading global manufacturer of Wood Plastic Composite Product (WPC), Jayanti offers world-class advanced, rational solutions including Wood Plastic Composite Board, Door & Door Frames (Chaukhat), Outdoor & Indoor Wall Panel Series, Wood Plastic Composite (WPC) Board & Profile by Jayanti is the best alternate for the traditional use of wood and plywood for its durability.

DELIVERING EXCELLENCE IN QUALITY

A wood alternate with better appearance, Performance & result.

JAYANTi

GROUP OF INDUSTRIES

Village Kunjhal, Baddi, Distt. Solan (H.P.) 173205 | Call : 9816044399, 9816844399, 9459490899

E-mail : jayanti_plytech@yahoo.com | TRADE ENQUIRIES SOLICITED

उद्योग हित राष्ट्र हित

लघु उद्योग भारती, बद्दी इकाई

लघु उद्योगों की सेवा में समर्पित अखिल भारतीय संगठन

लघु उद्योग भारती

एन.पी. कौशिक, अध्यक्ष

अशोक राणा, महासचिव

बलराम अग्रवाल, कोषाध्यक्ष

151, डी.आई.सी., बद्दी, जिला सोलन (हि.प्र.) 173 205

9418268806, 9218677880, 9218501702 | Mail : lub.baddi@gmail.com

वनवासी गांवों के विकास के सफल प्रयास

-प्रकाश कामत

भारत देश में छह लाख से अधिक गांवों में से एक लाख से अधिक वनवासी राजस्व गांव है। जंगलों-पहाड़ों के बीच में रहने वाले वनवासी बन्धुओं की जनसंख्या दस करोड़ तक है। सरल, प्रामाणिक, स्वाभिमानी वनवासी समाज के लिए शहरों से दूरी होने के कारण विकास योजनाओं का अभाव है। हजारों वर्ष से जंगलों में रहकर इसकी पूजा-अर्चना, रक्षा करते हुए वन उपज से ईंधन, फल-फूल, शहरों के विकास के कारण जंगल काटना, पर्यावरण प्रदूषित होना बड़े प्रमाण से चलता आया है जिससे वनवासियों का विस्थापन भी हो रहा है। 60 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ कल्याण आश्रम समाज में संस्कृति, परम्परा को कायम रखते हुए सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संस्कार और आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में छोटे-छोटे प्रकल्प, गतिविधियों द्वारा गांव 'सम्बलपुर' में धान, गांबर और गोमूत्र आधारित खाद से अच्छी उपज हुई है। वहां बांस से टोकरी, सूप, झाड़ू इत्यादि निर्माण किया जा रहा है जिससे हर व्यक्ति को प्रतिमाह 500/600 रू. आमदनी हो रही है।

मनोहरपुर प्रखण्ड के ढीपा गांव में 3 समूह है। इस प्रखण्ड में काम सम्भालने वाली कार्यकर्ता मण्डल प्रमुख फुलेश्वरी तांती ने समूहों की बैठक बुलाकर मद्यपान से होने वाले दुष्परिणाम के बारे जानकारी दी और उसे गांव से पूरा बंद करने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया। 15 दिनों के बाद भी कुछ लोगों ने शराब बनाना बंद नहीं किया था। समूह के सदस्यों ने उन घरों में जाकर बर्तन तोड़ दिए, जिसके कारण दारू बनाना बंद हो गया। धनबाद जिले के टुंडी प्रखण्ड के 'सोहनाद' गांव में समूह द्वारा मिट्टी से बर्तन बनाकर हर महीने समूह को रू. 5000/ की आमदनी हो रही है। धनबाद नगर समिति की ओर से सिलाई मशीनें मिली हैं जिनसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

समूह के गांव में आवश्यकतानुसार पैसा उपलब्ध कराने वाला छोटा बैंक शहर के (ए.टी.एम.) जैसे लाभदायी हो रहा है। सरायकेला जिला के चाण्डिल प्रखण्ड के 'गांगूडीह' गांव में दो समूह चलते हैं। सिंचाई की व्यवस्था है। समूह के माध्यम से टेन्ट हाउस, राशन की दुकान चलाने से हर परिवार को महीने में रू. 1000/- तक लाभ मिल रहा है।

बोकारो जिला के गोमिया (उत्तरी) प्रखण्ड के छोटकी शिंधावाड़ा में समूह महुआ की खरीद-बिक्री करते हैं। महाराष्ट्र के धुले जिले के 'बारीपाड़ा' गांव में एक युवक स्नातक की पढ़ाई के बाद बैंक की नौकरी छोड़कर अपने गांव के विकास में लग गया। 9 कि.मी. लम्बे जंगल-पहाड़ में पेड़-पौधों को ग्राम वालों द्वारा सब मिलकर लगाने से हरियाली आई है। बैंकाक में सरकार द्वारा 'स्थानीय तकनीकी द्वारा विकास के लिए सम्मानित किए गए श्री चेतराम पवार जी अब वनवासी कल्याण आश्रम, देवगिरी प्रांत इकाई के अध्यक्ष हैं।

राजस्थान प्रांत बासवाड़ा जिले के 'भादमुहड़ी' गांव में एक छात्रावास में रह चुके युवक ने शिक्षक बनकर अपने गांव वालों से मिलकर पांच वर्षों में उसे एक विकसित गांव बनाने में सफलता प्राप्त की है। गो-पालन, गोबर गैस से सब परिवार जुड़े हैं। दहेज पर रोक है। शादी में शहनाई और देशी ढोल का उपयोग करते हैं।

गो-सेवा पंचगव्य का उपयोग

केन्द्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में मोटा रांधा गांव में वनवासी कल्याण आश्रम का 'सूर्य निकेतन' प्रकल्प है। वहां एक बालक छात्रावास है। मुंबई के एक सेवाभावी व्यवसायी ने एक अष्टकोनाकार में गोशाला का निर्माण करवाया, उसके बीच गोपाल कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है। वहां गुजरात की प्रसिद्ध गीर नस्ल की 15 गायों का पालन-पोषण हो रहा है। गोबर से केंचुआ खाद का निर्माण किया गया। धीरे-धीरे इस केंचुआ खाद से कृषि हो ऐसे प्रयास चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में 'पटांजन' नामक एक वनवासी गांव है। वहां वनवासी कल्याण परिषद की ओर से 4 एकड़ जमीन के बीच एक भवन में बालक छात्रावास चलाया जा रहा है। वहां के कार्यकर्ता नागपुर-देवलापार के गो-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र में 10 दिनों का प्रशिक्षण लेकर आए हैं। वहां पांच देशी गायों का पालन हो रहा है। गोबर से केंचुआ खाद, दंतमंजन,

साबुन आदि वस्तु बना रहे हैं। तमिलनाडु के सेलम जिले की पहाड़ी पर स्थित कर्मदुरै में भी 4 एकड़ जमीन के बीच एक माध्यमिक विद्यालय बालक छात्रावास सहित पांच गायों का गो-सेवा केंद्र भी चलाया जा रहा है। केरल के वायनाडु जिले के कणियमबेड़ में भी गौ सेवा आरम्भ हो रही है। उत्तर पूर्वचल असम राज्य के कार्बी-आंगालांग जिले में डीफू में कल्याण आश्रम का एक छात्रावास है। मई 2012 में वहां प्रांत के प्रशिक्षण वर्ग में गो सेवा प्रमुख बुजुरबुर्वा ने जैविक खाद बनानेका तरीका सिखाया था। प्रांत की टोली बनाकर तथा बैठक कर गांवों के किसान जैविक खेती के काम में लगे हैं। गुवाहाटी के एक व्यवसायी श्री सुशील सर्राफ जी ने वर्ग में भाग लिया था। उड़ीसा राज्य में कंदमाल जिले में 3 वर्ष पहले पूज्य स्वामी लक्ष्मणनंद सरस्वती जी की हत्या मतांध लोगों ने की थी। वहां के चयनित 75 परिवारों को गो पालन की दृष्टि से गाय दी गई है। इससे आर्थिक लाभ हो रहा है। कोलकाता समिति से जुड़े बंधुओं ने इसमें सहयोग किया है।

पुरूलिया जिले में अयोध्या पहाड़ वनवासी क्षेत्र है, एक राम मंदिर भी है। वहां छोटे-बड़े तालाबों का निर्माण ग्रामीणों के सहयोग से करवाया गया। उसी प्रकार वीरभूम जिले के मल्लारपुर जहां छात्रावास है, गांवों में भी कुल मिलाकर दक्षिण बंगाल में 80 तालाब निर्माण हुए हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में 10-12 इंजीनियर और वैज्ञानिक लोगों की एक टोली ग्राम विकास के काम से जुड़ी है। आपस में मिलकर विचार-विमर्श कर एक गांव में जाकर ग्रामीणों के सहयोग से तालाब का निर्माण किया। उससे खेती-बाड़ी, पशुओं को पानी पीने में सुविधा हुई है। अगल-बलग के गांवों में भी परिवर्तन आ रहा है।

जलछाजन से वनवासियों को लाभ

खेती ज्यादातर बरसात के पानी पर आधारित होती है। उसके बाद पानी का अभाव होता है। इसके विकल्प के रूप में कोलकाता महानगर समिति ने विचार करके गत 3 वर्षो से जलछाजन की योजना बनाई। उसी प्रकार पुणे जिले के बांव में भी प्रयास चल रहा है। झारखण्ड के बोकारो जिले में चंदनकियारी प्रखण्ड के मोदीडीह गांव में उरांव जनजाति के लोग रहते है। वहां पानी का घोर अभाव था। बोकारो इस्पात कारखाना से सेवानिवृत इंजीनियर श्री आर.प्रसाद उस गांव में जिले के कार्यकताओं के साथ गये। लोगों ने श्रम सेवा की। उनके भोजन की व्यवस्था की गयी। गत पांच वर्षो से तालाबों का निर्माण होकर अच्छी खेती धान, साग-सब्जी उगायी जा रही है। पशु, मुर्गी, बत्तख पालन भी हो रहा है।

सौर ऊर्जा

वनवासी क्षेत्रों में बहुत कम गांवों में बिजली पहुंची है। जहां बिजली की सुविधा है भी वहां लोड शेडिग की समस्या है। हम सब सूर्य भगवान के आराधक हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग आवश्यक है। 'चलो जलाएं दीप वहां, जहां अभी भी अंधेरा है' गीत के तहत वनवासी कल्याण आश्रम इस काम में जुड़ा है। बिहार प्रांत में कैमूर जिले में अधोरा प्रखण्ड जंगलों-पहाड़ों से घिरा है। 2005 में वहां एकल विद्यालय आरम्भ किये गए। अधोरा से तीन किमी. दूर में कर्मनाशा नदी के पार में चैनपुरा गांव है। आज भी वहां बिजली नहीं पहुंची, बरसात में चारों ओर पानी भरकर द्वीप जैसा बन जाता है। पुल भी नहीं बना है। इस गांव में हमारा एकल विद्यालय चलता है। बिहार प्रांत के हमारे अध्यक्ष डोमा सिंह खरवार जो एक सरकारी कर्मचारी थे, वे अधिक समय संस्था के काम में लगाते हैं। पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए वहां के इन छात्रों के लिए कम, सांकेतिक धन लेकन सौर ऊर्जा दी गई। एक दीप के लिए रू. 1500/ लगता है। घरों में दो सौर दीप सेट के लिए रू. 3000/ लगता है। समाज से सहयोग की आवश्यकता है।

कलभावी गांव

गांव कलभावी एक छोटा-सा गांव है। वहां धनगर गवली लोग रहते हैं। गांव के लोगों के श्रमदान और नगरवासियों के योगदान से एक बिठोबा रूकमाई मंदिर निर्माण किया गया, बालवाड़ी के लिए एक कुटिया भी बनाई गई है। यह छोटा सा गांव कार्यकर्ता प्रशिक्षण का केंद्र बन गया है। वहां हमारा एक स्वयं सहायता समूह भी चलता

है। एक सदस्य के पति को बांस काटते समय लकड़ी का टुकड़ा आंख में चुभ गया, जिससे रक्तस्त्राव होने लगा। डॉक्टर ने इलाज के लिए 3000/ का खर्च बताया। समूह के सब सदस्यों ने मिलकर धन इकट्ठा किया और उसका इलाज कराया जिससे उसकी आंख ठीक हो गई। उसने एक साल के अन्दर किस्त के रूप में पैसा भी वापस लौटाया।

वन-उपज से आमदनी

हम सब जानते है कि जंगल में पेड़ों पर मधुमक्खी का झुण्ड रहता है। उसे कठिनाई या चतुराई से इकट्ठा करना पड़ता है। जशपुर नगर कल्याण आश्रम का उद्गम स्थल है। वहां केंद्र में वनवासी बन्धु जो मधु को संग्रहित करके लाते हैं, उसे बोतल में डालकर बिक्री करने की व्यवस्था दशकों से चलती आई है। यहां की मधु गुणवत्ता पूर्ण है और कम दाम में उपलब्ध है। जशपुर के पास भी चेकडेम बनाकर खेती, पशु पालन के लिए पानी उपलब्ध कराया गया है।

निर्माणाधीन प्रकल्प

कर्नाटक में समुद्र के किनारे के मुर्डेश्वर मंदिर से पूर्व दिशा में 20 किमी जंगल के अंदर उत्तरकोप्पा में 4 एकड़ जमीन, होटल व्यवसायी श्री देवकी कृष्ण कामत परिवार ने दान में दी। बैंगलोर के उद्योगपति श्री अशोक साठे जी ने वहां प्रशिक्षण भवन बनाने का आर्थिक सहयोग दिया। वहां कृषि गो पालन केंद्र बन रहा है। इन सब कामों को करने वाले जिला स्तर के संगठन मंत्रियों के लिए सुदूर गांव में प्रवास करने के लिए मोटर साइकिल जैसे वाहनों की आवश्यकता है। झारखण्ड प्रांत में 10, बिहार में 5 गाड़ियों की तुरंत आवश्यकता है। सैकड़ों की संख्या में साइकिलों की भी देश भर में जरूरत है। हजारों की संख्या में सौर ऊर्जा की आवश्यकता है। ❖ *लेखक अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से जुडे हुए है।*

SHIVALIK HOSPITAL
Near Police Lines, Jhalera, Una (H.P.)
Mob.: 98059-33644

Dr. Akshay Sharma
MBBS (MAMC Delhi) (Gold Medalist)
MS (MAMC Delhi) Regd. MCI-7841
General & Laproscopic Surgeon
Ex. Senior Registrar LNJP &
GB Pant Hospital New Delhi

Dr. Anupma Sharma
MBBS, MD (PGI Chandigarh)
SKIN SPECIALIST
Regd. PMC-28190

Facilities Available: General & Specialist OPD, Indoor Admission Facilities, Fully equipped Operation Theatre, All Major & Minor Operations, Laproscopic Gall bladder Removal, Nebulization therapy for Asthma, ECG/X-Ray, Blood Tests.

बदलते परिवेश में भारतीय गांव

-नीतू वर्मा

भारतीय गांव का विचार आते ही मन में एक ऐसी तस्वीर बन जाती है जो हमारे मस्तिष्क व ह्रदय में एक छाप छोड़ जाती है। बड़े-बड़े ढलानदार खेतों में दूर-दूर तक लहलहाती फसलें, खुले वातावरण में कड़ी मेहनत करते किसान, अपने जीवन को घर के काम-काज के प्रति समर्पित कर चुकी महिलायें और घर के आंगन में आज भी खुद के बनाये बैट-बॉल से खेलते बच्चों की छवि आंखों के सामने आ जाती है। गांव में लोगों का मिल-जुल कर रहना, एक दूसरे की सहायता को हमेशा तैयार रहना भारतीय गांव की विशेषता को दर्शाता है। वृक्षों की शीतल ताज़ा हवा, फसलों की महकती खुशबू, ताज़ा फल व सब्जियां, गावों में चौपाल पर लोगों की रौनक, सुबह-सवेरे पंछियों का चहचहाना, कोयल की कूक बरबस ही मन में ताज़गी एवं स्फूर्ति का अहसास दिलाती है।

ग्रामीण जीवन में दिन की शुरूआत व्हट्स-एप या फेस-बुक पर मित्रों को शुभ-प्रभात के संदेश भेजकर नहीं होती बल्कि गऊशाला में जाकर गाय दूहने, पशुओं के लिए चारे का बन्दोबस्त करने तथा खेत-खलियानों में जाकर फसलों की देखभाल व अन्य कृषि कार्यो से की जाती है। गांव में रहकर दिन-रात मेहनत व लम्बी दूरी पैदल चलकर तय करना यहां के लोगों को स्वस्थ शरीर व स्वच्छ जीवन प्रदान करता है। यहां खुले आसमान के नीचे संकुचित जीवन नहीं जीना पड़ता बल्कि अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद वातावरण की भावुकता मन व मस्तिष्क में एक ताज़ापन भरे रहती है।शहरों में उपहार देने की औपचारिकता मात्र बन चुके तीज-त्यौहार गांवों में आज भी पूरे विधि-विधान के साथ मनाये जाते हैं। सभी त्यौहारों में सुव्यवस्थित ढंग से पूजा-अर्चना व पारम्परिक व्यंजनों की झलक आज भी देखने को मिलती है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों में रह रहे बच्चों को जब शहरों के शोर शराबे व प्रदूषण से दूर, गांव में छुटिट्यां बिताने का अवसर प्राप्त होता है तो वे मिटट्ी में खेलकर, खुले मैदानों में भागकर वास्तविक रूप से अपना बचपन जीते हैं। जबकि शहरों में मोबाइल फोन, विडियो गेम्स व अन्य घर के अन्दर खेले जाने वाले खेलों से मनोरंजन करते हैं जिससे न केवल उनके मस्तिष्क बल्कि शारीरिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। यदि शहरी तथा ग्रामीण जीवन की गुणवता की पारस्परिक तुलना की जाए तो विरले ही कोई शहरी जीवन को ग्रामीण जीवन की तुलना में श्रेष्ठ मानेगा। किन्तु विडम्बना यह है कि यह सब होने के बावजूद ग्रामीण युवा शहरों की तरफ पलायन करने को मजबूर है।

देश की जनसंख्या का बड़ा भाग आज भी गांव में रहता है। देश के बहुत से गांव के लोग आज भी जल,

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा, एक अधकच्ची छत व मूलभूत अधिकारों के लिए दिन-रात सपने बुन रहे हैं। उन्हें इन्तज़ार है अपने गांव में बिजली के खंभे लगने का ताकि उनका आशियाना भी रोशन हो सके। इलाज और दवा के बिना कोई मरे नहीं, भूख से मरने को कोई मजबूर न हो व हर गांव सड़क से जुड़े।वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां भारतीय शहर प्रगति के पथ पर निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं इस विकास की दौड़ में हमारे गांव पीछे रहते जा रहे हैं। इस बात का अनुमान हाल ही में प्रकाशित केन्द्र सरकार की सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 73.44 प्रतिशत परिवार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। इन परिवारों में से लगभग 39. 39 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो इस रिपोर्ट में निर्धारित 14 मापदण्डों में से किसी एक को पूरा करने के कारण वंचन श्रेणी हेतु विचार से स्वत: बाहर हैं। ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 26 प्रतिशत भाग अभी भी निर्धनता रेखा से नीचे रह रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे करीब 74.49 प्रतिशत घरों की मासिक आय रु. 5000 से भी कम है। देश में लगभग 56 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं तथा 51.14 प्रतिशत जनसंख्या दिहाड़ीदार मज़दूर हैं। ग्रामीण क्षेत्रें में लगभग 54 प्रतिशत परिवार एक या दो कमरों के मकान में रह रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति को स्पष्ट करते ये आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों की निरन्तर बिगड़ती जीवन गुणवता को प्रदर्शित करने के लिए काफी हैं। ये आंकड़े एक ओर तो हमारे आर्थिक नियोजन की विफलता के परिचायक हैं वहीं दूसरी ओर ये वर्तमान में पाई जाने वाली अनेक शहरी विसंगतियों के कारणों को भी इंगित करते हैं।

देश की बहुत बड़ी जनसंख्या, विस्तृत क्षेत्रफल तथा सीमित संसाधानों के कारण अपेक्षित परिणाम चाहे नहीं मिल पाये हैं परन्तु यह भी सत्य है कि सरकार के अब तक के प्रयासों से ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार हो चुका है जिसके बल पर ग्रामीण विकास का सपना साकार होने की आशा की जा सकती है। ये कहने में कोई अतिश्योक्ति न होगी कि आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेज़ी से विकास के दौर में गांव व शहरों के मध्य एक खाई का निर्माण किया है। इसे भारत बनाम इंडिया कहें या प्रगतिशील शहरी क्षेत्र बनाम इंडिया कहें या प्रगतिशील शहरी क्षेत्र बनाम पिछड़े गांव की संज्ञा दें, हर एक क्षेत्र में हम गांव को शहरों से पीछे पाते हैं। एक देश, एक सरकार, एक संविधान, व एक जैसे ही अधिकार होने के बावजूद भी शहर और गांव के बीच जीवन शैली और सुविधाओं का अन्तर समाप्त होता नहीं दिखता। शहरों में विकास के पंख लगाकर अंतरिक्ष तक की यात्रा की जा रही है, संचार क्रांति के विशेषज्ञ बनकर दुनिया में झण्डे गाढ़े जा रहे हैं, पहाड़ों जैसी ऊंची इमारतें खड़ी की जा रही हैं। कुदरत ने भारतीय गांव को स्वर्ग के समान सुन्दरता प्रदान की है। इस अमूल्य सुन्दरता को बरकरार रखने के लिए ज़रूरत है एक ऐसे विकास की जो शहरी विकास के साथ-साथ ग्रामीण विकास को भी तवज्जो दे, जिससे हमारे देश का प्रत्येक तबका इस विकास की दौड़ में शामिल हो सके। ❖ **लेखिका युवा पत्रकार हैं।**

आजीविका के लिए किये जाने वाले इस पलायन के पीछे कहीं न कहीं हमारी राजनैतिक इच्छा शक्ति और आर्थिक नीतियां जिम्मेवार हैं। जिस देश में लगभग तीन चौथाई आबादी गांव में बसी हो और कृषि ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो, उस देश में ग्रामीण विकास के बिना राष्ट्र के विकास की कल्पना भी संभव नहीं। लेकिन गांव में बढ़ती प्राकृतिक आपदायें, वर्षा की अनियमितता व जोतों के छोटे होते आकार ग्रामीणों की जीविका को बाधित कर रहे हैं। जिसके चलते अधिकतर ग्रामवासियों का शहरों की तरफ रूख करना स्वाभाविक है। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी नीतियों की अनदेखी के चलते गांव शहरों से पीछे रह जाते हैं। देश में बड़े स्तर पर औद्योगीकरण हुआ है।

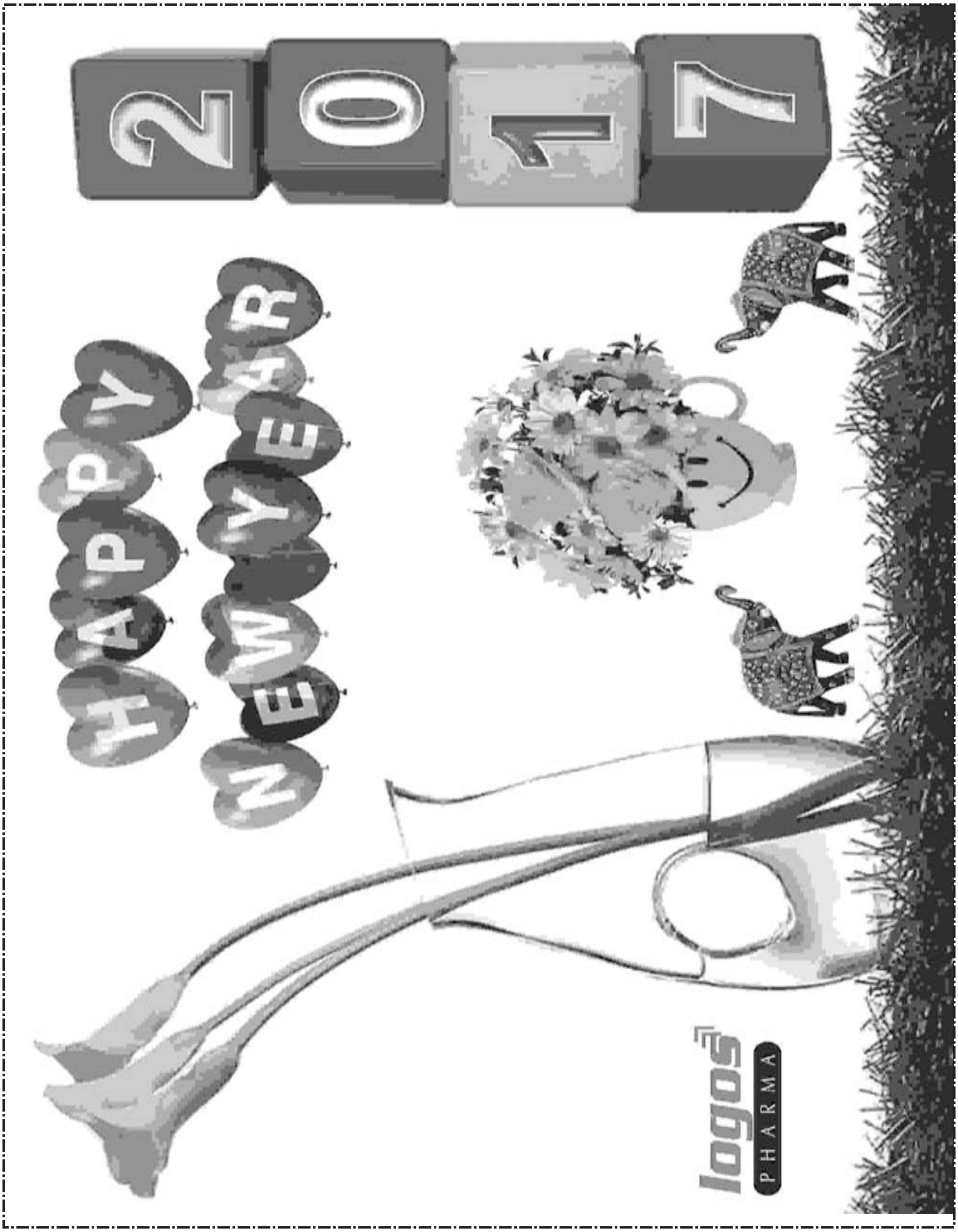

With Thanks & Regards

Logos Pharma -Nalagarh, +91-85588-40732, +91-9988708346 (whatsapps)

विकसित गांव : विकसित भारत

-डॉ. उमेश कुमार पाठक

विकास का स्वरूप जितना विविध और व्यापक है, उसको परिभाषित करना उतना ही कठिन है। पारंपरिक भारतीय ग्रामीण समाज के आलोक में फिर भी विकास को परिभाषित करना, महसूस करना, उतना कठिन नहीं था, लेकिन विकास की तथाकथित 'वैश्विक' अवधारणा और आधुनिक बाजार की चकाचौंध ने विकास के सारे पारंपरिक प्रतिमानों को धवस्त कर दिया है। जब हम ग्रामीण व्यवस्था एवं विकास की बात करते हैं, खासकर भारतीय संदर्भ में, तो हम इसके सम्मुख चुनौतियों एवं समस्याओं की अनदेखी नहीं कर सकते।

चूंकि, हमारा देश भारत विविधताओं का देश है और समेकित संस्कृति हमारी एक विशिष्ट पहचान है, इसलिए समग्र विकास की संकल्पना में कहीं-न-कहीं 'आधारभूत समस्याओं की पहचान' हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल विकास एक निरंतर चालू रहने वाली प्रक्रिया है और इसका मूल्यांकन मानव संसाधनों के सापेक्ष किया जाना लोककल्याणकारी राज्य की पहली अनिवार्य शर्त है। निस्संदेह भारत में आज चहुंआयामी विकास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन, इसके साथ ही आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियां भी कम नहीं हैं।

'पथ इंडिया' नामक एक गैर सरकारी संगठन ने हाल ही में अपने किए गए शोध परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि विगत तीन दशकों में भारत ने सतत विकास की प्रकिया के परिणामस्वरूप जहां एक ओर वैश्विक पटल पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र में भारत का कोई जवाब नहीं है, वहीं दूसरी ओर गांव से शहरों की ओर लोगों का तीव्र पलायन भारतीय आंतरिक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी घातक प्रवृत्ति को जाता है जिसके चलते असंतुलित विकास ने भारत में शहरों और गांवों के बीच की दूरी और भी बढ़ा दी है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य ऐसे तीन महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी भी देश में विकास की दशा और दिशा तय करते हैं।

कहना गलत न होगा कि हमारे अधिकांश गांव और ग्रामीण जनों की जीवनशैली मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। भारत की कुल गरीबी का अधिकांश प्रतिशत गावों में निवास करता है। अशिक्षा, बेरोजगारी और बीमारी आज भी हमारे ग्रामीण समाज की आधारभूत समस्याएं हैं जिसके निवारण की प्रत्याशा में लोगों का शहरों की ओर पलायन निरंतर जारी है। आज भी लगभग 47.23 प्रतिशत ऐसे गांव हैं जहां आधारभूत शैक्षणिक संस्थानों व चिकित्सा की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उड़ीसा, बिहार, उत्तरप्रदेश, प. बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान्, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना आदि प्रांतों में बेहतर शिक्षा, पर्याप्त रोजगार और समुचित स्वास्थ्य के लिए बड़ी संख्याओं में लोग अपने गांवों से नगरों और महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

भारत गांवों का देश है। इसलिए भारत का विकास स्वत: ही इसके लगभग छह लाख गांवों से सम्बन्द्ध हो जाता है। वैसे तो आजादी के बाद से ही हमारी राष्ट्रीय नीतियां गांवों के उत्थान एवं विकास की ओर उन्मुख रही हैं। उदाहरण के तौर पर पहली पंचवर्षीय योजना एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्भव के साथ ही शासकीय क्रियाकलापों का रूझान गावों की ओर मुड़ा जो कालांतर में बहुआयामी ढांचे के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सतत् क्रियाशील रहा है। इस क्रियास्थिति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आम जनता के सहयोग की आवश्यकता महसूस की गई जिसके चलते पंचायतीराज की स्थापना हुई ताकि विकास की धारा को स्थानीय जन सहयोग से और

अधिक गतिमान बनाया जा सके।

गांवों के विकास का अभिप्राय कृषि विकास से कुछ अधिक विस्तृत है। ग्रामीण विकास की परिधि में कृषिगत उत्पाादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ ग्रामीण उद्योग, प्राथमिक वस्तुओं का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार एवं कृषि से संबंधित आवश्यक सेवाओं की पूर्ति को भी सम्मिलित किया जाता है। अत: हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास के अंतर्गत कृषि के साथ-साथ उससे संबंधित आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं का समावेश रहता है और विकास संबंधी विश्लेषण अब केवल ग्रामीण विकास पर ही जोर न देकर समग्र अथवा समन्वित ग्रामीण विकास को अर्जित करने की दिशा में काफी सक्रिय है।

गांवों के विकास के महत्व पर बल देते हुए बालासाहब देवरस ने ठीक ही कहा था कि 'भारत जैसे विशाल देश की वास्तविक रीढ़ गांव हैं, अत: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व जीवन मूल्यों के विकाससूत्र गांव से सहज ही जुड़ जाते हैं। विकास का कोई भी प्रतिमान, लोकनीति की कोई भी रूपरेखा इससे परे नहीं हो सकती'। इतिहास की दृष्टि से भी भारत में ग्रामीण व्यवस्था की सुदीर्घ परंपरा रही है। इतना ही नहीं हमारा ग्रामीण बुनियादी ढांचा केंद्रीय प्रशासन की अपेक्षा काफी पुराना है। उदाहरण के लिए जब लोगों ने संगठित जीवन में रहना आरंभ किया तो छोटे-छोटे समुदायों में थे। अपने विभिन्न कार्यक्रमों को करने में जैसे खाद्यान का उत्पादन, पशुओं की देखभाल, शत्रुओं तथा जानवरों से अपनी रक्षा करना आदि वे एक दूसरे के सहयोग से ही करते थे। समय बीतने के उपरांत यह समुदाय बड़े होते गए और इनके कार्यों को बड़े समुदाय यानी कि राष्ट्रीय सरकार ने संभाल लिया। प्रतिरक्षा, न्याय, प्रशासन, शांति तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ऐसे ही कार्यों के उदाहरण हैं। परंतु लोगों की मूल तथा प्राथमिक आवश्यकताओं को स्थानीय व्यवस्था ही पूरा करती थी। हालांकि इसका यह अभिप्राय कतई नहीं है कि केंद्रीय सरकार के बन जाने से स्थानीय स्वशासन का महत्व कम हो गया है। वास्तविकता तो यह है कि लोकोन्मुखी प्रशासन की अवधारणा से समूचे तौर पर सरकार के कार्यों में न केवल वृद्धि हुई है, अपितु ग्रामीण प्रशासन का क्षेत्र किसी भी मायने में पीछे नहीं रहा।

गांव से शहरों की ओर लोगों का पलायन किस प्रकार रोका जाए, गांवों का समेकित विकास किस प्रकार हो, यह एक जटिल सवाल है और इस सवाल का उत्तर ढूंढ़ने के लिए गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास की सफलता के लिए इसकी एक व्यापक एवं व्यवहारिक अवधारणा विकसित करना अतिआवश्यक है। यह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, विकासात्मक एवं व्यवस्थामूलक अवधारणा है। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर सबसे पहले अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की दिशा में काम करना अति आवश्यक है ताकि आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित हो सके और वास्तविक 'स्वशासन' की भावनाओं को प्रोत्साहन मिले। यहां यह भी उल्लेखनीय हो जाता है कि गांवों के विकास की पूरी प्रक्रिया में स्थानीय आमजन की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी की गुंजाइश अवश्य होनी चाहिए।

इस संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने ग्रामीण समाज की मूलभूत समस्याओं निराकरण हेतु PURA (Providing Urban facilities in Rural Areas) का सूत्र प्रस्तुत किया। उनके अनुसार यदि हम अपने गांवों को शहरी सुविधाओं से लैस कर देते हैं तो गांव से शहरों की ओर पलायन स्वत: थम जाएगा। इस प्रकार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य व संचार की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना लोकतांत्रिक सरकार की पहली जवाबदेही है और इस दायित्व निर्वहन में केंद्र व राज्य सरकारें परस्पर सहयोग की भूमिका अदा करें, तभी सशक्त और विकसित भारत का हमारा सपना साकार हो सकेगा। ❖ **लेखक हि. प्र. विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र में अध्यापनरत हैं।**

ऐसे बदलेगी गांव की सूरत

-प्रमोद कुमार

यह सत्य है कि शहरों में रहने वाले 80 प्रतिशत से अधिक लोग किसी न किसी गांव के रहने वाले हैं। कोई व्यवसाय करता है तो कोई नौकरी अथवा छोटा-मोटा रोजगार। इनमें से अधिसंख्यक लोग आज भी किसी न किसी रूप में अपने गांव से जुड़े हुए हैं। कुछ तो साल में कई-कई बार अपने गांव जाते हैं। कुछ साल-दो साल में एक बार और कुछ प्रसंगवाद अपने गांव जाते हैं। जब भी वे गांव जाते हैं तो सुविधाओं की कमी के कारण सरकार को कोसते हुए शहर वापस आ जाते हैं। लेकिन उनमें से शायद ही कोई यह सोचने का प्रयास करता कि जिस गांव में जन्म लेकर और जहां शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करके हम शहर में व्यवसाय अथवा नौकरी करने लायक हुए हैं, अपने पूर्वजों के उस गांव के प्रति क्या हमारा भी कोई दायित्व है? उसके विकास में क्या हमारी भी कोई भूमिका है?

इसके विपरीत एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, शहरों में रहने वाले अधिकतर लोग हर साल पिकनिक, तीर्थ यात्रा अथवा छोटे-मोटे उत्सवों पर काफी पैसा खर्च करते हैं। तीर्थयात्रा के दौरान वे मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते ही हैं। कितना अचछा हो कि वे वर्ष में एक-दो बार अपने गांव को भी एक तीर्थ मानकर वहां जाएं और उसके विकास में सहभागी बनें। इस विचार को संस्थागत रूप प्रदान करते हुए दिल्ली के व्यवसाई श्री श्रवण गोयल ने 1995 में 'गंगा सेवा संस्था' की स्थापना की, जिससे प्ररित होकर आज देश के आठ राज्यों यानि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में सिलाई एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण में 24 प्रकल्प चल रहे हैं। ऐसे ही चार प्रकल्प हिमाचल प्रदेश में संचालित हैं।

एक सिलाई सेंटर और एक कम्प्यूटर सेंटर हमीरपुर जिले के सुजानपुर टीहरा में संचालित है। सुजानपुर टीहरा दिल्ली के चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री अनिल गुप्ता का ननिहाल है। वहां कम्प्यूटर और सिलाई प्रशिक्षण 2011 में शुरू किया गया। अब तक वे 350 से अधिक बालिकाओं से सिलाई एवं 400 से अधिक युवाओं एवं बुजुर्गों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर चुके हैं। एक सिलाई सेंटर पालमपुर के सुलाह में संचालित है और दूसरा सिलाई केंद्र कांगड़ा जिले के नगरोटा में संचालित है। 'मेरा गांव मेरा तीर्थ' सोच से जुड़कर शुरू हुए प्रकल्पों का संचालन करने वाले कुछ लोग तो ऐसे हैं जो करीब सौ साल बाद अपने गांव से फिर जुड़ सके। ऐसे ही दिल्ली के एक व्यवसायी हैं श्री संजय गुप्ता, उनका परिवार हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित अपने पैतृक गांव सलूनी से सौ वर्ष बाद जुड़ा। श्री गुप्ता बताते हैं, ''हमारे पूर्वज व्यवसाय के सिलसिल में 1914 में दिल्ली आए थे। तब से परिवार को कोई सदस्य अपनी पैतृक संपत्ति को देखने भी गांव नहीं गया। लेकिन 2014 में उसी गांव में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से हम अपने गांव के विकास में सहभागी बन सके हैं।'' श्रीमती सरोज गुप्ता दल्लिी में एक योग प्रशिक्षिका हैं। उनके पति का परिवार भी लगभग सौ साल बाद अपने पूर्वजों के गांव से जुड़ पाया। हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित बिलोचपुरा गांव में उन्होंने एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है।

इसी प्रकार श्री अद्वैत गणानायक एक अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त मूर्तिकार हैं। उन्होंने ओडिशा के ढेंकनाल जिले में स्थित अपने गांव न्यूलापोयी में वर्ष 2012 में ऐसा ही एक सिलाई केंद्र शुरू किया और अब तक वे 70 से अधिक महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बना चुके हैं।

श्री निर्देश सैनी बंगलौर स्थित विश्वप्रसिद्ध संगणक कंपनी एचपी में बड़े पद पर कार्यरत हैं। 2015 में उन्होंने भी सहारनपुर जिले में स्थित अपने पैतृक गांव बादशाहपुर में ऐसा ही प्रकल्प शुरू किया है। दिल्ली के उद्योगपति श्री राधेश्याम गोयल ने राजस्थान स्थित अपने गांव दान्तिल में एक ऐसा ही प्रकल्प शुरू कर करीब 60 महिलाओं को सिलाई सिखाई है। ऐसे लोगों की सूची काफी लंबी है जिन्होंने

अपने-अपने गांव के विकास में सहभागी बनने का निर्णय लेकर कोई न कोई प्रयोग शुरू किया है। ऐसे प्रयोगों का असर अब दिखने लगा है। कुछ लोग कभी-कभार ऐसे प्रयास शुरू करने के बारे में विचार करते हैं लेकिन प्राय: ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि ग्राम विकास की कोई भी गतिविधि शुरू करने और उसे जारी रखने के लिए बहुत पैसा चाहिए। लेकिन ये सच नहीं है, गंगा सेवा संस्था की प्रेरणा से पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित अपने गांव पटनी में एक सिलाई केंद्र का वर्ष 2013 से संचालन करने वाली श्रीमती उषा सैनी बताती हैं, ''हमारे सिलाई केंद्र का मासिक खर्च महज 3000 रूपये है। 2500 रूपये हम सिलाई प्रशिक्षिका को देते हैं और औसतन पांच सौ रूपये सेंटर की देखरेख एवं मशीनों के रखरखाव पर खर्च होता है। इस समय 25 महिलाएं हमारे पास सिलाई सीखने आ रही हैं। उनसे हम 100 रूपये महीना शुल्क लेते हैं। हालांकि सभी महिलाएं पूरा शुल्क नहीं दे पातीं, लेकिन फिर भी औसतन 2000 रूपये प्रतिमाह शुल्क से प्राप्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर हमें करीब 1000 रूपये प्रतिमाह की राशि जुटानी होती है।'' एक महीने में 1000 रूपये अपने गांव के लिए खर्च करना उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो लाखों रूपये हर साल पिकनिक, तीर्थयात्रा अथवा पारिवारिक उत्सवों पर खर्च करते हैं सेंटर शुरू करने के लिए भी 10 से लेकर 15,000 से अधिक राशि नहीं चाहिए।

हमारे देश के सभी 6,49,481 गांव पिछड़े नहीं हैं। लेकिन जो पिछड़े हैं उनका विकास केवल सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। यदि गांव में जन्में और शहरों में नौकरी अथवा व्यवसाय करने वाले लोग इसमें सहभागी होते हैं तो एक सकारात्मक बदलाव देखने के लिए एक दशक नहीं, बल्कि कुछ ही साल चाहिए। दुनिया के अन्य विकासशील देशों के लिए भी यह एक उदाहरण बन सकता है।

सिलाई और इस जैसी गतिविधियां ग्राम विकास का इसलिए महत्वपूर्ण आधार हो सकती हैं क्योंकि इनसे परिवार की वे महिलाएं स्वाभिमानपूर्वक पैसे कमाने लायक बन जाती हैं जो इस समय परिवार की आय वृद्धि में चाह कर भी सहयोग नहीं कर पातीं। यदि हम परिवार की आमदनी बढ़ाने में मदद कर दें तो बाकी विकास परिवार स्वयं कर लेता है। परिवार का विकास होगा तो गांव का विकास अपने आप होगा। परन्तु यक्ष प्रश्न यह है कि शहरों में रहने वाले गांव के लोगों को अपने-अपने गांव के विकास में सहभागी बनने के लिए प्रेरित कैसे किया जाए? ऐसे सभी लोगों के लिए श्री श्रवण गोयल प्रेरणा है। श्री गोयल ने इस सोच को सबसे पहले हरियाणा के करनाल जिले में स्थित अपने पैतृक गांव जलमाना में मूर्त रूप प्रदान किया। 1997 में उन्होंने वहां एक विद्यालय शुरू किया और 1998 में एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र। अपने इस प्रयोग को उन्होंने नाम दिया 'मेरा गांव मेरा तीर्थ'। इसके बाद वे देशभर में लोगों को इस प्रकार के प्रकल्प शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ❖ **लेखक प्रमुख अंग्रेजी साप्ताहिक 'आर्गेनाइजर' में वरिष्ठ संवाददाता हैं।**

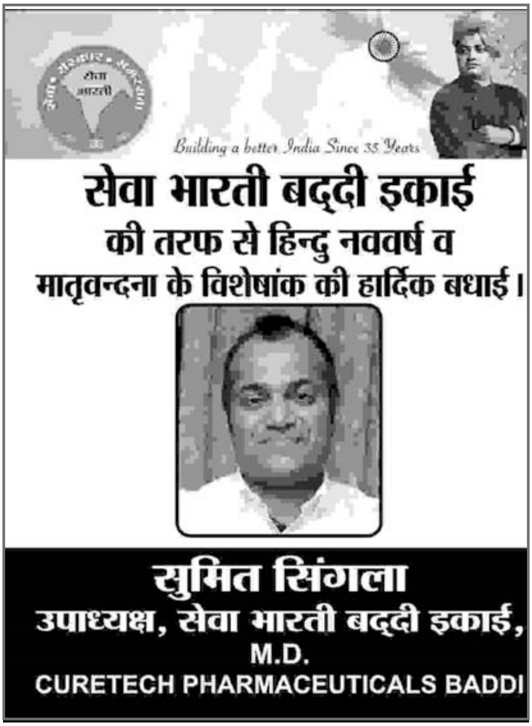

ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका

-डॉ॰ अर्चना गुलेरिया

प्रकृति का सबसे सुन्दर रूप नारी है। नारी सत्य, प्रेम और विश्वास का रूप है। वह श्रद्धा, भक्ति और त्याग की जीती जागती तस्वीर है। नारी ही वह महासेतू है जिस पर अदृश्य जगत से चलकर नए मनुष्य दृश्य जगत में आते हैं। वह शिशु के रूप में ईश्वर को भी जन्म देती है। रामधारी सिंह दिनकर जी की सुन्दर पंक्तियां,

नारी ही वह महासेतु जिस पर अदृश्य से चलकर,
नए मनुज, नव प्राणा दृश्य जग में आते हैं।
नारी ही वह कोष्ठ, देव, दानव मनुष्य से छिपकर
महाशून्य चुपचाप जहां आकार ग्रहण करता है।''

कहा जाता है कि भगवान हर घर में नहीं जा सकते थे इसलिए उन्होंने मां को बनाया। इसलिए मां को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश में सैद्धान्तिक रूप में आज भी, और हमेशा से ही, नारी की मर्यादा है, और उनका आदर हुआ है। कहा जाता है कि समाज में नारी का स्थान और मर्यादा वही है जो पुरूष की है- न कम और न अधिक। अपने देश को हम 'भारत माता' कहकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी व्यावहारिक रूप में स्त्रियों की स्थिति विभिन्न कालों मे उठती और गिरती रही है।

सम्भवत: वैदिक युग हिन्दु समाज का स्वर्ण युग था। इस युग में नारी की स्थिति अत्यन्त उन्नत थी। वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय स्त्रियों की स्थिति उनके आत्मविकास, शिक्षा, विवाह सम्पति आदि के सम्बन्ध में प्राय: पुरूषों के समान थी। पत्नी के रूप में तो उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी। उतर वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, पर अधिक समय तक स्थिर न रह सकी। धर्मसूत्रों में बाल विवाह का निर्देश दिया गया जिससे स्त्रियों की शिक्षा में रूकावट आई। बहुपत्नी-प्रथा का प्रचलन और बढ़ा।

मध्यकालीन युग में विशेषकर मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद स्त्रियों की दशा और दयनीय हो गई। उच्च वर्ग ने हिन्दुधर्म की रक्षा के लिए स्त्रियों के सम्बन्ध में नियमों को और भी कठोर कर दिया। पर्दा-प्रथा को प्रोत्साहन मिला और लड़कियों के विवाह की आयु 8 से 9 वर्ष कर दी गई। आधुनिक युग में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अनेक अधिनियम बनाए गए। धीरे-धीरे सुधार होने लगा। शिक्षा को स्त्रियों की उन्नति का आधार माना जाने लगा। सन् 1951 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 1000 स्त्रियों में 79 स्त्रियां शिक्षित थी। परन्तु 2011 की जनगणना के अनुसार ये प्रतिशतता बहुत अधिक बढ़ चुकी है। आज महिलाएं घर की चारदीवारी से निकल कर पुरुषों के बराबर घर परिवार सम्भालती है।

हमारा देश, प्रदेश अधिकतर ग्रामों में बसता है। सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतरी के लिए चलाई गई हैं। ग्राम विकास के क्षेत्र में अगर महिलाओं की भूमिका की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि आर्थिक दृष्टिकोण

से आज स्त्रियों की स्थिति उच्च है। वे अब केवल पति पर ही आश्रित नहीं हैं, बल्कि स्वंय भी जीविकोपार्जन कर रही हैं। वे वकील हैं, प्रोफेसर हैं, एकाउंटेण्ट हैं, प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, डाक्टर, नर्स हैं, और यहां तक कि भारतीय सेनाओं में भी अधिकारी के पद पर आसीन हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में वर्चस्व बनाने की वजह से हमारे गावों की स्थिति में कफी बदलाव देखने को मिलते हैं। जहां औरतें पहले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी वहां अब पुरुषों की सोच में भी बदलाव आया है। ग्राम विकास में महिलाओं का योगदान इस बात से भी आंका जा सकता है कि ग्रामीण महिलाएं अगर नौकरी नहीं करती हैं तो भी वे आर्थिक समृद्धि के लिए लघु उद्योगों का सहारा ले रही हैं। अपने घरों में आचार चटनी आदि बनाना, बड़ियां-पापड़ बनाना, जैम आदि तैयार करना, सिलाई-बुनाई करके आर्थिक समृद्धि के रास्ते महिलाओं ने अपने लिए खोल दिए हैं। जो स्त्रियां किसी समय घर के बाहर तो दूर घर की खिड़की से बाहर भी नही झांक सकती थी वही आज घर से बाहर जाकर नौकरी करती हैं और अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं।

परिवार और विवाह के सम्बन्ध मे आज नारी की स्थिति भी उच्च है। सन् 1929 के 'बाल-विवाह निरोधक अधिनियम द्वारा बाल-विवाह का अन्त कर दिया गया है। विवाह करते समय माता-पिता अपनी बेटियों की राय जरूर जानते है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण महिलाएं पढ़ी लिखी होने के कारण अपने बच्चों का भविष्य तय करने में अपना योगदान देती हैं। निष्कर्ष रूप में आकर कहा जाए तो देश की कुल आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है। ग्रामीण विकास के साथ-साथ आज के सन्दर्भ में ये बात तो तय है कि सामाजिक, राजतीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता।❖

लेखिका मातृवन्दना संस्थान की सदस्या हैं।

नारी

तोड़ के चारदीवारी का बन्धन
हर मुश्किल आसान करती नारी है।
प्रेम, ममता, त्याग, तपस्याएं सहनशीलता की मूर्त
न असहाय, न अबला, न बेचारी है।
शिक्षित, स्वाभिमानी, निडर व
हिम्मत का रूप आज की भारतीय नारी है।
आत्मबल से बढ़े आगे
गृहस्थी संग हर रिश्ता संभाले
सुबोह से शाम तक श्रम कर
अपने सपनों और चाहत को
पूरा करके दिखाती ग्रामीण नारी है।
सुन लो नारी के लिए
दायरे बनाने वालो
जरा गिरेवान में अपने झाँकों
माँ बहन बेटी पत्नी संग
दोस्त वह तुम्हारी है ।
घर समाज चाहे देश विश्व हो
हर जगह मान बढ़ाती सबका
जगजननी सृष्टि का श्रृंगार
बड़े बड़े पद पर आसीन
नर की प्रेरणा आदर्श नारी है।
न घुटती और न सिसकती
न खामोशी से अत्याचार सहती
आदर की अधिकारी है।
सीमा पर लड़ती
अंतरिक्ष में अनुसंधान करती
आज की सबल भारतीय नारी है।❖

सुषमा देवी, भरमाड कांगड़ा (हि०प्र०)

ग्राम विकास व पर्यटन

-डॉ॰ अमरीक सिंह

भारत में ग्रामों की रचना का कोई निश्चित काल तो नहीं बताया जा सकता, किन्तु यह अवश्य है कि वेदों में ग्राम का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद के 12वें कांड के प्रथम सूक्त 'पृथ्वी सूक्त' के 56वें श्लोक में ग्राम का वर्णन है।

ग्राम समर्थ तो भारत समर्थ, ग्रामोदय होगा, तभी राष्ट्रोदय होगा। भारत वास्तव में गांवों में ही बसता है। आत्मा, आत्मीयता, गांवों में होती है। शहरों में भीड़ होती है, गांवों में लोग होते हैं। भारत समर्थ कैसे होगा?यदि भारत को समर्थ करना हे तो हमें प्रत्येक ग्राम को समर्थ करना होगा।

वैदिक काल में ग्रामों में जीवन के सुंदर बनाने तथा पुरूषार्थ को प्राप्त करने के साधनों की न्यूनता नहीं थी। कृषि, व्यापार, पशुपालन से ग्राम अत्यंत समृद्ध थे। ग्रामों में जाति अथवा वर्ग का भेद भाव नहीं था। सभी वर्ण समाज की एक व्यवस्था से जुड़े हुए थे। इस काल का ग्राम्य जीवन अपनी आवश्यक सामग्रियों के लिए किसी अन्य पर आश्रित न होकर पूर्ण रूपेण स्वावलम्बी था। ऋषि और कृषि, भारतीय ग्राम्य संकल्पना और व्यवस्था के आधार रहे हैं। इस परम्परा ने न केवल मानव को जीवन जीना सिखाया, बल्कि जीवन को सुख शान्ति, सफलता और आनंद के साथ जीने के विचार और संस्कार भी दिए। इसी कारण से विनोवा भावे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नाना जी देशमुख तथा अन्य चिन्तकों ने ग्राम स्वराज्य के माध्यम से ग्राम विकास कर भारत के नव निर्माण का चिंतन दिया।

20वीं सदी के उत्तरार्ध में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विस्तार व तरक्की ने मानव जीवन की सभी भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार लगा रखा है। शहरी और महानगरीय जीवन शैली, सभ्यता और संस्कृति अपने चरम पर हैं तथापि साधनों से भरपूर, सुख-सुविधाओं के मद में चूर मानवीय जिन्दगी शान्ति और सन्तोष से अभी भी बहुत दूर दिख रही है। यही कारण है कि शहरों और महानगरों में अत्यंत व्यस्त नहीं बल्कि अस्त-व्यस्त संतप्त जिन्दगी से जैसे ही व्यक्ति को थोड़ा अवकाश मिलता है तो वह फिर शहरों में नहीं बल्कि गांवों की ओर प्रकृति और प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण की ओर भागता है। क्या कारण है कि शहर और महानगर, सुख सुविधा देने वाले समस्त साधन-संसाधन, सुविधाओं से युक्त वातावरण हमें वह शान्ति नहीं दे पाते जो प्रकृति के वातावरण में, विसर्ग की हरीतिमा में, गावों में, झोपड़ी में, पहाड़ों में व नदी के किनारे जाकर मिलती है। उत्तर एक ही है कि मानव मन मूल रूप से सब भाव के कारण प्रकृति से संबद्ध है। इसका कारण है कि मानव का मन ओर तन दोनों प्रकृति से अभिन्न है। जो तत्व मानव के तन की रचना करते हैं, वहीं तत्व विराट रूप में प्रकृति में भी दृष्टि गोचर हैं। अत: मानव प्रकृति के साथ रहकर ही शान्ति और सन्तोष की अनुभूति कर पाता है।

ग्राम विकास पर आधारित योजनाओं को दीर्घकालीन एवं जमीनी परिस्थितियों के अनुसार बनाना पड़ेगा ताकि आसानी से ग्रामीण इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। ग्रामोदय से भारत उदय तभी हो पाएगा जब ग्रामीणजन नई तकनीक से परिचित हो पाएंगे व उसे उपयोग कर पाएंगे। ग्राम्य जीवन के विकास को लेकर शासन की गलत नीतियों के कारण इस क्षेत्र में जो गिरावट आयी है उसके उपर नीम चढ़े मैकाले शिक्षा षड्यन्त्र ने ग्राम को आज पलायन के अभिशाप से ग्रसित कर दिया है। यदि ये दिशा विहीन विकास या नीतियां अभी भी नहीं रूकी और उसके स्थान पर व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया तो समाज जीवन का भारी नुकसान होना तय है।

आज शिक्षा को बाजार व व्यापार की वस्तु बना दिया गया है। कृषि ही नहीं बल्कि ग्राम विकास के नाम पर सम्पूर्ण ग्राम संस्कृति को तहस नहस कर हमें ऐसे दुश्चक्र में फंसाया गया है कि ग्राम व्यवस्था के समक्ष अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। हमारे ग्राम समृद्ध संस्कृति व जीवन मूल्यों के ऐसे आचार बिन्दु है जो हमें परिवार से ग्राम, ग्राम से जिला, जिला से प्रदेश, प्रदेश से देश और देश से सम्पूर्ण बसुधा को एक सूत्र में बांधते हैं। मानव जीवन विकास का आधार गांव व ग्राम जीवन ही केंद्र बिन्दु रहा है। गांव में मौजूद स्वस्थ जीवन मूल्य और विकास का सुव्यवस्थित ढांचा बने, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वावलम्बी जीवन जीता हो। गांव में एक रस जीवन में अपनेपन का भाव होता है। लेकिन काल की गति के साथ जैसे-जैसे हम सभ्य होते गए। वैसे-वैसे हमने गांव की अपनी सुदृढ़ व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया। इस व्यवस्था को 1600 ईस्वी तक भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा, जितना हमने मात्र ब्रिटिश काल व पिछले 70 साल में पहुंचा दिया। विगत 70 सालों में शासन की नीतियों ने गांवों की उपेक्षा करके न केवल शहरीकरण को बढ़ावा दिया बल्कि गांव को उजाड़ने का प्रबंध भी निर्बाधरूप से किया। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र पलायन के मैकाले विजित रोग से पूर्ण रूप से ग्रसित है, जिसके कारण हमारे देश में जनसंख्या असंतुलन शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक व जीवन मूल्यों सम्बंधित अन्य रोग भी निर्वाघ गति से बढ़ रहे हैं। शासन की देश, धर्म व संस्कृति विहीन दिशाहीन नीतियों के कारण समृद्ध ग्रामीण संस्कृति नष्ट हो गई है तथा कंकरीट के उभरते शहरी जंगलों को हम विकास समझते रहे। जिसने हमें पूर्ण रूप से परावलम्बी बना दिया है।

आज भी हम ग्राम जीवन के लिए कुल आधारभूत तत्वों, मूल्यों को केंद्र मान कर कुछ उस दिशा में चलने का प्रयास अपने स्तर पर करें तो हम आने वाली पीढ़ियों को परावलम्बन से स्वावलम्बी, समृद्ध ग्राम जीवन सांस्कृतिक धरोहर की भेंट दे सकते हैं। (1) स्वावलम्बन (2) सामाजिक शिक्षा (3) सामाजिक स्वच्छता (4) सामाजिक स्वास्थ्य (5) सामाजिक समरसता (6) सामाजिक सुरक्षा (7) सामाजिक सम्पन्नता (8) सामाजिक संस्कार

उपरोक्त अष्ट बिन्दुओं में से एक बिन्दु सामाजिक स्वावलम्बन व सामाजिक सम्पन्नता की पुष्टि हेतु ग्राम विकास में ग्रामीण पर्यटन का सहयोग, योगदान, संभावनाएं एवं प्रभाव का संक्षिप्त विवरण और रूप रेखा की ओर ध्यान देने से ग्रामीण पर्यटन को विकसित और ग्राम विकास की संकल्पना व अवधारणा को सुदृढ़ किया जा सकता है। क्योंकि देश का विकास लम्बे काल खण्ड तक 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत परावलम्बी बनावटी आर्थिक संरचना व तत्व पर नहीं चल सकता। हमने हाल में ही 80 वर्षों के छोटे से काल खण्ड में तथाकथित आर्थिक मंदी 1930 व 2006-08 के दौर को देखा है तथा राहत पैकेज/बेल ऑडिट पैकेज जैसे बनावटी तन्त्र की व्यापकता को भी देखा है।

यद्यपि भारत में ग्रामीण पर्यटन का विकास अभी प्रारंभावस्था में है परन्तु हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक, प्राकृतिक, मूल्यों की विरासत का अधिकांश भाग गांवों में ही मौजूद है। इसलिए ग्रामीण पर्यटन के महत्व और भविष्य की संभावनाओं की दृष्टि से इस ओर विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास अत्यंत प्रासंगिक जान पड़ते हैं। ग्रामीण पर्यटन का तात्पर्य एक ऐसे पर्यटन से है, जो ग्रामीण परिवेश, अर्थात गांवो से संबंधित जीवन कला, संस्कृति, परम्पराओं और ऐतिहासिक, धार्मिक प्राकृतिक संसाधन, जीवन शैली को जानने समझने की दृष्टि से पर्यटकों को आकर्षित करे। साथ ही ऐसी पर्यटन

गतिविधियों से ग्रामीण जीवन को अधिकांश सामाजिक लाभ हो और पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों में पर्यटन को बढ़ावा देने वाला पारस्परिक संवाद भी विकसित हों।

ग्राम विकास के लिए ग्रामीण पर्यटन- ग्रामीण पर्यटन की सबसे बड़ी शक्ति और विशेषता यहां की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत है। हालांकि 20वीं व 21वीं सदी में पर्यटन का क्षेत्र व व्यवसाय देश एवं विभिन्न राज्यों की अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाने में प्रमुख स्थान रखता है। अत: पर्यटन क्षेत्र को विकसित और विस्तृत बनाने के प्रयास विभिन्न प्रकार से सामने आ रहे हैं जैसे प्राकृतिक पर्यटन, पर्वतीय पर्यटन, साहसिक पर्यटन, खेल पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, राष्ट्रीय अभ्यारण्य पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, पर्वतारोहण पर्यटन, योग ध्यान पर्यटन, चलचित्र पर्यटन व विविध रूचि आधारित पर्यटन प्रकार विकसित हो रहे हैं।

पर्यटन के इन विभिन्न आयामों में ग्रामीण पर्यटन का एक नया रूप भी तेजी से उभरकर सामने आया है। जिसमें हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में शासन ने अतिशीघ्रता दिखाते हुए सहयोग के नाते पर्यटन के इस आयाम को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए ''होम स्टे'' योजना विगत एक दशक से शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं से युक्त 03 कमरों को पर्यटन विभाग से पंजीकृत किया जाता है तथा विभाग की प्रचार पोर्टल पर आने से उस ग्रामीण क्षेत्र का प्रचार भी शुरू हो जाता है।

पर्यटन में प्राचीन व वर्तमान पर्यटन के सम्बन्ध व उद्देश्य एवं पर्यटन के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक लाभों के साथ-साथ, भारतीय पर्यटन व ग्रामीण पर्यटन का अध्ययन भी आवश्यक है। स्थानीय ग्रामीण समाज को भी पर्यटन के ग्रामीण स्वरूप का उनके सामाजिक सांस्कृतिक, दैनिक, आर्थिक पक्ष का संरक्षण करना होगा जिसका पर्यटकों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार आधारभूत ग्रामीण संरचना के विकास से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार व विकास होगा। इसके साथ-साथ विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा ग्रामीण पर्यटन का विकास। इसके विकास के साथ ही समाज व शासन में व्यवहारिक अनुभव के आधार पर ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रों, पर्यटन नीतियों व पर्यटन योजनाओं का विवेचन, विश्लेषण व भारत के ग्रामीण पर्यटन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं व अनुभवों का अन्य ग्रामीण पर्यटन केंद्रों के विकास तथा सकारात्मक पहलुओं का क्रियान्वयन तथा नकारात्मक पहलुओं से बचाव किया जा सकता है। ग्रामीण पर्यटन के विकास के साथ ही प्रशिक्षित मानव श्रम की आवश्यकता, आवागमन की सुविधा बढ़ाना, स्थानीय निकाय एवं शासन में समन्वय, ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों का सरंक्षण होना जरूरी है। इस प्रकार व्यवहारिक अनुभव के आधार पर दीर्घकालीन योजना का मार्ग भी निकलेगा।

ग्रामीण पर्यटन गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के साथ-साथ राष्ट्रीय आर्थिकी का भी एक मुख्य स्त्रोत बन सकता है। जरूरत सिर्फ ग्रामीण पर्यटन को विकसित व सुदृढ़ करने की है। ग्रामीण पर्यटन से स्थानीय जीवन के विकास की अनेक संभावनाएं सामने आती हैं तथा लोगों की जीवन शैली व रहन सहन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण पर्यटन के द्वारा ग्रामीण संस्कृति के पुर्नजीवन का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्रामीण पर्यटन के विकास में हमारे देश की कला, संस्कृति और जीवन मूल्यों के संरक्षण की उत्कृष्ट भावना मौजूद है। ❖ **लेखक पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।**

ग्रामीण पर्यटन गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के साथ-साथ राष्ट्रीय आर्थिकी का भी एक मुख्य स्त्रोत बन सकता है। जरूरत सिर्फ ग्रामीण पर्यटन को विकसित व सुदृढ़ करने की है। ग्रामीण पर्यटन से स्थानीय जीवन के विकास की अनेक संभावनाएं सामने आती हैं तथा लोगों की जीवन शैली व रहन सहन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण पर्यटन के द्वारा ग्रामीण संस्कृति के पुर्नजीवन का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्रामीण पर्यटन के विकास में हमारे देश की कला, संस्कृति और जीवन मूल्यों के संरक्षण की उत्कृष्ट भावना मौजूद है।

संपूर्ण ग्राम विकास का मूलमंत्र

-चेतन कौशल "नूरपुरी"

हमारा भारत ग्रामों का राष्ट्र है। भारत तब पुन: विश्वशक्ति अथवा विश्वगुरू अवश्य बन जाएगा, जब देश के समस्त गांव विकसित हो जाएंगे। देश के हर गांव में एक चिकित्सालय अवश्य होना चाहिए। जिसमें चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों की कोई कमी न हो। हर चिकित्सालय, हर चिकित्सा सुविधा से संपन्न हों। वहां हर प्रकार की दवाईयां उपलब्ध हों ताकि दवाई लेने के लिए रोगी के साथ आए हुए सहायक को बाहर कहीं बाजार में न भटकना पड़े। प्राचीन काल से ही देश भर में विद्यालय और चिकित्सालय सरकारी व सामाजिक अनुदान पर निर्भर, निशुल्क संचालित होते रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से विद्यालय और चिकित्सालय दोनों का स्वार्थी लोगों द्वारा तेजी से व्यवसायीकरण हुआ है। जो देश हित के लिए घातक है। गांववासियों का जीवन आनन्दमय हो, इसके लिए परंपरागत पर्यावरण अर्थात जल, जंगल और जमीन का संरक्षण अवश्य हो, उसको बढ़ावा मिले, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। इससे समस्त जीव जंतुओं के भरण-पोषण संवर्धन में वृद्धि हो सकती है।

ग्राम विकास हेतु ग्राम पंचायतों का सशक्त होना बहुत जरूरी है। ग्राम पंचायतों में उनके सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका हर समय बनी रहती है। अगर वे ईमानदारी से अपने-अपने वार्डों में निहार कर यह सुनिश्चित कर लें कि अंत्योदय नामांकन सूची में दर्शाये गए परिवारों के नाम यथार्थ ही उस सूची में रखने योग्य हैं?उनके द्वारा शुद्ध अंत्योदय नामांकन सूची जारी हो सकती है। इस तरह सरकारी अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले समस्त परिवारों को सरकार की ओर से सीधे उस योजना से संबंधित समस्त सुख-सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। गांवों की सुख-शांति बनाए रखने के लिए सही दिशा से भ्रमित हो चुके आसामाजिक तत्वों पर नकेल बनाए रखना मात्र प्रशासन का ही दायित्व नहीं है अपितु सहयोग के लिए ग्रामों में नौजवानों की अपनी रक्षा-सुरक्षा समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है ताकि शिष्ट नौजवान स्वयं कड़े अनुशासन में रहकर अपने परिवार और समाज के प्रति जागरूक होकर कर्तव्य का पालन कर सकें। सरकार को ग्राम विकास हेतु कार्य योजनाओं में स्थानीय श्रमिकों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए।

सुख-सुविधा संपन्न स्वच्छ मकान, संतुलित पौष्टिक भोजन, सस्ती बिजली, समुचित जलसंग्रह, त्वरित उपयुक्त चिकित्सा, श्मशान घाट, विद्यालय, खेल व योग-प्राणायाम करने का उचित स्थान, देवालय एवं सत्संग भवन, पशु चिकित्सालय, प्रदूषण मुक्त आवागमन के संसाधन, बारात घर, सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, ग्राम पंचायत घर, बाजार, पुल, पक्की गलियां, अनाज व सब्जी मंडी, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंक, एटीएम इत्यादि आज गांवों की

अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी व गैर सरकारी सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं द्वारा जल्द से जल्द पूरा कर देना चाहिए।

अगर योजना गांव की है, धरती गांव की है, धन भी गांव का है और कार्य करने हेतु वहां श्रमिक बाहर से आएं तो गांव का धन गांव में कभी नहीं रहेगा। गांव का धन गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। स्थानीय श्रमिकों को अपने ही क्षेत्र में कोई न कोई कार्य करने के लिए अवश्य मिलना चाहिए, ताकि गांवों की बेरोजगारी दूर हो और हमारे गांव सुख-समृद्धि से सम्पन्न हो सके। देश के हर गांव में ग्राम सामुदायक भवन अवश्य होने चाहिए ताकि गांववासी सामूहिक अथवा व्यक्तिगत विवाह, भगवत् कथा आदि करवा सके। इससे गांववासियों का बहुत सा धन और समय अपने पास बच सकता है।

ग्राम विकास हेतु प्रशासन को समय-समय पर ग्राम के राष्ट्रीय पर्व व स्थानीय परंपरागत दंगल, धार्मिक मेलों के आयोजन में सहयोग देना चाहिए। कार्यक्रम में, उससे संबंधित विशेषज्ञों, गांव के गणमान्य सदस्यों तथा श्रमिकों को बुलाया जा सकता है। इससे लोगों को अच्छी जानकारी मिल सकती है। बाहर से लोग आएंगे तो गांव के बाजार में भी रौनक आएगी। स्थानीय उत्पादों का विक्रय होगा और गांव को आर्थिक लाभ होगा। गांवों में जिस कार्य को करवाने के लिए बहुत से स्थानीय लोग तैयार हों, और वह कार्य संपूर्ण गांव के हित में भी हो तो ऐसे जनमत को स्थानीय विकास कार्यक्रम में प्रोत्साहन अवश्य मिलना चाहिए। ध्यान रहे कि कोई भी ग्राम विकास योजना अमुक गांव की अपनी ही आवश्यकता के अनुरूप हो, न कि वह उस पर बलात् लादी जाए। मनुष्य को जलवायु अनुकूल उपयोगी वस्त्र, श्रृंगार एवं सजावट संबंधी सामग्री प्रकृति से प्राप्त होती है। उसके पोषण का ध्यान रखते हुए उसका दोहन किया जाना सर्व हितकारी है जबकि उसका शोषण विनाश को आमंत्रित करता है। गांव व शहर का परिवेश, घर, नालियां, गलियां, बाजार एवं सड़क स्वच्छ रखने, प्रदूषण मुक्त आवागमन के संसाधनों का प्रयोग करने, घर-घर में शौचालय और सार्वजनिक स्थानों पर सुलभ शौचालय निर्माण करने तथा लोगों के द्वारा उनका उचित प्रयोग करने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है। ग्राम का विकास होना आवश्यक है। ध्यान रहे! वह विकास पोषण पर आधारित हो, शोषण पर नहीं। हमारी प्रकृति शोषण पर आधारित किसी भी मूल्य पर होने वाले विकास को कभी सहन नहीं करती है। ऐसा विकास प्राकृतिक आपदा बनकर अपना रौद्र रूप अवश्य दिखाता है।

ग्राम विकास के लिए गांवों में कलात्मक लघु एवं कुटीर ग्रामोद्योग, कृषि-गोपालन, बागवानी और व्यापार को बढ़ावा मिले। इसके लिए नौजवानों को प्रेरित करके प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्हें गांव छोड़ कर किसी अन्य स्थान पर न जाना पड़े, बल्कि कुछ ऐसा हो कि बाहर जा चुके नौजवान वापिस आ जाएं। गांव के नौजवानों को गांव ही में रोजगार मिल जाए तो इससे बढ़ कर और अच्छी बात क्या हो सकती है? इस तरह देश में ग्राम विकास का सपना अवश्य साकार हो सकता है जब हम खुले मन से सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय नीति के अंतर्गत अपने-अपने घर की सीमाओं से बाहर निकल कर, विशाल आकाश की भांति समस्त समाज, देश और विश्व कल्याण का चिंतन करेंगे।

आइए! हम सब मिलकर इस पुनीत कार्य में तन, मन, धन से सहयोग दे कर इसे सफल बनाएं। ❖ **लेखक समालोचक एवं टिप्पणीकार हैं।**

साहित्य की आत्मा हैं गांव

–संदीप शर्मा

सदियों से ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है विद्वानों व शिक्षाविदों के विचारों और रचनाओं की आत्मा में गांव व उसकी संस्कृति ने अपना बसेरा सजा लिया और उनकी साहित्य धाराओं से निकलते गांव के सुरम्य स्वच्छ व समृद्ध जीवन के किस्सें कहानियां साहित्य में बसते गए और साहित्य अपना पावन रूप धारण करता गया। गद्य साहित्य हो या फिर पद्य साहित्य, गांव के सांस्कृतिक, जीवन ने अपने आप को हर विधा में स्थापित कर लिया। साधारण शब्दों में अगर साहित्य है, तो गांव है और अगर गांव है तो साहित्य है। संक्षेप में कहें तो साहित्य की आत्मा ही गांव है। विश्व या भारत की प्राचीन ग्रम्य परम्परा से उपजा साहित्य विश्व के कोने–कोने में फैलता गया और नए लेखकों, कवियों व विद्वानों के लिए अनमोल प्रेरणा स्त्रोत बनता गया। आज तक विश्व या भारत में जितने भी साहित्य की रचना हुई, उसमें ग्राम्य जीवन की झांकी को बडे सुन्दर ढंग से प्रदर्शित किया गया।

गांव की छटा ने लेखकों, कवियों के मन में ऐसा स्थान बनाया कि वे अपने आप को गांव के बंधन से नही निकाल पाए। गांव के आकर्षण ने जैसे उनके साहित्य को बांध दिया। ग्रामीण पृष्ठ भूमि से निकलते किस्से और नित नए उभरते चरित्रों ने पाठक वर्ग के मानसिक पटल पर अपने आप को स्थापित कर लिया और इन्हीं चरित्रों, किस्से, कहानियों ने लेखकों को महान् लेखक बना दिया। मुन्शी प्रेमचन्द का साहित्य संसार, गांव की चौखट से बाहर नही निकल पाया और उन्हें एक महान् लेखक बना गया। मोहन राकेश, रांगेय राघव, भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर आदि महान् लेखकों ने ग्रामीण साहित्य को विश्व–पटल पर लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन लेखकों में रवीन्द्र नाथ टैगोर, मुन्शी प्रेमचन्द व महादेवी वर्मा जैसे सरीखे लेखकों ने गांव की छवि को बड़े आकर्षण और सच्चे रूप में पेश किया। मुन्शी जी के उपन्यासों व कहानियों के गांव के पात्र आज भी साहित्य जगत के पाठकों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। अब चाहे कुछ बड़े लेखक शहरी साहित्य के दम पर नई बुलंदियां छू रहे हैं लेकिन उनके साहित्य से भी गांव की पृष्ठभूमि गायब नहीं हुई है। कहीं न कहीं उनका साहित्य गांव के मोह से प्रभावित है। हिमाचल से संबंधित कथाकारों मे चन्द्रधर शर्मा गुलेरी व यशपाल का पूरा साहित्य संसार गांव की खुशबू में कहीं न कहीं डूबा है। मधुकर सिंह की कहानी पोखरः नया गांव, शेखर जोशी की कहानी, कोसी का घाटवार, प्रेमचंन्द की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ‘पंच परमेश्वर’ ‘पूस की रात’ ‘ठाकुर का कुआं' 'कफन' और ‘सवा सेर गेंहू’ गांव के मानवतावादी दृष्टिकोण समाज सुधार से ओतप्रोत साहित्य में शामिल हैं।

नए साहित्यकारों को अपने गांव की माटी से साहित्य को निकाल कर दूर आसमानों की ऊंचाई की ओर ले जाना है। हमें फिर गांव की ओर लौटना होगा और चहुं ओर गांव की फिजाओं में फैले साहित्य को प्रमाणित करना होगा। गांव की महक हमें फिर से लौट आने का न्यौता दे रही है। गांव का साहित्य नित नए साहित्य के अकुंरित होते पौधों को वट वृक्ष बनने का खुशनुमा पर्यावरण बांट रही है। बस वक्त फिर से गांव को लौटने और चारों और फैले साहित्य को समेटने का है। यही साहित्य आने वाली पीढ़ी को गांव से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करेगा।

आज के समाज के लिए पथप्रदर्शक, उष्मा तथा एक नई दिशा देने के लिए गांव की मिट्टी से साहित्य पूर्ण रूप से सक्षम है। अतः गांव की ताजी आवोहवा, सादगी, जीवन की सजीवता और सच्चाई मिलकर आने वाले साहित्यकारों के लिए नई उमंग लेकर आती है और वह गांव के साहित्य में डूबकर वहां से अनमोल मोती ढूंढ कर ले आता है। फणीश्वरनाथ रेणू की ‘जलवा’ कहानी गांव के जीवन की बेबसी और बेचैनी का जीवंत चित्रण करके साहित्य जगत में अपनी अलग पहचान बनाती है। ❖

लेखक प्राध्यापक एवं साहित्यकार हैं।

समृद्ध लोक संस्कृति के पोषक ग्रामीण लोक साहित्य एवं रीति रिवाज

-मीनाक्षी सूद

लोक सांस्कृतिक साहित्य भारतीय संस्कृति में समाहित ऐतिहासिक परम्पराओं, जनजीवन व नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा समसामयिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संदर्भों तथा लोकजीवन के विभिन्न रंगों को देखा, परखा तथा समझा जा सकता है। यही समस्त ऐतिहासिक अवशेषों को पुन:जीवित करने का एकमात्र साधन भी है।

लोकसाहित्य में लोकगीतों, गाथाओं की रचना सामूहिक होती है। किसी घटना को जीवंत बनाये रखने में कई प्रकार की संवेदनाएं, विचार तथा दृष्टिकोण समाये रहते हैं। जिससे लोकगाथाओं की सत्यता में कोई संदेह नहीं रहता। किसी सुखद या दुखद घटना के घटते ही लोक कवि कुछ पंक्तियां गुनगुनाता है जिसे जनमानस अपनी भावनाओं के अनुरूप संजो लेता है। ये शब्द, बोल, गीत, सब जगह पीढ़ी दर पीढ़ी गाये जाते हैं। अत: सुरक्षित रहते हैं, यह सब श्रोतविद्या से ही संभव है। यह कला व संस्कृति विभिन्न उत्सवों, त्यौहारों, विवाह समारोहों व नित्य क्रिया कलापों में अपने घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा सुरीले स्वर में गायन करने, गुनगुनाने से ही पलती बढ़ती है।

लोकगीतों को कंठस्थ रखना, लेखबद्ध करने की योग्यता भी संस्कृति के संरक्षण में सहायक है। संचार माध्यमों की बढ़ोतरी से लोकसंस्कृति के संरक्षण पर विलुप्त होने के बादल मंडरा रहे हैं। लोकगीतों के संग्रह कहीं लोकगायकों के साथ ही समाप्त न हो जाये, इसके लिए प्रयासरत रहना है। आधुनिक पीढ़ी में कांगड़ा, हमीरपुर की तरफ शिव-विवाह, रामायण गा-गाकर घर-घर सुनाई जाती है। जंगम गाते हैं-

भंव-भंव-भंव-भंव लहरी में भोले शंकर मेहर करेंगें

भागवत, जागरण, कथा, व्रत, उद्यापन, तुलसी विवाह व विवाह समारोहों में गाये जाने वाले लोकगीत समृद्ध परम्पराओं और रीति रिवाजों की ही कड़ी है। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, चम्बा, कुल्लु, मण्डी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल-स्पिति व जिला शिमला में विभिन्न अवसरों पर अनेक लोकगीत गाये जाते हैं। जो हमारी समृद्ध लोकसंस्कृति की अमूल्य धरोहर भी हैं।

लोकगायिकाओं का मधुर स्वर में मंगलगान हर घर आंगन में वार-त्यौहार को गूंजता है-

भाईयां पिआरिये भैणे आयेआ मेरे पियारिया

हंसणा खेलणा मंदा नहीं बोलणा

क्या लेई जाणा संसार दा ए।

अर्थात् घर में भगवान ने एक सुन्दर खिलौना दिया है। हमें हंसते खेलते हुये खुशी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। संसार से क्या ले जाना है? हमारे मीठे बोल ही पीछे रह जायेंगे।

नंद करदा है गौंआ दा दान, दुधां दे मट्ट भरी

नंद करदा है वस्त्रं दा दान, सुच्चयां जड़त जड़ी

नंद करदा है लेकां दा दान, पलंग नवारी बुणी

नंद करदा है सुच्चेयां दा दान, थालां दे थाल भरी।

यानि श्रीकृष्ण जन्म की खुशी में जैसे बाबा नन्द ने मुक्त हस्त से दान देकर हर्ष व्यक्त किया, वैसे ही बच्चे का पिता भी गरीबों में धनधान्य वितरित कर हर्षित है।

बेटी अपने पिता से 'अटल सौभाग्य' का वरदान मांगने के लिए उनके पास जाती है। लोकगायिका के स्वर में -

बेटी बौए बेड़े गई है सुहाग मंगण गई है

बौए ऐ वर दिता से वर दिता, जैवन वाला

किस्मत वाला, नीहेयां होई के रहणा श्री राम राम कहणा

फुल्ल गुलाबी होई के रैहणा श्री राम राम कहणा

केसर तरियां होई के रैहणा श्री राम राम कहणा

सब दा कहणा सिर ते सैहणा श्री राम राम कहणा।

पिता ने ऐसा अनूठा वर दिया, जो यौवन सम्पन्न, सुन्दर, अतिदर्शनीय वर देकर बेटी से कहा कि विनम्र होकर रहना, जैसे फल पकने पर वृक्ष झुक जाते हैं, वैसे ही नम्र बनना, अपने सद्व्यवहार व मीठी वाणी से सबका मन जीत लेना, परन्तु अभिमान न करना, इतराना मत, प्रभु नाम का जाप करती रहना। अपने सद्गुणों की सुगन्ध फैलाना, गुलाब के फूल की तरह सदा मुस्कुराते रहना। केसर की तरह तरोताजा बने रहना। हमेशा राम राम कहना। हिमाचल में देवगण भविष्यवाणियां भी करते हैं।

समृद्ध लोकसंस्कृति एवं रीतिरिवाजों का जब पोषण होगा तभी संजयलीला भंसाली जैसे लोग इतिहास से छेड़छाड़ का दु:साहस नहीं कर पायेंगे। हमें पश्चिमी सभ्यता का भूत सिर से उतारना ही पड़ेगा।

खान-पान, रहन सहन, वेषभूषा, मेले, विवाह, त्यौहार, धार्मिक अनुष्ठान, शिवरात्रि आई पर्व एवं लोकभाषा, सादगी एवं कर्म व्यक्तित्व अपनी समृद्ध पहाड़ी संस्कृति के अनुरूप जब होगा तभी ग्राम के विकास में सम्पूर्णता परिलक्षित होगी। ❖ **लेखिका मातृवन्दना संस्थान की सदस्या हैं।**

स्मार्ट शहरों के साथ स्मार्ट गांव भी जरूरी

-योगराज शर्मा

आधुनिकता के इस युग में शहर ही मानव सभ्यता का भविष्य माना जा रहा है और हिन्दुस्तान आज अतीत का बहुत बड़ा झोला लिए भविष्य में दाखिल हो रहा है। वर्तमान की जरूरत के हिसाब से भले ही हमें नए शहरों को बनाना है, लेकिन इन शहरों के लिए रास्ता गांवों से होकर ही गुजरता है। ऐसे में केंद्र सरकार की स्मार्ट शहरों की योजना के साथ-साथ स्मार्ट गांवों की अवधारणा को विकसित करना भी जरूरी है। तभी भारत का सही मायनों में विकास संभव हो पाएगा। हालांकि शहर कोई नई चीज नहीं है, हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के नक्शे पर शहर आ गए थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि मानव सभ्यता का असली विकास गांवों से ही आरम्भ हुआ है। शहरों के संबंध में नया विज्ञान व नई तकनीकी ही नई चीज है। लेकिन इन सबके बीच समता, स्वतन्त्रता व बन्धुत्व का भाव कहीं पीछे छूट गया है। जीवन के ये मूल्य आज भी ग्राम्य जीवन में ही देखने को मिलते हैं।

अक्सर ऐसा माना जाता है कि शहर थोड़े ज्यादा शिक्षित हैं, संभ्रात और साफ-सुथरे हैं। गांव थोड़े अधिक निरक्षर हैं, गंवार हैं और गंदे है। जबकि यह अर्ध सत्य है। यह केवल मात्र एक दृष्टिकोण है। ऐसी भी मान्यता है कि गांव वह है जो प्राकृतिक है और शहर वह जो कृत्रिम है। यह बहुत कुछ सही भी है। ऐसा नहीं है कि गांवों में भोजन, आवास व वस्त्र कृत्रिम नहीं हैं, लेकिन गांव न केवल प्रकृति के अधिक अनुकूल हैं, बल्कि हमारी स्वाभाविक विकासात्मक प्रक्रिया से उपजे हैं। गांव स्वयं बसते चलते हैं और शहर बसाने पड़ते हैं। इसलिए आम जनमानस को प्रकृति के नजदीक रखने के लिए गांवों को सुनियोजित विकास बेहद जरूरी है। प्रकृति व प्रौद्योगिकी में बेहतरीन तालमेल बिठाते हुए, गांवों के विकास का एक मॉडल विकसित करना होगा।

विकास की इस अंधी दौड़ में हमें आदमियों को भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि आदमी से ही घर बनते हैं। घरों से गांव व शहर बनते हैं। आदमियों की एक बस्ती गांव तो दूसरी शहर है। गांवों में जहां खेत-खलियान हैं, चरागाह हैं वहां शहरों में उद्योग है, व्यापार है। परन्तु एक फर्क अवश्य है, गांवों में जहां आदमी पशुओं के साथ रह कर भी उसी तरह पशु नहीं बना जिस तरह शहरों में आदमी मशीनों के बीच रह कर यांत्रिक हो गया है। तभी देश में महाराष्ट्र के रालेगांव सिद्धी और गुजरात के पनसाई जैसे आधुनिक सुविधा संपन्न गांव बन सकते हैं। केंद्र व राज्य सरकारों ने ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं भी चलाई है। लेकिन अभी भी गांवों के विकास के लिए बहुत कुछ करना बाकि है।

हिमाचल प्रदेश के संबंध में बात की जाए तो राज्य में इस वक्त 20 हजार से अधिक आबाद गांव हैं। लेकिन यहां पर भी गांवों का पलायन शहरों की ओर हो रहा है। अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने व अच्छे रोजगार की तलाश में यह सब हो रहा है। इस पलायन को रोकन व गांवों में ही रोजगार के अच्छे अवसर पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि स्मार्ट शहरों के साथ-साथ स्मार्ट गांवों की अवधारणा भी विकसित की जानी चाहिए। सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, स्वच्छ पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षा व इंटरनेट क्नेक्टिविटी की सुविधा

ग्राम विकास पर जंगली जानवरों का दुष्प्रभाव

-प्रदीप शर्मा

हिमाचल प्रदेश भारत वर्ष के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का एक बहुत ही रमणीय राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 55,673 किलोमीटर सुक्येर यानी 21,945 वर्ग मील है। यहां की जनसंख्या लगभग 70,66,573 है तथा प्रति वर्ग मील 319 व्यक्ति निवास करते हैं। यहां की साक्षरता दर 84 प्रतिशत है। 12 जिलों में बंटी, यह देवभूमि यहां के बाशिदों के लिए एक तपोस्थली तो है ही साथ ही पर्यटकों के लिए बेहद ही रोचक और कौतुहल पूर्ण पर्यटन स्थली भी है। हर वर्ष इस देवभूमि को निहारने लाखों देखी और विदेशी मेहमान आते हैं। यहां के बाशिंदों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। यह 69 प्रतिशत कामकाजी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराती है। कृषि और उससे सम्बन्धित क्षेत्र से होने वाली आय प्रदेश के कुल घरेलु उत्पाद का 22.3 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश के कुल भू-भाग 55.673 लाख हैक्टेयर भूमि में से 9.80 लाख हैक्टेयर भूमि के स्वामी 9. 15 लाख किसान है। राज्य में कृषि भूमि भाग 10.4 प्रतिशत है लगभग 80 फीसदी क्षेत्र वर्षा के ऊपर निर्भर है और हिमाची किसान इन्द्र देवता को वर्ष भर निहारता रहता है। यहां के किसानों द्वारा परम्परागत कृषि के अतिरिक्त सेब, नाशपती, आढ़ू, खूमानी, निम्बू, प्रजाति के फल आम, लीची, अमरूद भी प्रमुखता से उगाये जाते हैं। जो हिमाचलवासियों को आर्थिक सम्बल प्रदान करते हैं।

ग्राम विकास में यहां एक ओर नगदी फसलें और परम्परागत कृषि से उत्पादित कृषि उत्पाद, हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों की एक उज्जवल तस्वीर प्रस्तुत करते हैं वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भू-भाग आज अपनी उज्जवल तस्वीर को खोता जा रहा है।

छोटा परिवार सुख का आधार यह उक्ति गांवों में सार्थक प्रतीत नहीं होती। संयुक्त परिवार खेती बाड़ी की रखवाली के लिए अहम् भूमिका अदा करते थे, परन्तु अब वे सभी बीते कल की बातें होती जा रही हैं। दिन में किसान बंदरों, नीलगाय, हिरण आदि से फसल की रखवाली करेगा। छोटे परिवारिक परिवेश में हर समय फसलों की रखवाली करना सम्भव ही नहीं है, नतीजा किसानों की साल भर की मेहनत पर जानवरों का वर्चस्व स्थापित हा जाता है यह स्थिति आवारा पालतु जानवरों के कारण और भी विकट हो गई है। आलम यह हो गया है कि अब हिमाचल प्रदेश के विभिन्न गांवों के लगभग 25 फीसदी किसान कृषि से तौला करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। जब किसान खेतीबाड़ी नहीं करेगा वह परिवार के कारण पोषण हेतु पलायन करेगा तो ऐसी विकट स्थिति में गांवों का विकास कहां तक सम्भव है। ऐसी विकट स्थिति आज हिमाचल प्रदेश के कई गांवों में पैदा हो गई है। नौजवान अब गांव में नहीं रहना चाहता है वह रोजगार की तलाश में कृषि से अतिरिक्त विकल्प ढूंढने लग गया है।

कृषि भारत की आत्मा है परन्तु समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण कृषि प्रधान भारत जो कृषि में आत्मनिर्भर था, अब टकटकी लगाए अन्य देशों की तरफ देखने को मजबूर हो रहा है। कृषि उत्पाद आयात कर रहा है। आवश्यकता है कृषि की कृषकों के समक्ष आने वाली मुश्किलों से निपटने हेतु उचित कार्य प्रणाली की। ऐसा नहीं है कि सरकार इस विषय पर कार्य नहीं कर रही है परन्तु यह कार्य नाकाफी है और कुछ विषयों में तो सरकार ने खुद ही कृषि उजाड़ने के लिए साधन पैदा किए हैं

जिसका नतीजा किसान भुगत रहा है। उदाहरण के लिए जिला शिमला के तारादेवी स्थित बंदर संरक्षण पार्क की बात करते हैं, यहां पर बाहर से पकड़कर बंदरों को लाया गया और उनके लिए वन विभाग के संरक्षण पार्क का निर्माण किया, परन्तु बंदरों के लिए सही रख-रखाव न होने के कारण उन्होंने आसपास के गांव पर अपना धावा बोल दिया, इसपार्क के कारण आसपास के 15-20 गांवों में जहां बंदर नहीं थे, बंदर ही बंदर हो गए हैं अच्छी खासी खेती बाड़ी वाले गांव इस सरकारी योजना के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो गए। अब बंदर किसानों की फसलें तो तबाह कर ही रहे हैं साथ ही बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर भी आंच आनी शूरू हो गई है। हालात यह है कि यहां का खुशहाल किसान अब रोजगार के लिए कृषि के अलावा अन्य स्त्रोत तलाशने लगा है।

सरकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिह्न नहीं तक सीमित नहीं है, वन विभाग शहरों में शान्ति बहाली के लिए गांवों को निशाना बना रहे हैं। यह गम्भीर आरोप शोघी के बाशिंदों, अर्की के बाशिदों, कोटखाई ठियोग के बाशिदों और कुनिहार के किसानों ने लगाए हैं यहां के प्रतिष्ठित किसानों बागवानों ने बताया कि वन विभाग शहरों से बन्दरों को पकड़कर गांव में छोड़ रहा है। बाहर का उत्पाती बंदर गांव में उत्पात मचाकर किसानों की मेहनत पर कुठाराघात कर रहा है। सरकार के समक्ष कई मर्तबा इस विषय को लेकर कई प्रतिनिधि मण्डल मिले हैं परन्तु सही दिशा में सही सोच की कार्य प्रणाली के अभाव में किसानों की इस समस्या का सटीक उपाय अभी तक नहीं किया गया है। वन विभाग द्वारा किया जा रहा यह कार्य सर्वथा उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वन विभाग के प्रमुख अरण्यपाल ने बताया कि बंदरों को काहर से पकड़कर गांव में नहीं बल्कि जंगलों में छोड़ा जाता है जहां पर इनका कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। उन्होंने किसानों की इस समस्या को प्रदेशव्यापी बताया और इसका समाधान बंदरों की नसबन्दी करने के रूप में तलाशा गया। परन्तु सरकार का नसबन्दी का प्रयास भी फलीभूत होता प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि बंदरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार किसानों के प्रति जागरूक नहीं है किसानों के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। फसल बीमा, सिंचाई योजनाएं, उपपद पर बीजों की उपलब्धता व कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, भूमि जांच, दवाईयों की उपलब्धता और समय-समय पर किसानों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जैसी अनेक योजनाएं शुरू की गई है, जिनकी सहायता से गांवों को उन्नत एवं विकसित किया जाएगा। ग्राम विकास में किसान स्वयं भी बाधा बन रहे हैं जैसे पालतु जानवरों को आवारा छोड़ देना, सरकारी फरमान के बाद भी धार्मिक भावनाओं के चलते बंदरों को मारने के बजाय उन्हें गुड़ एवं चना खिलाना, यही नहीं, कृषि जैसे मेहनत भर रोजगार की अपेक्षा नौकरी करने जैसे आरामदायक पेशे को बढ़ावा देना भी ग्राम विकास में बाधा बनता जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश की 75 तहसीलों में से लगभग 25 तहसीलें ऐसी हैं जहां पर कृषि भू-भाग बंजर होता जा रहा है यह भू-भाग इसलिए बंजर नहीं हो रहा है कि उस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता शक्ति खत्म हो गई है या इन्द्रदेव ने उपकार करना बंद कर दिया है बल्कि यह भू-भाग जंगली जानवरों के कारण बंजर होता जा रहा है। इस बहुत बड़े भू-भाग पर बंदरों, सुअरों, नीलगाय, हिरण एवं खरगोश जैसे जंगली जानवरों का अधिपत्य बढ़ता जा रहा है, जिस कारण ग्रामीण विकास बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता जा रहा है।

कृषि एवं बागवानी हि0प्र0 का मुख्य व्यवसाय है यहां पर ग्राम विकास हेतु किसानों के लिए मूलभूत कृषि सुविधाएं, प्रशिक्षण, जंगली जानवरों से बचाव व समय-समय पर किसानों को प्रोत्साहित करने वाले क्रियाकलापों की आवश्यकता है ताकि किसान पढ़ लिख कर कृषि से गांव से पलायन न करें बल्कि अपनी शिक्षा से कृषि पर आत्मनिर्भरता को प्रतिष्ठापित करें और ग्राम विकास में अपना अहम योगदान दे कर 'किसान देश की आत्मा है' जैसे वाक्य को सार्थक बनाने का संकल्प दोहराएं। ❖ **लेखक हि.प्र. विश्वविद्यालय के इक्डोल में सम्पादक हैं।**

बिन पानी सब सून

-मोनिका

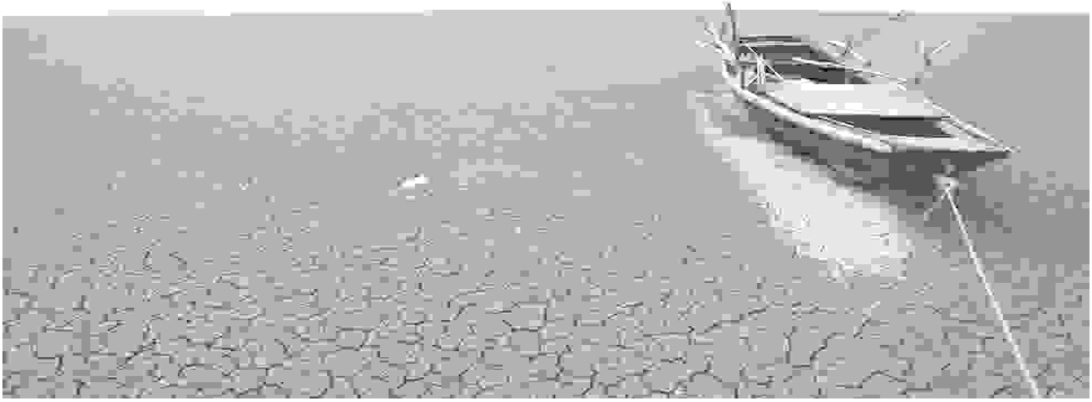

भारतीय संस्कृति के केंद्र में 'क्षिति जल पावक गगन समीरा' पंच तत्वों का अत्यन्त महत्व रहा है। भारत वह राष्ट्र है जिसने जल को समाज का पर्याय माना है। परंतु वास्तविकता यह है कि इसमें सर्वाधिक संकटग्रस्त तत्व जल ही है। आज जल का संकट दिनोंदिन गहराता जा रहा है। कहां जाने लगा है कि 21वीं सदी का विश्व युद्ध जल के लिए ही होगा। इतनी भयावह अवस्था के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसकी चेतावनी लगभग सवा चार सौ साल पहले रहीम जी ने एक दोहे 'रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून' के माध्यम से हमको दे दी थीं। इलाहाबाद में कांग्रेस महासमिति की बैठक में भोजन समाप्ति के बाद नेहरू जी एक लोटे में पानी लेकर गांधी जी के हाथ धुलाने लगे। गांधी जी उस समय अन्य व्यक्ति से चर्चा कर रहे थे और उस समय उनका ध्यान हाथ धोने की तरफ नहीं था परंतु नेहरू जी जब दूसरा लोटा पानी लेने गए तब गांधी जी के ध्यान में आया कि क्या हुआ?गांधी जी बोले 'एक लोटा पानी में मेरे हाथ नहीं धुले मुझसे बड़ा पाप हो गया' तो नेहरू जी ने कहा कि संगम के तट पर बैठे हो गंगा, यमुना निरन्तर यहां बह रहीं हैं अगर एक लोटा पानी ज्यादा ले लिया तो इसमें इतना पछताने की आवश्यकता है? गांधी जी ने जो उत्तर दिया वो भारतीय जीवन का सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि 'यह ठीक है कि गंगा यमुना यहां निरन्तर बह रहीं हैं लेकिन केवल मेरे लिए ही तो नहीं बह रही हैं। करोड़ों लोग, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे सब उनसे पोषण प्राप्त करते हैं अगर एक लोटा अधिक लेता हूं तो किसी न किसी का हिस्सा मारा जाता है।

ईश्यावास्योपनिषद् में कहा गया है कि 'ईश्वावास्यमिदम् सर्वम् यत्किंच जगत्यां जगत्, तेनत्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्' इस जगत में जो कुछ भी है वह सब परब्रह्म परमात्मा से ओत-प्रोत है। इस संसार का उपभोग त्याग पूर्वक करो कभी किसी का धन मत छीनो। भारत में सदैव ही इस सिद्धांत को जीवन में ढाला है। परंतु पाश्चात्य जीवन दर्शन कहता है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष है परंतु भारतीय जीवन दर्शन कहता है अस्तित्व के लिए कहीं कोई संघर्ष नहीं है।

विश्व में सब जगह पर समन्वय और सहयोग है संघर्ष अगर हमें कहीं दिखाई देता है तो वह हमारे अज्ञान के कारण है। किंतु भोगवादी संस्कृति के पाश्चात्य प्रभाव ने भारत को अपने मानदण्डों से न केवल डिगा दिया अपितु उन्हें भुलाने पर मजबूर कर दिया और यही कारण है कि आज भारत में पानी की कीमत लगाई जाने लगी है। जो नदियां जीवनदायिनी मां की भांति पूज्या थीं वे आज प्रदूषित जल के चलते मुनष्यों के प्राणों की प्यासी बन उपेक्षित हो गई हैं। इस सबके पीछे हमारी उदासीनता ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी है क्योंकि हमने लोक संस्कृति का परित्याग किया है। भारतीय समाज ने जल के संरक्षण और

संवर्धन के अनेकानेक उपायों को विकसित कर प्रकृति की चुनौती को स्वीकार किया था।

आज फिर से भारत में लोक परम्परा के माध्यम से जल संरक्षण और संवर्धन कार्य प्रारम्भ हो चुका है। उसको और व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए जनजागरण की आवश्यकता है। आज जल के ऊपर अनेक प्रकार के शोध प्रबंध और शोध कार्यों का संचालन प्रमुख समाज सेवी संस्थाओं एवं वैज्ञानिकों के द्वारा किया जा रहा है।

शहरी क्षेत्र में पुनर्भरण की कितनी क्षमता है इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में 100 वर्गमीटर आकार की छत पर एक वर्ष में 65 हजार लीटर जल एकत्र किया जा सका है। इस जल से चार सदस्यों वाले एक परिवार की पेयजल और घरेलू आवश्यकताएं 160 दिन तक पूरी की जा सकती हैं। नदियों पर छोटे बांध बनाकर जल संचय के प्रयास पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश में किए जा रहे हैं इस दृष्टि से गुजरात सबसे आगे कहा जा सकता है। गुजरात में बने इन चैकडेम से एक प्रकार से जल क्रान्ति आ गई है भूमिगत जल स्तर में सुधार हुआ है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान में भी अनेकों जिलों में चैकडैम तालाबों के निर्माण से फसलों की पैदावार में 150 से 200 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। बाकी हिन्दुस्तान को भगवान ने सब कुछ दिया है आज की तारीख में हजार डेढ़ हजार साल के भयानक आक्रमण, अंग्रेजों की लूट के बाद भी आज इस देश के पास क्या नहीं है। थोड़े से आंकड़े आप देखिए। धरती अन्न उगाती है और जिसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं जो समूचा योरोप है। उसके अन्दर 7 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर, चीन के पास 12 करोड़ हेक्टेयर, अकेले हिन्दुस्तान के अन्दर 16 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। हमारे यहां 45 अरब घर मीटर पानी गिरता है। 20 अरब घन मीटर पानी नदियों में बहता है, 20 अरब घर मीटर पानी तबाही मचाता है, 5 अरब घन मीटर पानी जमीन सोखती है। ये जो बाढ़ में तबाही मचाता है इसको चैनलाइज करने की आवश्यकता है इसको अगर देश कर ले, तो तीन साल के अन्दर देश की नीति बदल जायेगी। हिन्दुस्तान पर जितना विदेशी देशी कर्ज है उससे मुक्त होकर देश विकसित और महाशक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ जायेगा। इस दिशा के नीति निर्माताओं को सोचने की आवश्यकता है परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं परन्तु प्रश्न केवल समस्याओं से मुकाबले का मात्र नहीं है सवाल दूसरा भी है कि समस्याओं से मुकाबला करना है उसे करने के लिए एक जज्बा, एक विश्वास जो हमारे अन्दर होना चाहिए उसे लाने की आवश्यकता है। कहते हैं कि **'मुश्किलें बहुत हैं मुश्किलों से डरना क्या, आखिर को दरवाजे दीवारों से ही निकलते हैं' रास्ता तो निकलेगा, निकालने वाला चाहिए।'** इस दिशा में इस देश के नीति निर्माताओं को नियत साफ करके राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विकास यदि सचमुच राष्ट्रीय दृष्टि से हो तो वह विवेकपूर्ण होगा अभी विकास के नाम पर जो हो रहा है वह तो बदहवास लूट है। कुछ लोग जाने किस हड़बड़ी में देश को लूटना, बर्बाद कर देना चाहते हैं। आज नहीं तो कल इस सब पर सवाल और तीखे उभरेंगे तब ये लोग क्या करेंगे। क्या जाग्रत राष्ट्र के विरूद्ध ये विकास करने वाले लोग युद्ध घोषित कर देंगे?या भाग जायेंगे? कहां जाएंगे भागकर इस देश से, यह उनका भी देश है, उन्हें भी यहीं रहना है अत: बेहतर तो यही होगा कि नदियों और जलाशयों, पर्यावरण और परिवेश के प्रति भी पवित्रता, श्रद्धा और विनय का भाव अपना लें। जो कुछ भी करना है इस देश की जन भावना के अनुकूल देशहित में करें। अन्यथा इस देश का जनता जनार्दन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ❖ *साभार: समग्र दृष्टि*

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत वाटरशेड कार्यक्रम के तहत जल संचयन पर पहले से ही काम चल रहा है। जल संचयन के लिए विविध योजनाओं से ये बात रेखांकित हो जाती है कि 'गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में' पर अमल कर जल संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। जल संचयन के परम्परागत उपायों के साथ ही नदियों पर बांध बनाकर और नलकूपों और कुओं द्वारा जल पुनर्भरण कर वर्षा जल संचित किया जा सकता है। चैकडैम, तालाब, पोखर बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन किया जा सकता है शहरी क्षेत्रों में भी जल संचयन की उतनी ही आवश्यकता है।

समग्र ग्रामीण विकास एवं स्वच्छता का पर्याय बना हिमाचल

-नर्वदा कंवर

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने में सदैव देश भर में अग्रणी रहा है। वर्तमान सरकार ने अपने चार वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने गांवों व ग्रामीणों की महता को समझा है और सरकार का सदैव यही प्रयास रहा है कि शहरी सुविधाओं को गांवों तक पहुंचाया जाए। इससे न केवल शहर व गांव के बीच का अंतर समाप्त होगा बल्कि गांवों से शहर की ओर हो रहे पलायन पर भी विराम लगेगा। राज्य के गांव खुशहाली के जीते जागते उदाहरण बने हैं। प्रदेश सरकार ने अपने चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान कृषि, बागबानी जैसे क्षेत्रों को नई दिशा प्रदान की है। सरकार द्वारा फसल विविधिकरण योजना, डॉ. वाईएस परमार किसान स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना, जैविक खेती योजना तथा फसल बीमा योजनाओं को लागू कर ग्रामीणों की आर्थिकी को सुदृढ़ किया है। साथ ही साथ कृषि, बागबानी, पशुपालन जैसे पारम्परिक क्षेत्रों को आधुनिक तकनीक से अधिक लाभप्रद एवं रोजगारोन्मुखी बनाने के प्रयास किए गए।

तकनीकी क्षेत्रों में हुई प्रगति का असर अब कृषि में साफ दिखाई देने लगा है। गांव अब अंधेरे में नहीं है। आज ग्रामीण ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों, गोबर गैस, बायो गैस, सौर ऊर्जा आदि का समुचित दोहन कर रहा है। गांवों में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए प्रदेश सरकार ने पंचायतों को अब राज्य शासन की एक आधारभूत प्रशासकीय इकाई बनाया है। पंचायतें अपने कार्य क्षेत्र में जनहित से जुड़े सभी कार्यों को बखूबी निभा रही है। पंचायतों द्वारा कार्यों को सुचारू तथा प्रभावी रूप से निष्पादित करने के साथ-साथ उनमें पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के दृष्टिगत समस्त पंचायतों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

इसी के साथ पंचायत कार्यालयों के उन्नयन व नवनिर्माण के लिए सरकार द्वारा प्रदेश में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत भारत सरकार से 75:25 आधार पर एक परियोजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत करोड़ों रूपये की राशि व्यय की जा रही है। इसी योजना के तहत पंचायतों को लैपटॉप व प्रिंटर भी उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार पंचायतों को पूर्ण रूप से पेपरलैस बनाने के लिए भी कार्य कर रही है। इसी के साथ परिवार रजिस्टर को ऑनलाइन करने का लक्ष्य प्राप्त करने पर कार्य तेजी से चल रहा है। प्रदेश में आइसीटी (इंफार्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टैक्नोलॉजी) को व्यापक रूप से सुदृढ़ कर लोगों की जिंदगी में गुणात्मक बदलाव लाने वाला हि.प्र. अग्रणी राज्य बना

है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घर-द्वार पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने इस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं की सीमित पहुंच के कारण लोकमित्र केंद्र काफी लाभप्रद साबित हुए हैं। आज लोकमित्र केंद्र गांवों में लोगों को इलैक्ट्रोनिक तरीके से सरकारी कर्मचारियों से सम्पर्क करने का जरिया बन गए हैं। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर 2500 लोकमित्र केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनके माध्यम से नागरिकों को एक ही छत के नीचे 105 प्रकार की विभिन्न सरकारी सेवाएं मिल रही हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र व दस्तावेज भी शामिल हैं। जमाबंदी कई वर्षो से लोगों को ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। परन्तु अब वे तरीमा भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

मनरेगा ने हिमाचल के गांवों की दिशा व दशा बदलने में खास भूमिका निभाई है। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अधीन किए जा रहे कार्यों में राज्य की उपलब्धियां देश भर में बेहतर आंकी गई है। प्रदेश में मनरेगा के तहत कुल सक्रिय श्रमिकों की संख्या 911559 है जिनमें से 876800 को उनके आधार नम्बरों से जोड़ा जा चुका है। मनरेगा के तहत सक्रिय श्रमिकों की प्रतिशतता 93.36 प्रतिशत है जो देश भर में सर्वाधिक है। प्रदेश में मनरेगा के तहत महिलाओं की भागीदारी श्रेष्ठ आंकी गई है। उनकी भागीदारी 63.14 प्रतिशत है जो कि देश भर में सर्वाधिक है। इ स क े अतिरिक्त मुख्यमंत्री आदर्श कृषि गांव योजना के तहत प्रत्येक विधान सभा की दो-दो पंचायतें शामिल की गई हैं। इस योजना के तहत पंचायतों में कृषि ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए 10-10 लाख रूपये प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कृषि मशीनरी के प्रयोग के दौरान यदि किसान या खेतीहर मजदूर घायल हो जाता है या मृत्यु हो जाने की सूरत में उन्हें 'मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर सुरक्षा योजना' आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत मृत्यु या अस्थायी रूप से अपंग होने पर मुआवजे के तौर पर 1.5 लाख रूपये तथा आंशिक स्थायी अपंग होने पर प्रभावितों को 50,000 रूपये की सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत 450 करोड़ व्यय किए जा रहे हैं। मौसम की अनिश्चितता, मूल्यों की अस्थिरता से कृषक तथा आवारा पशुओं और जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचाये जा रहे नुकसान की भरपाई के लिए 'मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना' चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कृषकों को बाड़ लगाने के लिए 60 प्रतिशत की सहायता दी जा रही है और योजना पर 25 करोड़ व्यय किए जा रहे हैं। मनरेगा का उद्देश्य न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना है बल्कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है। मनरेगा के तहत वर्तमान सरकार ने 1474.34 करोड़ व्यय किए हैं। इस राशिमें से 77 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किए गए हैं और यह औसतन देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त 75 प्रतिशत बैंक खाते आधार से जोड़े गए हैं।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबन्धन के निपटान के लिए कारगर नीति लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में हाल ही में राज्य सरकार के निमंत्रण पर प्रदेश में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कोरिया राज्य से सहयोग लिया जा रहा है। वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालने के कुछ ही समय बाद ग्रामीणों के सुविधा के लिए टीडी के अधिकार बहाल कर दिए। इसके अतिरिक्त वन्य प्राणी क्षेत्रों का युक्तिकरण कर 775 गांव वन अभ्यारण्य क्षेत्र से बाहर किए गए जिससे एक लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। ❖ *साभार हिमप्रस्थ*

ग्राम विकास हेतु सरकारी योजनाएं कितनी कारगर

-टेक चंद ठाकुर

हि.प्र.की कुल्लू घाटी का एक दूरस्थ गांव कन्याल। जनसंख्या लगभग 400, ठेठ कुल्लुवी रहन सहन। सन् 1962 में गांव में प्राथमिक विद्यालय खुला। वर्षानुवर्ष तक स्थिति नहीं बदली। फिर सन् 1979 में मनाली से 5 गांवों को जोड़ती हुई एक सड़क बननी शुरू हुई। अब यह गांव सड़क से जुड़ गया। गांव को दिशा और दशा बदल गई, सड़क निर्माण के प्रारम्भिक दिनों में विभाग को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सड़क के सर्वेक्षण बदलते गए परन्तु सभी अवरोधों के बावजूद अब गांव तक पक्की सड़क बन गई है। इस सब में नया कुछ नहीं है, ऐसी घटनाएं प्रायः होती रहती है परन्तु अब इसका दूसरा पक्ष देखा जाए। सड़क जो इन पांच गांवों की सुविधा के लिए बनाई गई थी, अब इस के दोनों ओर इतने निर्माण हो गए हैं कि लोगों ने सड़क को ही अपने कब्जे में ले लिया है। यानी लोक निर्माण विभाग ने सड़क के लिए जितनी भूमि अधिगृहीत की थी उस पर भी कब्जा कर लिया गया है। अब न तो विभाग पूछता है और न ही प्रभावित ग्रामीण इस की चिन्ता करते हैं। उनके लिए तो गांव तक सड़क पहुंचाना ही पर्याप्त है।

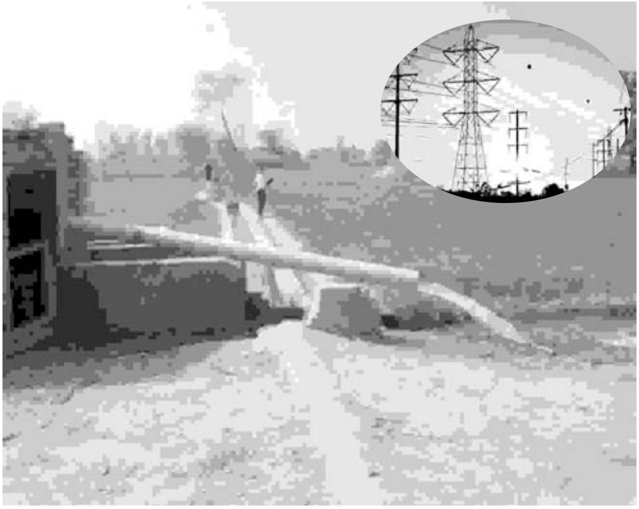

इस गांव की प्राथमिक पाठशाला का भवन अब तक चार बार बनाया गया। बनाया फिर गिराया, तोड़ा फिर जोड़ा, क्यों? इसी प्रकार महिला मण्डल भवन बनाया, फिर गिराया और फिर बनाया गया। सार्वजनिक शौचालय व स्नानागारों की स्थिति भी कुछ भिन्न नहीं।

भारत सरकार ने मनरेगा नाम से जो योजना शुरू की है उसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि लगता है कि इसे लागू करने के लिए विभागों को जबरदस्ती अपनी योजनाएं थोंपनी पड़ रही है। उदाहरण के लिए वन विभाग सार्वजनिक वानिकी को बढ़ावा देने व वनों के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए पौधरोपण करवाता है। पौधारोपण के मौसम के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत लाखों पौधों का रोपण किया जाता है परन्तु पौधारोपण के पश्चात् इनकी साज संभाल, पानी व रखारखाव कौन करेगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं होती, फलतः ये पौधे सूख जाते हैं। दुखद पहलु यह कि इस स्थिति के लिए किसी की भी जिम्मेवारी निर्धारित नहीं होती।

इसी प्रकार बागवानी विभाग की स्थिति भी भिन्न नहीं है जहां प्रतिवर्ष विभाग यही क्रम दोहराता है।

कल्याणकारी राज्य की कल्पना तो यही है कि जनता सरकार को चुनती है और सरकार जनता के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होती है। सरकाी गांवों के विकास की योजनाएं बनाती है। योजनाओं का क्रियान्वयन सम्बन्धित विभाग करवाता है। योजनाएं सरकारी कार्यालयों में बनती है और इन्हें गांवों पर थोपा जाता है। कई बार तो गांववासियों को यह भी पता नहीं होता कि आखिर हो क्या रहा है। विभाग अपने लक्ष्य पूरा करने

के लिए अपनी योजनाएं लागू करने लगते हैं। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ही लें। ठीक है राशन डिपो उचित स्थान पर और व्यक्ति द्वारा खोला गया है परन्तु क्या राशन सब को अर्थात् सभी ग्राम सदस्यों को मिल रहा है?डिपोधारक की शिकायतें प्रायः सुनने, देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? कृषि और पशुपालकों के लिए सम्बद्ध विभागों के केंद्र, उपकेंद्र कारगार सिद्ध हो रहे हैं। जहां विभाग के कार्यालय खुले हैं, वहां निकटस्थ लोग उसका लाभ उठाते हैं, परन्तु स्टाफ की भारी कमी, कागजी खानापूर्ती और क्लिष्ट औपचारिकताओं के चलते किसान इन कार्यालयों से परहेज करते हैं। सरकारी बाबू कर्मचारी बजट को किसी भी तरह निपटान करके इतिश्री करते हैं। बागवानी विभाग में स्थापित कम्पनियों के उत्पाद ने मिलने के कारण बागवान निजी दुकानदारों की ओर रूख कर लेते हैं। पशुपालन विभाग की योजनाओं को कितने लोग अपना रहे हैं, यह देखने वाली बात है।

विचार करने वाली बात है कि अब हिमाचल प्रदेश में ग्राम विकास की सरकारी योजनाएं धरातल पर बनाई व क्रियान्वित की जाएं। योजनाओं की व्यवहारिकता को ग्राम स्तर पर लागू करने के लिए स्थानीय पंचायत व ग्राम समितियों को अनिवार्यतः शामिल किया जाए और साथ ही योजना लागू करने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। इसी के साथ ही योजनाओं का अनुवर्तन आवश्यक है और इसके लिए ग्राम स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना चाहिए।

ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकारी विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर नहीं लगाते। प्रत्येक विभाग के पास एक दिवसीय, दो दिवसीय व सप्ताह भर के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने व अध्ययन भ्रमणों के लिए बजट निर्धारित होता है, परन्तु ये सब प्रशिक्षण शिविर भी कितने कारगर सिद्ध होते हैं, यह देखने वाली बात है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बहुत दुरूह है। यहां लाहौल स्पिति, किन्नौर पांगी व भरमौर जैसे भीषण दुर्गम स्थान भी है तो ऊना, बिलासपुर जैसे गर्म स्थान भी परन्तु सरकारी योजनाओं को लागू करने के मानक लगभग एक जैसे हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में भले ही आज हिमाचल प्रदेश भारत वर्ष के पहाड़ी राज्यों की तुलना में काफी आगे लगता है परन्तु देखने वाली बात है कि सरकार को आज उन सैकड़ों स्कूलों को बंद करने के बारे में क्यों सोचना पड़ रहा है जहां अब केवल 8-10 बच्चे ही पढ़ने जा रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ क्या यह नहीं कि अभिभावक अपने बच्चों को इन शालाओं में इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि वे स्तरीय शिक्षा नहीं दे पा रहीं, जबकि सरकारी अध्यापक अन्य कई विभागों के कर्मचारियों से कहीं अधिक वेतन लेते हैं। प्रदेश सरकार गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का ढिंढोरा पीटती है, परन्तु ईलाज के लिए लोग चण्डीगढ़, मोहाली और दिल्ली दौड़ पड़ते हैं। कहीं तो कमी है जीवन भर की कमाई तो इन मंहगे अस्पतालों में लुट जाती हैं।

विचार करने वाली बात है कि अब हिमाचल प्रदेश में ग्राम विकास की सरकारी योजनाएं धरातल पर बनाई व क्रियान्वित की जाएं। योजनाओं की व्यवहारिकता को ग्राम स्तर पर लागू करने के लिए स्थानीय पंचायत व ग्राम समितियों को अनिवार्यतः शामिल किया जाए और साथ ही योजना लागू करने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। इसी के साथ ही योजनाओं का अनुवर्तन आवश्यक है और इसके लिए ग्राम स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना चाहिए। ❖

लेखक सेवानिवृत्त बागवानी अधिकारी हैं।

विवेकानन्द के सपनों के भारत में कृषि महत्वपूर्ण

स्वामीजी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्वपूर्ण स्थान व भूमिका से भलीभांति परिचित थे। वे यह भी जानते थे कि भारत में कृषि का इतिहास विश्व के तत्कालीन विकसित देशों की तुलना में काफी पुराना है। इंग्लैंड की रॉयल एग्रीकल्चरल सोसाइटी के परामर्शदाता डॉ. वायलेकर ने 1889 में भारतीय कृषि एवं किसानों की भरपूर सराहना की थीं उनके अनुसार एक औसत भारतीय किसान ब्रिटिश किसान की तुलना में अधिक अनुभवी व योग्य था। भारतीय किसान को जमीन की जुताई करने, उसे अनावश्यक खरपतवार से मुक्त रखने, खेतों में पानी देने, मिट्टी व उसकी क्षमता, फसल बोने व काटने, फसलों के क्रम, मिश्रित फसलों, परती भूमि आदि के बारे में अच्छी जानकारी थी। इसके अलावा, उन दिनों भू-स्वामित्व का अधिकार भी किसानों के पास ही था। चूंकि भारत एक कृषिप्रधान देश है, अतः भारत की प्रगति के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है- ऐसा वे मानते थे। इस दृष्टि से किसानों को फिर से भू-स्वामित्व के अधिकार दिलाने, खेती में सिंचाई सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने, छोटे किसानों को समय पर उचित दर पर पर्याप्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने और कृषि उपज को बाजार में उचित मूल्य दिलाने जैसे उपाय करने होंगे।

स्वामी जी अच्छे बीजों, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाली खादों और भारत की परिस्थिति के अनुरूप कृषि उपकरणों की सहायता लेकर कृषि की नई व अच्छी पद्धति अपनाने पर जोर देते थे। वे मानते थे कि शीघ्रातिशीघ्र हमें कृषि क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाने के उपाय अपनाने होंगे।

स्वामीजी का स्पष्ट मानना था कि कृषि की ऐसी समृद्ध परंपरा को अंग्रेज सरकार ने जान-बूझकर नष्ट किया और नई भू-धारण प्रणाली लागू कर किसानों में भू-स्वामित्व का अधिकार छीन लिया। इसके साथ ही, स्वामीजी किसानों को शिक्षित-प्रशिक्षित करने पर भी बहुत जोर देते थे, ताकि वे कृषि की नई पद्धति को सीखकर उसे अपना सकें और समाज-विरोधी गलत तत्व उनका शोषण न कर सकें। उनका यह भी परामर्श रहता था कि रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं को निःस्वार्थ भाव से गरीबी से ग्रस्त व त्रस्त किसानों की दशा में सुधार लाने वाले कार्यक्रम एवं परियोजनाएं हाथ में लेनी चाहिए।

''हे भाइयो, हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा। अब सोने का समय नहीं है। पहले से ही बड़ी-बड़ी योजनाएं न बनाओ, धीरे-धीरे कार्य प्रारंभ करो- जिस जमीन पर खड़े हो, उसे अच्छी तरह से पकड़कर क्रमशः ऊंचे चढ़ने की चेष्टा करो। जागो, जागो, लंबी रात बीत रही है, सूर्योदय का प्रकाश दिखाई दे रहा है। ऊंची तरंग उठ रही है। उसका भीषण वेग किसी से न रूक सकेगा।'' ❖

साभार : विवेकानन्द के सपनों का भारत पुस्तक से।

LORD MAHAVIRA MULTISPECIALITY HOSPITAL

Near Hotel Drive-IN, Dattowal, Nalagarh (Solan) H.P.

Empanelled for H.P. Govt. Employees, ESI & BPL families

Ph.: 01795-223269, 220728, 98168 00001, 98160 99639

FACILITIES AVAILABLE

- Well equipped latest modern operation theatre.
- Well equipped modern ICU with ventilator & C-PAP.
- Centeral Oxygen.
- CT Scan.
- Endoscopy.
- Cystoscopy.
- Computerised Laboratory.
- Special Room & Wards.
- Central Oxygen Supply.
- Ultrasonography.
- Digital X-Ray.
- ECG, EEG
- Spirometry.
- Audiometry.
- Empanelment with Various Industries & Insurance Companies.
- Well qualified Doctors from PGI, GMCH-32 Chd. & other cities.

SURGERIES

- Open Hysterecotomy.
- Laparoscopic Hysterectomy.
- Laparoscopic Cholecystomy.
- Laparoscopic Hermioplasity.
- Open Hermioplasity.
- PCNL.
- Duodenal Ulcer Surgery.
- Cystolithotrispsy.
- Ceasarean Section.
- Family Planing Surgery.
- Neuro Surgeries.
- Uro Surgeries.
- GIT Surgeries.
- Burn Cases.
- Accidental & Tarauma Surgeries.
- Orthopaedic Surgeries.

CHAIRMAN
DR. AJEET PAL JAIN
MBBS, PCMS (EX.) 98160-99369

MANAGING DIRECTOR
DR. GAGAN JAIN
MBBS, MS 98168-00001

LORD MAHAVIRA NURSING COLLEGE

NEAR HOTEL DRIVE-IN DATTOWAL, NALAGARH, DISTT. SOLAN (H.P.)

Affiliated to INC, HP University Shimla & HPNRC (Shimla) 01795-220728, 222838, 98168-00001

CAREER IN NURSING COURSE OFFERED B.Sc. Nursing (4 Yrs. Degree)

10+2 Science (PCEB) with Minimum 45% Marks

GNM (3.5 Yrs. Diploma) 10+2 Passed with Minimum 40% Marks

Post Basic B.S.c Nursing (2 Yrs.)

Salient Features :-

Managed by highly qualified professionals Excellent infrastructure, well equipped labs & hostel Facilities : Practical Training in our own multi-speciality hospital and other. Esteemed hospitals like ESIC, Model Hospital, Baddi, I.G.M.C., Shimla, Govt. Mental Hospital, Amritsar.

संदेश

हिन्दु नववर्ष व मातृवन्दना के विशेषांक की हार्दिक बधाई।

विनोद चंदेल
पूर्व विधायिका दून

कार्यालय : नजदीक
नीलम होटल बद्दी।

हंस राज चंदेल
वरिष्ठ भाजपा नेता दून

!! शुभकामनाओं सहित !!

परमजीत सिंह पम्मी
पूर्व जिप सदस्य व भाजपा नेता दून
मो. 09418044257

फार्म - 4 (नियम 8 देखिये)

1.	प्रकाशन स्थल	: शिमला
2.	प्रकाशन तिथि	: माह की 1 तारीख
3.	मुद्रक का नाम	: कमल सिंह सेन
	क्या भारतीय नागरिक हैं	: हां
	पता	: डॉ. हेडगेवार भवन, नाभा, शिमला – 171004
4.	प्रकाशक का नाम	: कमल सिंह सेन
	क्या भारतीय नागरिक हैं	: हां
	पता	: डॉ. हेडगेवार भवन, नाभा, शिमला – 171004
5.	सम्पादक का नाम	: डॉ. दयानंद शर्मा
	क्या भारतीय नागरिक हैं	: हां
	पता	: डॉ. हेडगेवार भवन, नाभा, शिमला – 171004
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत के साझेदार या हिस्सेदार हों।	: मातृवन्दना संस्थान : डॉ. हेडगेवार भवन, नाभा, शिमला – 171004

मैं कमल सिंह सेन, एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकृत जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गए विवरण सत्य हैं।

हस्ता/–
कमल सिंह सेन
प्रकाशक

दिनांक 31 मार्च 2017

नीति में बदले नीयत

-डा.जयप्रकाश सिंह

भारत में बजट के पेश होने के बाद क्रिया-प्रतिक्रिया का एक ढर्रा बन गया है। बजट पेश होते ही सत्तासीन दल सबसे ज्यादा दुहाई गांव और किसान की देते रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष भी गांव और किसान को आधार बनाकर बजट की आलोचना करता है। ऐसा लगता है कि राजनीतिक प्रतिष्ठान सबसे अधिक चिंता यदि किसी बात की करता है तो वह गांव और किसान ही है, लेकिन जब हम नीतिगत परिदृश्य पर नजर डालते हैं तो मामला उल्टा नजर आता है। गांव और किसान को लेकर नीतिगत स्तर पर एक सन्नाटा नजर आता है। कृषि और गांव संबंधी विचार बातों से आगे बढकर नीतियों का शक्ल नहीं ले पाते। नीतिगत स्तर ऐसी पहल कम ही की गई है, जो भारतीय गांवों और उसके कृषि के मिजाज के अनुकूल हो। इसी कारण ख्रषि, आर्थिक और सांस्कृतिक लिहाज से ऊसर बनती जा रही है और गांव, उजड़े हुए स्वप्नों का केंद्र। संभवत: यही कारण है कि कभी जिस खेती को सबसे उत्तम और प्रतिष्ठित व्यवसाय माना जाता था, उसकी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता।

अपने यहां कृषि को लेकर एक प्रचलित कहावत है, जिससे समाज में इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा का अंदाजा लगता है-

उत्तम खेती, मध्यम बान अधम चाकरी, भीख निदान।

यानी जीविका के लिए सबसे अच्छी खेती है, यदि खेती में हाथ न जमें तो व्यवसाय करना चाहिए। इन दोनों क्षेत्रों में सफलता न मिलने की स्थिति में नौकरी करने पर विचार करना चाहिए। यद्यपि नौकरी निकृष्टतम विकल्प है। यदि व्यक्ति बिलकुल पुरुषार्थहीन है, तो उसके लिए भीख मांगने का रास्ता ही बचता है।

आज की स्थिति इसके उलट है। एनएसएसओ के आंकड़े बताते हैं कि विकल्पहीनता की स्थिति में अधिकांश लोग खेती-किसानी कर रहे हैं। उपभोक्तावादी विकास माडल के कारण चमक-दमक के प्रति बढ़ते आकर्षण ने इसे हेय व्यवसाय बना दिया है। इस मानसिकता के कारण ही 5 लाख रूपए खर्च करके और 4 साल का समय लगाकर बीटेक करने वाला युवा बड़ी शान से कहता है कि वह 6 हजार की नौकरी कर रहा है, जबकि खेती मेहनत करके यदि कोई युवा लाखों भी कमाता है, तब भी उसे और उसके परिजनों को अपने व्यवसाय के बारे में बताते हुए झिझक महसूस होती है। कृषि हेय दृष्टि का शिकार हो गई है और यही ग्राम विकास में मुख्य अवरोध है।

पश्चिमी विकास मॉडल में कृषि ही नहीं, बल्कि गांव के अस्तित्व को भी पिछड़ेपन की निशानी माना जाता है। जो देश जितना औद्योगीकृत है और शहरीकृत है, वह उतना ही विकसित है। इस विकास मॉडल में गांव और कृषि की दुर्दशा को स्वाभाविक माना जाता है। पश्चिमी विकास मॉडल की इस दृष्टि के कारण गांव और कृषि न केवल हमारी प्राथमिकता सूची से बाहर हो जाते हैं, बल्कि गैर-जरूरी और हेय भी बन जाते हैं। जानबूझ कर नीतिगत स्तर पर ऐसी पहल की जाती है कि गांवों से पलायन हो और किसान मजदूर बने। यह नीतिगत उपेक्षा अथवा भेदभाव का ही उदाहरण है कि 4-5 फीसदी ब्याज दर पर कारण उपलब्ध हो जाता है लेकिन किसान यदि कृषि ऋण लेना चाहे तो उसे 8-14 फीसदी ब्याज चुकाना पड़ता है। इसी तरह करोड़ों रुपए ऋण लेकर उनका गबन करने वाले उद्योगपतियों के खिलाफ बैंक कोई कदम उठाता हुआ नहीं दिखता, लेकिन किसान द्वारा लिए 10 हजार रुपए के न लौटा पाने की स्थिति में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होता है और उसे जेल में ठूंस दिया जाता है। विजय माल्या के खिलाफ किसी बैंक का अधिकारी सामने नहीं आता, लेकिन यदि किसानों के ऋण माफी की बात की जाए तो अरुंधति भट्टाचार्य यह कहती हैं कि इसे वित्तीय अनुशासन को गंभीर नुकसान पहुंचता है।

आधुनिक परिदृश्य में यदि ग्राम विकास और खेती के लिए सबसे अधिक जरूरी कोई कदम है तो वह है कोल्ड स्टोरेज चेन अथवा भंडारण गृहों का निर्माण। आंकड़ों के अनुसार 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने से भारत में अच्छे शीतभंडार गृहों का निर्माण हो सकता है, लेकिन इस दिशा में पता नहीं क्यों प्रभावी पहल नहीं की जाती। शीतभंडार गृहों के कारण किसानों के पास यह विकल्प हो जाता है कि वह अपनी उपज को तब बेचे, जब उसकी अच्छी कीमत मिले।

ऐसे में यदि हम ग्राम विकास की बात करते हैं तो इसके साथ वैकल्पिक विकास मॉडल की चर्चा भी जरूरी हो जाती है। कृषि और गांव से संबंधी पश्चिमी नीतियों का अंधानुकरण ग्राम-विकास और कृषि-विकास के क्षेत्र में सबसे बड़ा रोड़ा है। पश्चिमी देशों में जनसंख्या का 10 फीसदी या इससे कम हिस्सा खेती करता है, जबकि भारत में 70 फीसदी लोगों के जीवनयापन का साधन कृषि है। वहां पर कृषि मूलतः कृषि व्यापार के लिए की जाती है और भारत में यह मूलतः भरण-पोषण के लिए। वहां पर सरकारें खेती पर भारी-भरकम सब्सिडी देती हैं, यहां पर किसानों को मानसून का ही सहारा होता है। इसलिए परंपरागत भारतीय कृषिदर्शन को जीवंत किए बगैर और विकास मॉडल में उसे स्थान दिए बगैर ग्राम विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना टेढ़ी खीर साबित होगी।

यहां पर भारतीय कृषि दर्शन की कुछ मूलभूत बातों का जिक्र करना समीचीन रहेगा। पहला यह कि भारत में कृषि का मतलब केवल खेती कभी भी नहीं रहा है। यहां पर पशुपालन (विशेषतः गोपालन) और कुटीर उद्योगों को भी कृषि का हिस्सा माना जाता रहा है। इसके कारण आत्मनिर्भरता का एक चक्र सृजित होता था। खेती से निकलने वाले भूसे और पुआल जैसे अपशिष्ट पशुओं के चारे के रूप में काम आ जाते थे

और पशुओं का अपशिष्ट खाद के रूप में खेती के काम आ जाती थी। खेती और पशुपालन के आधाार पर हर घर में घरेलू खाद्य पदार्थों का निर्मित होते थे, जिसके कारण हर परिवार अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बना रहता था।

इस परंपरा में खेती भी केवल कुछ खास फसलों के उगाने का नाम नहीं था। यह कुछ समग्र सिद्धांतों के आधार पर की जाती रही है। जैसे खेती के साथ बागवानी को भी अपरिहार्य माना जाता था। इसलिए यहां पर शब्द प्रचलन में आया खेती-बाड़ी। बाड़ी, बारी का परिष्कृत रूप है, जिसका मतलब बागीचा होता है। तो अच्छी खेती के लिए कहा जाता रहा है कि यह तभी अच्छी हो सकती है-जब आधी जमीन पर खेती हो और आधी जमीन पर बागीचा लगे। इस मान्यता को अभिव्यक्त करने वाला प्रचलित मुहावरा था कि- आधा खेती-आधी बारी। तो यहां पर खेती, बागवानी, पशुपालन और कुटीर उद्योगों को अन्योन्याश्रित चक्र था। जिसके कारण कृषि एक संपूर्ण गतिविधि थी और हमेशा लाभकारी रहती थी। वर्तमान में यह संबंध टूट गया है इस कारण स्वतंत्र रूप से खेती, पशुपालन, बागवानी और कुटीर उद्योग महंगे हो गए हैं।

परंपरागत खेती के नवोत्थान के साथ यह भी आवश्यक है कि उन नुस्खों की समीक्षा की जाए, जो समाधान के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। मसलन, उत्पादकता का प्रश्न। किसानों को यह समझाया जाता है कि उनकी समृद्धि और गांव की खुशहाली अधिक उत्पादन में निहित है। ऊपरी तौर पर यह देखने में ठीक भी लगता है, लेकिन यह वास्तविकता से परे है। उद्योगों में उत्पादन और लाभ का संबंध हो सकता है, लेकिन कृषि के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र में प्याज के उत्पादन अथवा उत्तर प्रदेश में आलू के उत्पादन में नजर डालें तो यह बात बेहतर ढंग से समझ में आ सकती है। इन प्रदेशों में पैदावार के बाजार में आते ही कीमतें गिरनी शुरू हो जाती हैं। इसके कारण कई बार किसान इतना परेशान होता है कि वह आलू या प्याज सडक पर छोडकर घर चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि घर ले जाने के लिए किराया देने से बेहतर है बहुत कम दामों में बेचना अथवा वैसे ही छोड़ देना है। हम जानते हैं खेती से जुड़ी वस्तुएं कम समय में ही खराब होने लगती हैं। इसलिए पैदा होते ही किसान की कोशिश होती है कि उसे औने-पौने दाम पर बेचा जाए। अधिक उत्पादन की स्थिति में कीमतें इतने नीचे गिर जाती हैं, किसान बेचारा ठगा सा रह जाता है।

आधुनिक परिदृश्य में यदि ग्राम विकास और खेती के लिए सबसे अधिक जरूरी कोई कदम है तो वह है कोल्ड स्टोरेज चेन अथवा भंडारण गृहों का निर्माण। आंकड़ों के अनुसार 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने से भारत में अच्छे शीतभंडार गृहों का निर्माण हो सकता है, लेकिन इस दिशा में पता नहीं क्यों प्रभावी पहल नहीं की जाती। शीतभंडार गृहों के कारण किसानों के पास यह विकल्प हो जाता है कि वह अपनी उपज को तब बेचे, जब उसकी अच्छी कीमत मिले।

ग्राम-विकास और कृषि विकास के प्रश्न को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। कृषि को विकास ग्राम विकास की पूर्व शर्त है। यदि हम परंपरागत दृष्टि का आधार लेकर कृषि को सामाजिक-राष्ट्रीय जीवन में प्रतिष्ठित कर सकें, तो ग्राम विकास अपना नया क्षितिज खुद ढूंढ लेगा। ❖ **लेखक दिव्य हिमाचल में फीचर संपादक हैं।**

देवभूमि में सांस्कृतिक चिन्तन और ग्राम विकास

-डॉ. विद्या चंद ठाकुर

मानव के सांस्कृतिक चिन्तन में ग्राम को सदैव महत्त्व प्रदान किया जाता रहा है। ऋग्वेद में कहा गया है गांव के सब लोग शक्तिशाली और उपद्रवरहित हों-विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्। ऋग्वेद- 10/114/1 इस वेद वाक्य में स्पष्ट सांस्कृतिक चिन्तन है कि गांव के लोग शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली हों और उनमें उपद्रव का विकार न हो। वे गांव समाज और राष्ट्र हित में अपनी शक्ति का उपयोग करें। मानव का यही परम्परागत सांस्कृतिक चिन्तन ग्राम विकास को सुनिश्चित बनाता है। यही सांस्कृतिक चिन्तन धारा हमारी देवभूमि के गांवों के लोक चिन्तन में समाहित है जिसके कुछ पहलू यहां प्रस्तुत है।

खुम्बली प्रथा

खुम्बली प्रथा ग्राम समिति का पारम्परिक स्वरूप है। गांव में किसी भी प्रकार का विवाद पैदा होने पर न्याय के लिए प्रत्येक परिवार के एक-एक व्यक्ति को खुम्बली के लिए आमन्त्रित किया जाता है। सभी परिवार के एक-एक व्यक्ति का खुम्बली में सम्मिलित होना आवश्यक होता है। गांव का प्रतिष्ठित वयोवृद्ध व्यक्ति खुम्बली का अध्यक्ष होता है जिसे सियाणा या ठगड़ा कहते हैं। यह सूझबूझ वाला वयोवृद्ध व्यक्ति होता है। यह व्यक्ति वादी-प्रतिवादी को सत्य-असत्य तर्कों में उलझा कर उसके सहारे सत्य के लक्ष्य तक पहुंचता है। जब खुम्बली बैठती है तो न्याय चाहने वाला व्यक्ति वादी के रूप में विवाद का पूरा ब्यौरा खुम्बली के सामने रखता है। खुम्बली प्रतिवादी को भी अपना पक्ष रखने को कहती है। दोनों के पक्ष सामने आने पर, उस पर व्यापक विचार-विमर्श करके निर्णय सुनाया जाता है। खुम्बली गांव की प्रत्येक परिस्थिति से परिचित होती है, इसलिए इसका निर्णय निष्पक्ष रहता है। यदि कोई निर्णय को न माने तो समझा-बुझा कर सहमति बनायी जाती है। इससे गांव के लोग व्यर्थ के विवादों से बचते हैं और वे अपना कीमती समय विकास में अधिक लगा पाते हैं। अब यह खुम्बली की प्रथा कम होती जा रही है जिससे लोग व्यर्थ के विवादों में फंसे रहते हैं। यदि खुम्बली की प्रथा को ग्रामीण समाज सशक्त बनाए रखें तो इसमें गांव की बहुत भलाई है।

खुम्बली प्रथा के माध्यम से ग्राम विकास के अन्य कार्य भी सुनिश्चित होते थे। गांव के रास्तों का सुधार, बावड़ियों, कुओं, तालाबों की साफ-सफाई खुम्बली में तय होकर सब लोग उन कार्यों में सहयोग करते हैं। आज हम छोटे-छोटे काम के लिए भी सरकार की ओर ताकते हैं जिससे कई स्थानों पर वह साफ-सुथरी व्यवस्था नहीं दिखती जो पहले होती थी। यह ठीक है कि सरकार विकास का समुचित प्रावधान करे, लेकिन यदि सरकार के विकास में खुम्बली प्रथा का भी साथ मिले तो ग्राम विकास का आदर्श स्वरूप सामने आ सकता है।

बुआरा एवं जुआर प्रथा

हिमाचल प्रदेश में मिलजुल कर सहकार से कार्य करने की प्राचीन प्रथा रही है जिसे कहीं बुआरा और कहीं जुआर कहते हैं। इस प्रथा में गांव के लोग मिलजुल कर एक-दूसरे के का का निपटान करते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति काम में नहीं पिछड़ता। यूं तो बुआरा और जुआर के लिए गांव के लोगों को बुलाया जाता है, परन्तु यदि कोई परिवार आधि-व्याधि की उलझन में हो तो उनकी लोग अपने-आप बुआरा-जुआर प्रथा से सहायता करते हैं। इन प्रथाओं में मानव का सद्‌भावना और समरसता का स्वाभाविक गुण प्रकट होता है। इनमें वेदों की उपदेश वाणी का यह प्रवाह निरन्तर प्रवाहित है कि हम परस्पर मिलजुल कर चलें, मिलजुल कर वार्तालाप करें, मिलजुल कर ज्ञान अर्जन करें। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे संकल्प एक जैसे हों, हम संगठित हो कर अपने कार्य सम्पूर्ण करें-

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्। ऋग्वेद- 10/161/1

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।। ऋग्वेद-

सर्वहित चिन्तन

परम्परागत ग्राम्य प्रथाओं में सर्वहित चिन्तन व्याप्त है। भगवान् श्रीकृष्ण गीता में 'सर्वभूतहिते रतः' की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। ग्राम्य लोक चिन्तन में भी गीता का यह ज्ञान अभिव्यक्त होता है। हिमाचल प्रदेश में एक लोकोक्ति में कहा गया है कि जो सब के हित बारे में सोचता है, वही मनुष्य होता है। केवल अपने ही हित का विचार तो पशु आदि सब प्राणी करते हैं-

सेभी रा सोचणा, माण्हूं होई।

आपणा आपणा सब कोई।।

परम्परागत इस सांस्कृतिक चिन्तन का परिपोषण अत्यावश्यक है। यही चिन्तन ग्राम विकास में लक्ष्य प्राप्ति की दिशा को सुदृढ़ता प्रदान करता है। ❖ **लेखक भाषा एवं संस्कृति विभाग के सेवानिवृत्त निदेशक एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद्व हैं।**

कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग

-महेश अटाले

भारत कृषि-प्रधान देश है। जय-जवान, जय किसान यह हमारा नारा है। किसी भी देश का विकास उसकी कृषि पर निर्भर होता है। भूमि के उत्पादन का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। कृषि के साथ-साथ अन्यान्य उप-व्यवस्था या लघु-उद्योग किए जा सकते हैं। इस तरह के व्यवसाय ये प्राप्त कमाई का बहुत बड़ा आधार किसान के परिवार को मिल सकता है। किसान इन उद्योगों का स्वयं मालिक होता है, और इनके लिए उसे दलालों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता। वैसे ही इनमें कुछ व्यवसाय ऐसे भी हैं कि जिन पर जलवायु की अनिश्चितता का विशेष प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा इन में शारीरिक श्रम भी कम होते हैं, इसलिए अधिक आयु के और शारीरिक दृष्टि से कमजोर अन्य परिवारजन भी इनमें सहायता कर सकते हैं। चलें, हम ऐसे कुछ लघु उद्योगों की जानकारी प्राप्त करें।

मधुमक्खी पालन किसानों के लिए सरल लघु-उद्योग है। मधुमक्खियों से फलन-क्रिया भी शीघ्रता से होती है, फलतः कृषि-उत्पादन में भी वृद्धि होती है। जिन किसानों ने मधुमक्खी पालन का उद्योग आरम्भ किया है, उन सब की आर्थिक स्थिति में तीव्रता से वृद्धि हुई है। खेतों की मेड़ों का उपयोग मधुमक्खियों के कृत्रिम छत्तों के लिए किया जा सकता हैं इसके लिए भी किसी भी विशेष तंत्रज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, और इसके रखरखाव में लगने वाला व्यय भी नगण्य होता है। छोटे बच्चे भी इसका रखारखाव सहज कर सकते हैं। इससे पूरे वर्षभर कमाई हो सकती है। ये मधुमक्खियां प्राकृतिक रूप से अनेक प्रकार के कीड़ों को फसल से दूर रखकर फसल की उनसे रक्षा करती है।

किसान कृषि के साथ व्यवसाय के रूप में मेड़ों पर फलों के पेड़ भी लगा सकते हैं। केले, पपीता, जैसे फलदार वृक्षों से किसान की आय में वृद्धि तो होती ही है साथ में भूमि को क्षरण से बचाया जा सकता है। मेड़ों पर कुमारी, निर्गुण्डी, वज्रदन्ती, कंटकारी आदि औषधीय वनस्पतियां उगाई जा सकती हैं, जिससे आर्थिक आय तो होती ही है, खेत की रक्षा

भी होती है। अब तो स्वतंत्र रूप से औषधीय खेती का प्रचलन बढ़ गया है जिससे किसानों की अतिरिक्त आय में पर्याप्त बढ़ोतरी हो रही है। पुष्प उत्पादन भी फायदेमंद सिद्ध हो रहा है।

मशरूम उत्पादन- यह थोड़े से परिश्रम से साध्य होने वाला व्यवसाय है। मशरूम के लिए आवश्यक धान का पैरा धान खेती में पर्याप्त मात्रा में होता है। इस पैरे पर ही केंचुओं का उत्पादन किया जाता है। आज पूरे विश्व में मशरूम के लिए बहुत मांग है। मशरूम की मांग की तुलना में उसका उत्पादन काफी कम है इसलिए उसे बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है। सरकार ने मशरूम उत्पादन के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। वृक्षारोपण करना किसान के स्वभाव में ही है। उनके द्वारा रोज पेड़ लगाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। आज कई शहरों में नर्सरी स्वतंत्र व्यवसाय बना हुआ हैं यह व्यवसाय अपनाने से किसान भाइयों के लिए यह आय का बड़ा स्त्रोत बन सकता हैं। विभिन्न प्रकार के फूल पौधे, फलवृक्षों के पौधे छोटी थैलियों में लगा कर बढ़ाए तो उन्हें अच्छा मूल्य मिल सकता है। किसानों को इन पौधों की उचित जानकारी मिले तो अनेकानेक पौधें बनाए जा सकते हैं।

इन लघु-उद्योगों का राजा जिसे कह सकते है वह है, कृषि पर्यटन या एग्रो-टूरिज्म। शहर के लोगों की खेती का पर्यटन कराने वाले ये केन्द्र दिनोंदिन बढ़ ही रहे हैं। इन यात्राओं से किसान और समाज परस्पर जुड़ता जा रहा है। शहर निवासियों को कुछ समय के लिए प्रदूषणमुक्त हवा, वातावरण निसर्ग सानिध्य का लाभ मिलता है और उसके लिए वे पैसे देने के लिए भी तैयार रहते हैं। इस अवधि में उनकी कृषि उपज बाजार भाव से खरीद भी सकते हैं। इस तरह से इस कृषि यात्रा का किसानों को तिहरा लाभ होता है। किसान अपने नियमित कृषि कार्य के साथ ऐसे अनके सहायक व्यवसाय कर सकते हैं। आवश्यकता है तो किसी एक व्यवसाय को प्रारम्भ करने की। इसे करते समय एक बात का हमेशा स्मरण रहें-ये सारे सहायक व्यवसाय हैं। अपना मूल व्यवसाय है खेती, क्योंकि हम हैं तो किसान ही ना। ❖

इन लघु-उद्योगों का राजा जिसे कह सकते है वह है, कृषि पर्यटन या एग्रो-टूरिज्म। शहर के लोगों की खेती का पर्यटन कराने वाले ये केन्द्र दिनोंदिन बढ़ ही रहे हैं। इन यात्राओं से किसान और समाज परस्पर जुड़ता जा रहा है। शहर निवासियों को कुछ समय के लिए प्रदूषणमुक्त हवा, वातावरण निसर्ग सानिध्य का लाभ मिलता है और उसके लिए वे पैसे देने के लिए भी तैयार रहते हैं। इस अवधि में उनकी कृषि उपज बाजार भाव से खरीद भी सकते हैं। इस तरह से इस कृषि यात्रा का किसानों को तिहरा लाभ होता है। किसान अपने नियमित कृषि कार्य के साथ ऐसे अनके सहायक व्यवसाय कर सकते हैं। आवश्यकता है तो किसी एक व्यवसाय को प्रारम्भ करने की।

GOOD
MORNING
I AM READY
मस्त मस्त फिट
ज़ेनोविट!!!
मल्टीविटामिन, मिनरल व एंटिऑक्सिडेंट सॉफ्टजैल कैपसूल
☑ तनाव
☑ कमजोरी
☑ प्रतिरक्षा
☑ ट्रामा
☑ बढती उम्र
☑ प्रैगनेंसी
इन सभी अवस्थाओं में
अत्यंत लाभदायक
Zenlabs
₹85/-
For 10 Capsule
Zenovit
अपनी श्रेणी में नंबर 1 ब्रांड
प्रमुख मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध
1 से 2 कैपसूल एक दिन में (सुबह/शाम)
हर उम्र वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए
ZENLABS ETHICA LIMITED
Plot No. 194-195, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh
ZENLABS PHARMACEUTICS INC.
90, Pinney Cres, Canada R2P1E7
www.zenovit.in | www.zenlabsethics.com | Toll Free : 1800-270-1210

गांवों की आत्मनिर्भरता के लिए पंचायतें बनें सबल

–पूर्ण प्रकाश शर्मा

गांव की अगर कोई सही परिभाषा है तो वह है भारत की आत्मा। देश की 60 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है और ग्रामीण परिवेश से शहरों की ओर आने वाले अधिकतर लोग मूलतः भारतीय ग्रामीण परिवेश का हिस्सा होते हैं। ग्रामीण विकास की बात जब भी होती है तो गांवों की स्थिति हमेशा बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। हैरत की बात है कि हर योजना को बनाते समय में गांवों को केंद्र में रखकर योजनायें निर्माण की जाती है, लेकिन फिर भी विकास के मामले में शहरों की तुलना में गांव बुरी तरह पिछड़ जाते हैं।

प्राचीन भारतीय परम्परा और ऐतिहासिक पक्षों के नजरिये से अगर गांवों के विकास का मूल्यांकन किया जाये तो भारतीय गांवों के विकास का ऐसा आदर्श रूप प्रस्तुत किया जा सकता है जिसका पूरे विश्व में कोई सानी नहीं हो सकता। भारतीयता को गौण रूप से दिखाने और भारत को केवल सांप सपेरों और जादूगरों का देश मानने वाले कहां भारतीय गांवों की सच्ची तस्वीर दिखा पाये। वेदों में भारतीय गांव समृद्धि के आधार है, ज्ञान के वाहक है और लोकतंत्र के अग्रदूत रहे हैं। वेदों में एक मंत्र आता है –गणानात्वा गणपति....गर्भधम्। यह मंत्र संकेत देता है कि भारतीय गांवों के लोग गण अर्थात समूहों में रहते थे। उनका एक गणों का एक पति अर्थात स्वामी (राजा) होता था। इसमें छिपे वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने गणतंत्र भारत के संदर्भ में इसे देखना होगा। भारत के गांव छोटे–छोटे समूहों में रहते थे मगर अर्थव्यवस्था का आधार था पारस्परिक तंत्र। एक गांव के लोगों को अपनी जरूरत की वस्तुएं अपने ही गांव में मिल जाती थी, इसके लिए उसे दूसरे गांवों में नहीं जाना पड़ता था। हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव में ही ऐसा ताना–बाना बुना गया था कि एक गांव एक देश की तरह लगता था जोकि पूर्णतया आत्मनिर्भर होता था। भारत की सुव्यवस्था पर समय–समय पर होने वाले आक्रमणों ने आघात किया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था जिसकी समृद्धि का आधार थे गांव। इन गांवों को बर्बाद करने में विदेशी आक्रंताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जबसे भारतीय गांवों में आत्मनिर्भरता पर आधारित गणतांत्रिक पद्धति का लोप हुआ तभी से भारत को पिछड़ा, गरीब और अशिक्षित देश माना जाने लगा। महात्मा गांधी इस बात को बखूबी जानते थे कि भारत की आत्मा गांव है और गांवों में अगर अपनी एक स्वायत शासन की प्रणाली विकसित हो जाये तो भारत के गांव पुरातन काल की वहीं समृद्धि हासिल कर सकते हैं जिससे भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पुनः परिभाषित किया जा सकता है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में उनके विचार को प्राथमिकता देते हुए प्रावधान किया गया कि गांवों में शासन की स्वायत प्रणाली को विकसित करने के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना की जायेगी। मगर देश का दुर्भाग्य रहा कि इसकी अहमीयत को उस समय अधिक महसूस नहीं किया गया। 1952 में बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों पर त्रि–स्तरीय प्रणाली जिसे ग्राम पंचायत का नाम दिया गया शुरू हुई। व्यवस्था के दोषों और विदेशी अंधानुकरण ने इसे सैद्धांतिक प्राथमिकताओं में कभी शामिल नहीं किया। नतीजा भारत के गांव निरंतर पिछड़ते गये और विकास के मूलभूत मापदंडों में बुरी तरह पीछे हो गये। संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के प्रावधानों के अंतर्गत ही 1993 में ग्रामीण स्तर पर गांवों के समग्र विकास के लिए पंचायतों की जरूरत को समझा गया। इसके लिए संविधान में 73वां संशोधन करके 11 वीं अनुसूची संविधान में डाली गयी। इसके साथ ही 29 विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया। महात्मा गांधी ग्रामीण शासन की इन इकाईयों को स्वायत शासित बनाना चाहते थे ताकि प्राचीन भारतीय सशक्त ग्राम विकास मॉडल को विकसित किया जा सके। परंतु पंचायतों को वोट बैंक की राजनीति ने स्वायत शासित नहीं होने दिया जिससे गांवों का आदर्श विकास नहीं हो पाया। फिर भी गांवों में ग्राम पंचायत के माध्यम से विकास के काम होने लगे हैं। नरेगा जो बाद में बदलकर मनरेगा बन गया इस योजना के पीछे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ ही गांवों में पारस्परिक विकास के तंत्र को मजबूत करना उदेश्य रहा है। जिन विदेशी विकास मॉडलों को भारत के गांवों में विकास के लिए लागू किया गया उनमें भी गांवों में डिमांड और सप्लाई के संतुलन की ही बात की गयी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाये तो 2012–13 के मूल्यों पर 67839 है वहीं भारत की तुलना में विश्व के अन्य विकसित और विकासशील देशों में यह बहुत अधिक है।

2015 के बेरोजगारों के आंकड़ों को देखें तो इसकी संख्या भारत में 10 करोड़ है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से सम्मिलित है। गांवों में रहने वाले भारत की 58 प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि में लगी हुई है फिर भी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 14.4 प्रतिशत ही है। इससे साफ लगता है भारतीय गांवों की टूटन नहीं थमी है लोग शहरों की ओर पलायन कर ही रहे हैं। भारत के 27 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे है जिसमें भारत के गांव सर्वोपरि है। अगर भारत के गांवों की उपेक्षा के लिए जिम्मेवार माना जाये तो इसमें वोट बैंक और दबाव समूह में लिये गये निर्णय मुख्य कारण रहे हैं। इसके साथ ही संयुक्त परिवार पद्धति की टूटन, जाति व्यवस्था और हाथ से किये जाने वाले कार्यों की विमुखता आदि प्रमुख कारण रहे हैं। परंतु फिर भी कहते हैं कि आशा में ही जीवन निहित होता है। ग्राम पंचायत प्रणाली व्यवस्था धीरे–धीरे गांवों में अपनी पकड़ बना रही है। नीति निर्माण में यातायात, बैंकिग, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार के साधन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने लगे हैं। जिससे गांवों का खोया स्वाभिमान जागने लगा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा में जोखिम कवर को विस्तार दिया जा रहा है वहीं बीमा की राशि को भी दो गुना किया जा रहा है। 2016 में ही भारतीय ग्रामीण कृषकों के लिए खरीफ की फसल की अवधि के दौरान 3 करोड किसानों का लगभग लाख करोड़ की राशि का बीमा किया गया है। गांवों में चलने वाली योजनाओं में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना स्वच्छ उर्जा के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना बेघरों के लिए और दीनदयाल अन्त्योदय योजना के अंतर्गत महिलाओं, विशेषकर वंचित समुदायों महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए स्वयंसहायता समूहों के द्वारा 16 हजार करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

ऐसी ही न जाने कितनी योजनाओं का आगाज किया गया है लेकिन गांवों की समृद्धि के लिए हमें आज भी गांवों में गणतंत्र की उस व्यवस्था को नहीं भूलना होगा जिसका आगाज आज से हजारों वर्ष पूर्व वैदिक काल में ही हो गया था। आज इस प्रणाली की मजबूती ग्राम पंचायतों के विकास पर निहित है। गांवों में विकास का शंख फूंकने के लिए पंचायतों को ग्रामीण स्वायत शासित और पारस्परिक तंत्र पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाना होगा तभी भारत की आत्मा के रूप में देश सही मायनों में ग्राम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर पायेगा।❖ **लेखक वि.सं.के. शिमला में संवाददाता हैं।**

VISHWAKARMA INDUSTRIES®
THE ULTIMATE®
.... PHARMA SOLUTIONS ....
DESIGNER & MANUFACTURER OF
CHEMICAL, FOOD, PHARMACEUTICAL & HOTEL EQUIPMENT

VISHWAKARMA INDUSTRIES
HIMACHAL PRADESH : VISHWAKARMA INDUSTRIES (UNIT-1)
Jagat Khana, P.O. Manjholi, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.) 174 101
VISHWAKARMA ENGINEERING
Jagat Khana, P.O. Manjholi, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.) 174 101
Tel. : 01795 265318, Fax : 01795 265319, Mob. : 093187 77385
E-mail : vishwakarma.hp@gmail.com, vishwakarma.hp1@gmail.com
GUJRAT UNIT : VISHWAKARMA INDUSTRIES (UNIT-2)
Plot No. 136/B1, Phase-II, Vapi - 395 195 Distt. Valsad, Gujrat
Tel. : 09328238752, Fax : 0260450404,
E-mail : vishwkarma_vapi@hotmail.com

HORIZONTAL LAMINAR
REVERSE LAMINAR
VERTICAL LAMINAR
BIO-SAFETY CABINET
GARMENT CABINET
DYNAMIC PASS BOX
STATIC PASS BOX

With Best Compliments From :

हिन्दू नववर्ष एवं मातृवन्दना विशेषांक निकालने पर हार्दिक बधाईयाँ व शुभकामनाएं।

GEEP INDUSTRIES

(India) Pvt. Ltd.

Industrial Area, Baddi,
Distt. Solan, Himachal Pradesh
(INDIA) 173 205

Steelbird® Helmets
Be Cool Be Safe Steelbird Helmets
SB-35 Cruze Two Tone
SB-33 Eve Elegance
SB-2
SB-2020
SB-29 Two Tone
SB-2020
SB-1 Dashing
SB-27 Style
SB-34 Zorro Dashing
SB-18
SB-5
SB-32
MTV Roadies
Steelbird Hi-tech India Limited
(An Indo-Italian Collaboration)
Manufacturer of Helmets, Bike Boxes & Auto Accessories
Corporate Office : B2B-17, Janakpuri, Near Metro Pillar No. 540, New Delhi-110058
Tel. : 011-45123456 (20 Lines) Fax : 011-40687440

लघु उद्योग भारती, हिमाचल प्रदेश

उद्योग हित राष्ट्र हित

लघु उद्योग भारती

लघु उद्योग भारती, भारत का सबसे बड़ा सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के लिये सर्मपित अखिल भारतीय औद्योगिक संगठन है।

MAKE IN INDIA

उद्योगों से सम्बन्धित सभी समस्याओं को दूर करने तथा सुझावों को कार्यन्वित करने के लिए तत्पर संगठन।

आप भी इस संगठन के सदस्य बनें।

डा. विक्रम बिंदल
प्रदेश अध्यक्ष

राजीव कंसल
प्रदेश महासचिव

विकास सेठ
प्रदेश कोषाध्यक्ष

लघु उद्योग भारती, हिमाचल प्रदेश कार्यालय

151, डी.आई.सी., औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, जिला सोलन (हि.प्र.) 173 205

9218559555, 9418087745, 9882085940 | mail : lub.himachal@gmail.com

देश दुनिया को प्रभावित करने वाली हिन्दुत्व से जुडी विश्व की एकमात्र और विश्वसनीय हिन्दी न्यूज वेबसाईट

www.Hindutva.info

कोई लागलपेट नहीं सिर्फ पूरा सच

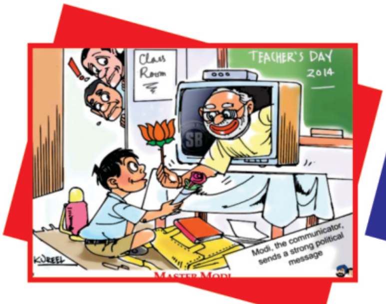

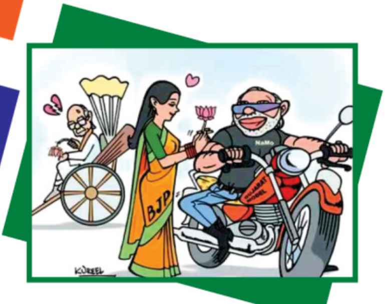

Share

- ☞ हिन्दुत्व के आधार को दर्शाती एकमात्र मल्टीमीडिया साईट जोकि है पूरे भारत में लोकप्रिय है।
- ☞ 1.5 करोड़ से भी ज्यादा फालोअरस।
- ☞ हिन्दू धर्म से जुडी पूरी जानकारी।
- ☞ राजनीति की तह तक जाने वाली सच्चाई पर आधारित खबरें व खुलासे।

HP/48/SML (upto 31-12-2017) Pre Paid RNI No. HPHIN/2001/04280

HIM AGRO FOOD CORPORATION
Global Solution Provider For Agro Food Industry

BRINGING TOGETHER THE MAKER & THE TAKER

New age Technology that connects the Farmer and the Consumer; serving India from the farm to the fork.

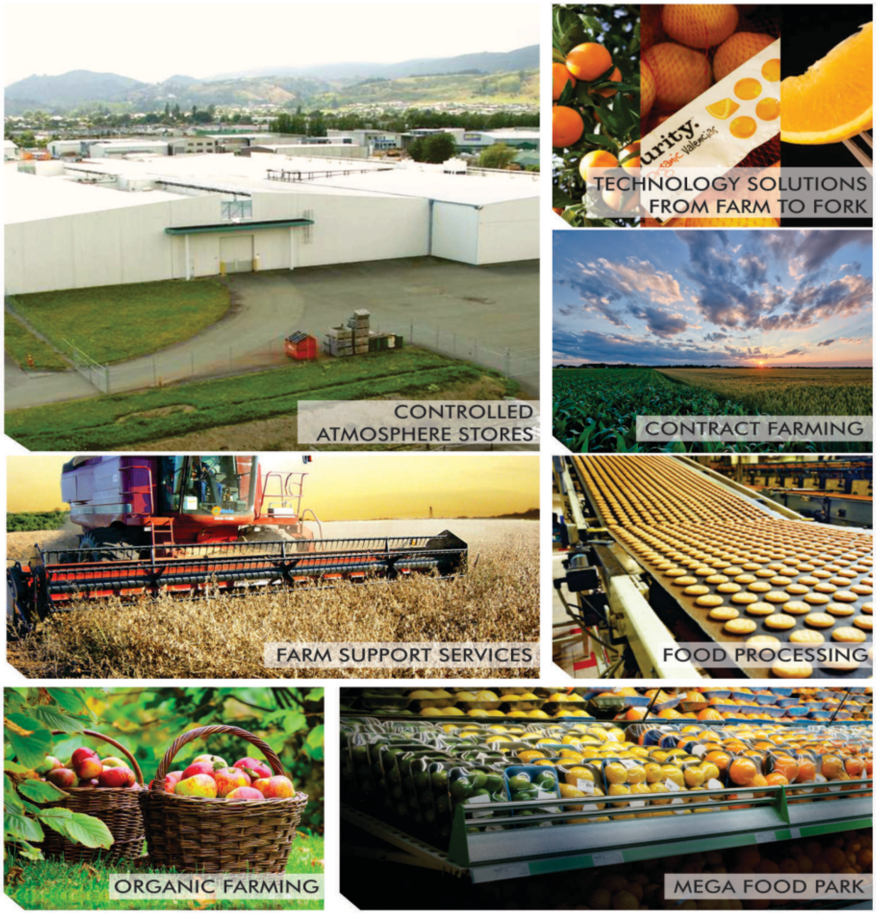

Season's Greetings

HIM AGRO FOOD CORPORATION, SCO 118-119-120, 4th FLOOR, SECTOR 34-A,
CHANDIGARH-160022, PHONE: +91 172 4989999, www.hafcoindia.com

Designed by : **New Era Graphics**, Shimla Ph. : 2628276

मातृवन्दना

प्रकाशक एवं मुद्रक कमल सिंह सेन द्वारा मातृवन्दना संस्थान के लिए सवितार प्रैस, प्लॉट 820, फेस - 2, उद्योग क्षेत्र चंडीगढ़ से मुद्रित तथा डॉ. हेडगेवार भवन, नाभा, शिमला - 171004, से प्रकाशित।